राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या १३

दिनांक २८ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजकर ५ मिनट पर विधानसभा भवन, जयपुर में आरम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, गृह, कृषि, विकास, योजना, नियुक्ति, सिंचाई, सहकारी, यातायात तथा सार्वजनिक सम्पर्क—विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री भीमसेन ।

भाखरा नहर

४२२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर-श्री **गिरधारीलाल** (नोखा) द्वारा पूछा गया): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

भाखरा नहर निर्माण के प्रथम ३ वर्षों में केनाल्स में कितने ब्रीचेज हुए तथा उनकी मरम्मत में कितना खर्चा लगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) प्रथम तीन वर्षों में भाखरा की नहरों में कुल ३५० ब्रीचेज हुए और उनकी मरम्मत में कुल ८०,५०७ रुपये खर्च हुए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

विकास योजनायें

४२३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी-श्री **पी० के० चौधरी** (फुलेरा) द्वारा पूछा गया) : क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन कौन सी विकास योजनाएं राजस्थान में कहां कहां चल रही हैं ?

(२) क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को प्रारम्भ करने से पूर्व राज्य सरकार से पूछताछ करती है या नहीं ?

राजस्वमंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास)

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में चल रही योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में शत प्रतिशत रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। केवल योजना व उन पर व्यय की जानेवाली राशि राज्य सरकार को इंगित करते हैं और राज्य सरकार योजना को कार्यान्वित करती है वह स्थान जहां योजना कार्यान्वित की जावेगी राज्य सरकार ही चुनती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

Page No.2

श्री पी० के० चौधरी : यह सूची मुझे मिली नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : You can take it form the Notice Office.

श्री पी० के० चौधरी : It is not there.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is there I am quite sure.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम दौलतपुरा (बून्दी) के सरपंच की गिरफ्तारी

४२४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी-श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या १५ अगस्त, १६५८ को दौलतपुरा, तहसील बूंदी में कुआं खुदवाने के सम्बन्ध में ग्राम गुढा, थाना बतान के श्री रामस्वरूप पालीवाल सरपंच को गिरफ्तार किया था।

(२) क्या गिरफ्तारी के पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति ले ली गई थी? यदि हां, तो किन तथ्यों के आधार पर स्वीकृति दी गई थी?

(३) गिरफ्तारी के बाद जमानत कब हुई और अब तक बाद में क्या कार्यवाही हुई?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हां।

(२) भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं क्रमशः ४०६, ४१८ एवं ४६ ड के अन्तर्गत किसी सरपंच को गिरफ्तार करने के पूर्व किसी विशेष आज्ञा उपलब्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसी कोई आज्ञा प्राप्त नहीं की गई।

(३) सरपंच को दिनांक १५-८-५८ को गिरफ्तार किया गया था। उसको २,००० रु० जमानत तथा ५,००० रु० के व्यक्तिगत बांड पर दिनांक १६-८-५८ को रिहा कर दिया गया। इस मामले का अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। इस मामले का चालान न्यायालय में संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत), राजस्थान की अभियोग चलाने की रजामन्दी प्राप्त होने पर कर दिया जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी : एक साल तो हो गया कब आप रजामंदी देंगे?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस की इन्वेस्टीगेशन पूरी हो चुकी है। पंचायत विभाग से मन्जूरी चाही है जो मिल जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): १५ अगस्त को क्यों गिरफ्तार किया गया उस दिन को तो छोड़ना चाहिये?

श्री रामकिशोर व्यास : यह उसी दिन का मामला था।

प्रश्न संख्या ४२५.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

नेक्स्ट।

Page No.3

सिटी मजिस्ट्रेट व एस. डी. एम. बीकानेर के स्थानान्तरण

४२६. श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर- सिटी श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) द्वारा पूछा गया) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर से सिटी मजिस्ट्रेट व सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तबादले एकाएक सन् १६५८ में क्यों हुए ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): ये तबादले प्रशासनिक कारणों से किये गये थे ।

श्री पी० के० चौधरी : टेलीग्राफिकली क्यों किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रशासनिक कारणों से इमीजियेटली एक्शन लिया गया ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : विथ टी० ए० या विदाउट टी० ए० किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स से जिनका ट्रान्सफर होता है उनको टी० ए०, डी० ए० दोनों मिलते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इनके खिलाफ कोई कम्पलेन्ट्स थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या । ४२७

महाराज श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

बीदासर में नाबालिग बाल विवाह को रुकवाने सम्बन्धी की गई शिकायत

४२८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी -श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ता० ७ फरवरी, ५६ को श्री मुरलीधर व्यास ने सब-इन्सपेक्टर, सुजानगढ़ को तार द्वारा तथा ताल छापर के हवलदार को रजिस्ट्री और पत्र द्वारा बीदासर में नजीर और गीगा वल्द इमामबख्श सब नीगर सिलावट के यहां नाबालिग बाल विवाह को रुकवाने की कोई सूचना दी थी ? यदि हां, तो इन अधिकारियों ने इसे रुकवाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या यह सच है कि लड़की के चाचा से शादी करने के पूर्व लड़की के उम्र के बारे में कोई डॉक्टरी प्रमाण-पत्र पुलिस ने मांगा था ? यदि हां, तो लड़की की उम्र की सर्टीफिकेट कॉपी पेश की जाय ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) श्री मुरलीधर व्यास एम. एल. ए ने एक रिपोर्ट थानेदार व इन्चार्ज, चौकी, ताल छापर को भेजी कि एक व्यक्ति नजीर अपनी भतीजी जैतून, उम्र १० साल की शादी बीकानेर निवासी हाजी बाबू से करवा रहा है जो कि रोकी जावे । इस पर थानेदार, एस० डी० एम०, रतनगढ़ की सेवा में उपस्थित

Page No.4

(श्री रामकिशोर व्यास)

हुआ, जिसने बाल विवाह निरोधक कानून के अन्तर्गत नोटिस दोनों पार्टियों के विरुद्ध दिये और एस० एच० ओ० ने दिनांक ७-२-५९ को तामील करवाई।

(२) पुलिस ने शादी के बाद लड़की का डॉक्टरी मुआयना करवाया और डॉक्टरी सर्टीफिकेट की प्रतिलिपि इसके साथ प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री पी०के० चौधरी : क्या यह सही है कि पुलिस के होते हुए भी दूसरे मकान में जाकर शादी हो गई थी-?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो पता नहीं पर आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूँ कि यह ऑफेन्स कॉग्नीजेबल नहीं है।

प्रश्न संख्या ४२९

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी

जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी के टिकटों का विक्रय

४३०. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Public Relations Department be pleased to state:—

(a) How many 'entry tickets' for Alwar Exihibition, 1959, and Jaipur Exhibition, 1958 and 1956 were printed, issued and actually sold? The serial numbers of the tickets issued and sold may be given separately for each occasion.

(b) What amount of fund had been realised on each of these occasion through the sale of tickets and whether the counter foils of the tickets had been checked and deposited with the Accounts?

सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) Seperate statements in respect of number of entry tickets printed and sold in Rajasthan Exhibition, 1956, and Alwar Exhibition, 1959, are enclosed herewith. No Exhibition was held at Jaipur in the year 1958.

(b) The amount realised through the sale of entry tickets on each occasion is as under—

Rajasthan Exhibition, 1956. 2,61,625

Alwar Exhibition, 1959.4,37,476

After the Exhibitions, entryticket accounts were checked. Available counterfoils are in the office.

[कृपया परिशिष्ट ३ देखिए]

श्री पी०के० चौधरी : क्या यह सही है कि बहुत सी टिकट बुक्स थीं जो उनकी काउन्टर पर से चैक नहीं की गई?

श्री रामकिशोर व्यास : सब का चैक कर लिया गया So far checking is Concerned,

Page No.5

श्री पी॰ के॰ चौधरी : क्या यह सही है कि दस नये पैसे वाली टिकट की किताबों में से २६ से ६४ तक की बुक्स में से कुछ बुक्स मिसिंग हैं और फिर भी आपने बता दिया कि सब का चैकिंग कर लिया गया ?

श्री रामकिशोर : जी हां, कुछ मिसिंग हैं, यह मैंने जवाब में भी बताया है। नम्बर तो नहीं बता सकता। टिकटों का रोज शाम को चैकिंग हो जाया करता था और उनका पैसा भी साथ जमा हो जाता था। तो इसके बाद अगर वे मिसिंग भी हो गई तो उसकी कोई इम्पोर्टेन्स नहीं रहती।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : क्या यह जो लिस्ट दी है उसके बारे में यह सही है कि कोई भी लिस्ट चैक नहीं की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा तो नहीं है। रोज की रोज सारी किताबें चैक हो जाती हैं और रुपया जमा हो जाता है। इसके बाद अगर कोई मिस हो गई तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : I can produce a specimen copy Sir, It has not been checked.

श्री रामकिशोर व्यास : I don't deny.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : I can produce more. There are 100...

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : This is one of those ?

श्री पी॰ के॰ चौधरी : Yes Sir, which has been shown here and it has not been checked.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जितनी एग्जीविशन्स आप करते हैं उनमें कितना खर्चे का अंश आपको मिल जाता है टिकटों की सेल आदि से ?

श्री रामकिशोर व्यास : खर्चा पूरा रियलाइज नहीं होता है और इस गर्ज से की भी नहीं जाती, पब्लिक पर्पज से की जाती हैं।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : I will like to know have you shown that book no. 19 of 10 N. P. of Alwar has been checked and found correct ?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्जीबिशन के टाइम पर ही टिकट दिये जाते हैं। उसी दिन शाम को सब चैक होते हैं और उसके माफिक रुपया भी उसी दिन जमा हो जाता है। अगर उसके मुताबिक रुपया जमा न हो तब तो ऐतराज हो सकता है। अब रुपया जमा जब हो गया और इसके बाद कोई काउन्टर से उठा कर ले गया तो इसकी कोई इम्पोर्टेन्स नहीं रह गई।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : रुपया जब अकाउन्टेन्ट को दिया वह काउन्टर पर नहीं दिया गया। Whether the amount is correct or not ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको जिस साहब ने इत्तिला दी है माकूल इत्तिला नहीं

Page No.6

(श्री रामकिशोर व्यास)

दी । रुपया उसके अनुसार वही उसी दिन अलवर ट्रेजरी में ही जमा हो गया । रुपया जब जमा हो गया तो उसकी क्या कीमत रह गई अगर काउन्टर से मिस हो गये तो ?

श्री पी० के० चौधरी : When the accounts are given to the Accountant that so much amount has been received, he has to accept it without counterfoiled ...

श्री रामकिशोर व्यास : वह सम्भव हो सकता है । पर जैसा मैंने कहा रुपया टिकट इश्यू होने के बाद ही जमा हो गया । बाद में फाइल वगैरह जो थी वे आई । उनमें अगर काउन्टर मिसिंग हो गये तो कोई बड़ी गलती नहीं हुई । नहीं होती तो और भी अच्छा था पर हो गई तो उससे कोई पैसे पर अन्तर नहीं पड़ा ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : कौन से नम्बर तक चैक करके रकम जमा की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : आज इतने नम्बर तक टिकट बिके उस हिसाब से रुपया जमा हो गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : कौन से नम्बर तक चैक किया ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : He might have deposited the money but the accounts procedure ? When that amount goes to the Accountant he has to show them that this amount has been deposited in the Bank. The counterfoils have not been checked, whether 100 or 600 have been sold. Actual accounts procoedure is that the counterfoils should be there whether this has been sold or not.

श्री रामकिशोर व्यास : काउन्टर फाइल को जितनी इम्पोर्टेन्स दी जाती है उतनी इम्पोर्टेन्स वास्तव में है नहीं । वैसे तो पहले काउन्टर फाइल रखे ही नहीं जाते थे । यह तो हमने अभी अभी नया इन्ट्रोड्यूस किया है सिस्टम । छोटे छोटे टिकटों का क्या काउन्टर फाइल रखते ? दो, दो पैसे के टिकट के लिये क्या रखते ? हमने ५६ वाली एग्जीबिशन में रखे हैं । उसमें भी जितनी सेल हुई उनको चैक करके सारा रुपया डिपोजिट हो गया । फर्क क्या पड़ता है उसमें ?

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तरीका इसलिए अपनाया गया था कि पहले हिसाब नहीं रखा जाता था ?

श्री रामकिशोर व्यास : हिसाब तो पहले का भी है और अब का भी है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरवलाल 'काला बादल' ।

माध्यमिक शाला, जावर (झालावाड़)

४३१. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कस्बा जावर, जिला झालावाड़ के मिडिल स्कूल में किस किस क्लास में कितने

Page No.7

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

कितने छात्र हैं व इस कस्बे में मिडिल स्कूल कब खोला गया था ?

(२) आठवीं कक्षा के लिये १६ छात्र होते हुए भी आठवीं कक्षा चालू न करने का क्या कारण है ?

(३) गांव की जनता ने स्कूल में नये कमरे बनाने के लिये कितने रुपये ब्लॉक में जमा करवा रखे हैं ?

(४) इस कस्बे की जनता नई इमारत के बनने तक आठवीं कक्षा के छात्रों के बैठने की व्यवस्था करने को तैयार है तो फिर आठवीं क्लास खोलने में क्या आपत्ति है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) क्लास वाइज छात्र संख्या निम्न प्रकार है :

कक्षा १ ४०.

,, २ ३६.

,, ३ १२.

,, ४ ६.

,, ५ १७.

,, ६ १३ और

,, ७ ६.

कुल योग १२६

यह स्कूल जुलाई, १९५७ में मिडिल स्कूल बनाया गया था।

(२) इस वर्ष आठवीं कक्षा खोलने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(३) जनता ने २,०००) रु० नकद तथा १,०००) रुपया का बन्धक पत्र विकास खण्ड, मनोहर थाना में जमा कर दिया है।

(४) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : आठवीं कक्षा के आदेश कौन सी तारीख को हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख तो मेरे पास नहीं है। पर इस साल आठवीं क्लास खुल गई है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : वहां लड़कों का दाखिला हो गया इस साल ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हो गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अच्छी बात है। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दयाकृष्ण विजय।

पुलिस स्टेशन, कोटपुतली में हरे पेड़ काटकर माल चुराने सम्बन्धी की गई शिकायत

४३२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री हनुमान शरण के विरुद्ध चोरी से हरे पेड़ काट कर माल चुराने का केस पुलिस स्टेशन कोटपुतली में दर्ज कराया गया ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट अदम वकुआ तारीख १५–१२–५८ को दी जा चुकी थी जो अदालत एस० डी० एम० से १६–२–५६ को मन्जूर हुई ।

श्री दयाकृष्ण विजय : रजिस्टर कब कराया था, कौनसी तारीख को ?

श्री रामकिशोर व्यास : मोस्ट प्रोबेब्ली २७ अक्टूबर, '५८ ।

प्रश्न संख्या ४३३

श्री उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी चन्द ।
(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

पशुपालन विभागके रेन्डरपेस्ट अधिकारी को दौरे करने हेतु प्राप्त स्टेशन वैगन

४३४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि पशुपालन विभाग को रेन्डर रेपेस्ट स्कीम के अन्तर्गत रेन्डर पेस्ट अधिकारी के लिये एक स्टेशन वैगन दी गई है जिससे कि वे दौरा करके कार्य का निरीक्षण कर सकें ?

(ख) यदि हाँ, तो आज तक उन्होंने इस गाड़ी द्वारा कितना दौरा कहाँ कहां किया ? यदि दौरा नहीं किया, तो इस गाड़ी को किस कार्य में लाया जा रहा है ?

उप-मन्त्री, कृषि : (श्री दौलतराम सारण): (क) जी हां ।

(ख) दिनांक ४–७–५६ तक रेन्डर पेस्ट ऑफिसर ने १,७७४ मील का दौरा किया जिसका विस्तृत विवरण साथ दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि रेन्डरपेस्ट की इस गाड़ी ने ११,००० मील का दौरा किया है जब कि आपने १,७०० ही बताया ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास प्राप्त सूचना में १,७७४ ही है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इसे आप लॉग बुक से या माइलोमीटर से चैक कराने को तैयार हैं ? This one has been used and its report up to 11 thousand miles is against the rules .

पशुपालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): दूसरी गाड़ियों से भी वे दौरा कर सकते हैं । ६ गाड़ियां हैं उनके पास ६ क्षेत्रों के लिये । किसी में से दौरा कर सकते हैं । इसी व्हीकल में दौरा करें यह जरूरी नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : फिर इसी को रेन्डरपेस्ट डिपार्टमेंट का क्यों बताया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिटी के अन्दर भी तो काम काज से आते जाते हैं । डिपार्टमेंट के काम से भी आते हैं ।

Page No.9

श्री पी॰ के॰ चौधरी : क्या यह सही है कि एक गवर्नमेन्ट व्हीकल विद इन ५ माइल्स में यूज़ करने की किसी को भी ऑथेरिटी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो आज्ञा है उसका बराबर पालन किया गया है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : किया है या नहीं किया है ? His Headquarter is here and he is using it.......

श्री नाथूराम मिर्धा : ५ माइल्स के अन्दर कोई दौरा नहीं किया। जैसा रूल्स में है वैसा ही किया है। आपकी कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो आप मुझे बताईये मैं जांच करा लूंगा।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : आप उसकी जानकारी के लिए लॉग बुक प्रोड्यूस कीजिए। He has produced the log book...

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं हर एक आइटम को यहाँ बता सकूं यह तो मुमकिन नहीं है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : ११,००० में से जो आप बता रहे हैं उसको निकाल कर करीब ६,३०० माइल यह सारा का सारा जयपुर सिटी में दौरा किया गया है and you can check it.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने जो ११,००० मील का...

श्री पी॰ के॰ चौधरी : आपने जो १,७०० करीब बताया वह तो बाहर का दौरा बताया and the rest of the time it has been used in the City for which he is not entitled.

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर आप यह स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेते कि १,७०० मील का दौरा शहर ही शहर में किया है तो मैं भी आपको डिटेल्स दे देता।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : यह आप चैक कर लें और फिर दूसरी बात If the car is purchased for rainderpaste work why it is not sent there for actual work ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पार्टी के लिए तो ६ जीपें हैं वे अलग हैं और यह अलग से ऑफिसर के लिए है।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : यह ऑफिस में शो कीजिए Why you have shown it in the Rainderpaste ?

श्री नाथूराम मिर्धा : Because he is a Controlling officer.

श्री पी॰ के॰ चौधरी : He is Controlling officer for the Animal Husdandry and not...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

गर्ल्स हाई स्कूल, सिरोही की अध्यापिकाओं की संख्या

४३५. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state:—

(1) What is the total strength of teaching staff in the Girls High

(श्री मोहब्बतसिंह)

School at Sirohi and what is the qualification of each teacher ?

(2) Is the Government aware that this institution is lacking in qualified mistresses ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) गर्ल्स हाई स्कूल सिरोही में टीचर्स की संख्या ८ है। इनकी योग्यता की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री मोहब्बतसिंह : जो सदन की मेज पर कॉपी रखी गई है उसकी कॉपी मुझे नहीं दी गई। इसलिए कृपया इसकी योग्यता के बारे में यहां पढ़ कर सुना दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से कॉपी मैंने भेज दी है फिर भी आप सुन लीजिए :

१. एम० ए०, एल० टी०, बी० एड०

२. बी० ए०, बी० टी०

३. बी० ए०

४. एम० एस-सी०

५. मैट्रिक, जे० टी० सी०

६. मिडिल

७. बी० ए०

८. मैट्रिक

श्री मोहब्बतसिंह : ये जो आपने क्वालिफिकेशन्स बताई हैं इन क्वालिफिकेशन्स की मिस्ट्रेसेस वहां पर मौजूद हैं या उनकी नियुक्ति हो गई हैं और इन्होंने जो इन नहीं किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये ८ तो वहां पर मौजूद हैं और २ की कमी है।

श्री मोहब्बतसिंह : यह २ की कमी कब तक पूरी की जायेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वास्तव में ३ की कमी है २ की नहीं। उनको भेजने के लिए हमारे यहां से ऑर्डर्स हो गये हैं, उन्होंने जो इन नहीं किया है। अगर ज्वॉइन नहीं करते हैं तो इसमें सरकार क्या करे ? महकमे की कोशिश जारी है कि जल्दी से जल्दी इन खाली स्थानों की पूर्ति हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

राजकीयमहा विद्यालय, झालावाड़ द्वारा कुर्सियों का क्रय

४३६. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):** क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्रिन्सिपल, राजकीय विद्यालय; झालावाड़ (डिग्री कॉलेज) ने मार्च, सन् ५६ में कुछ कुर्सियां खरीदी थी ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(२) यदि हां, तो ये कुर्सियां किस फर्म से खरीदी गई तथा उक्त फर्म को इन कुर्सियों का कितना पेमेंट किया गया ?

(३) क्या कुर्सियां खरीदने से पहले टेन्डर मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) ये कुर्सियां सिन्को मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी, जयपुर से खरीदी गई थी। उक्त फर्म को ६०१ रु०, ५० नये पैसे दिये गये।

(३) जी नहीं। टेन्डर न मांगने के कारण निम्नलिखित हैं—

(अ) कॉलेज का फर्नीचर हाई स्कूल को बोर्ड की परीक्षा के लिए दिया गया और कॉलेज में फर्नीचर का सर्वथा अभाव हो गया।

(ब) लकड़ी का फर्नीचर कहीं से मिलने की आशा नहीं थी।

(स) कॉलेज की निजी वार्षिक परीक्षा शीघ्र ही प्रारम्भ होनेवाली थी और टेन्डर्स मंगा कर फर्नीचर खरीदने का समय नहीं था।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब परीक्षायें प्रारम्भ होनेवाली थीं और लकड़ी का फर्नीचर नहीं मिलता था तो पहले से ही इसका इन्तजाम क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्तजाम बहुत किया इसके लिए दो, तीन दफा टेन्डर्स भी आउट किये गये। लकड़ी के टेन्डर्स लोगों ने दिये भी और मंजूर भी हुए पर उन्होंने अवधि पर फर्नीचर सप्लाई नहीं किया और उसमें यह समय आ गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिन्होंने सप्लाई नहीं किया तो विद्यालय ने क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फर्नीचर डीलर्स से जो सिक्योरिटी लेते हैं वह जप्त हो जाती है अगर वह समय पर माल सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो।

प्र० सं० ४३७

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत कोटा जिले में किये गये कार्य

४३८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) सरकार ने कोटा जिले में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन के सिलसिले में अभी तक क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि छबड़ा तथा अटरू तहसील, जिला कोटा की जनता बहुत समय से नहरों के अभाव में ट्यूब वैल्स की मांग कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तहसील में शीघ्र ट्यूब वैल्स लगवायेगी ?

उप मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) कोटा जिले में "अधिक अन्न उपजाओ"

(श्री दौलतराम सारण)

आन्दोलन में जो कदम उठाये गये उनके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उसका तो उत्तर दिया ही नहीं गया है । यह सूची जो दी गई है यदि उसको पढ़ा जाये तो मालूम होगा कि सूची के अन्दर योजनाओं के नाम दिये गये हैं लेकिन कौन से कदम उठाये हैं, यह नहीं दिखाया गया है । तो आप बताइये कि क्या क्या कदम उठाये हैं, अलग अलग बता दीजिये ?

श्री दौलतराम सारण : एक लम्बी सूची है, उपाध्यक्ष महोदय, आज्ञा हो तो पढ दूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow reading of such long details.

श्री दयाकृष्ण विजय : जब उन्होंने लिखा है कि यह कदम उठाये जा सकते हैं तो अटरू और छबड़ा की जनता ने क्या वहां पर ट्यूब वैल्स की मांग की तो यह प्रश्न क्यों नहीं उठता ? "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन में तो वहां पर ट्यूब वैल्स लगाने की बात है तो उसको क्यों नहीं इसमें गिना है?

श्री दौलतराम सारण : आपने पूछा है कि क्या यह सही है कि 'छबड़ा तथा अटरू तहसील, जिला कोटा की जनता बहुत समय से नहरों के अभाव में ट्यूब वैल्स की मांग कर रही है' ? 'मैंने कहा' जी नहीं तो अब नीचे-वाले का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि यह इस प्रकार की मांग है कि एक ब्लॉक डवेलपमेंट कमेटी में भी इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि वहां पर ट्यूब वैल्स लगाने चाहिए ।

श्री दौलतराम सारण : लेकिन मैं तो अपने विभाग की ओर से ही उत्तर दे सकता हूं, चर्चा हुई होगी ।

प्रश्न संख्या ४३६

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

पुलिस विभाग में की गई पदोन्नतियां

४४०. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)**: क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) सन् १९५० से आज तक कौन कौन ऐसे हैड कॉन्स्टेबल्स हैं जिनको किशनगढ के ट्रेन्ड सब-इन्सपेक्टरों के समान प्रमोशन दिया गया है तथा उनकी क्या योग्यताएँ हैं ?

(२) इनमें ऐसे कौन कौन सब-इन्सपेक्टर हैं जिन्होंने अब तक कोई पुलिस ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की ?

(३) पुलिस विभाग में तरक्की देने का क्या तरीका है तथा किन किन बातों का विचार किया जाता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कोई नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) पुलिस विभाग में तरक्की अप्रुव्ड लिस्ट के आधार पर दी जाती है जो कि सेवाकाल, सीनियोरिटी एवं योग्यता के रेकॉर्ड को दृष्टि में रखते हुए तैयार की जाती है।

प्रश्न संख्या ४४१

श्री उपाध्यक्ष : भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४४२

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४३

श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४४

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री गज्या पटेल।

भण्डारी बन्ध की डूब में आये हुए मकानों का मुआवजा

४४५. श्री गज्या पटेल (दौसा-सु) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

क्या यह सही है कि भण्डारी बन्ध, तहसील सिकराय में जो जमीन, मकान व कुंए डूब में आये हैं उनका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : तहसील सिकराय के भंडारी बंध की डूब में आनेवाले मकान व कुंओं की मुआवजे की रकम सम्बन्धित कलेक्टर को वितरण हेतु भेज दी गई है।

जमीनों के मुआवजे के एवार्ड जिलाधीश की तरफ से प्राप्त होने पर उनका मुआवजा चुकाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : यह मामला १० साल से पेडिंग है?

श्री रामकिशोर व्यास : वह भेज दिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सारा मामला १० साल से पेडिंग है फिर भी मुआवजा नहीं दिया गया है?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस समय यह बन्ध जयपुर के जमाने में बना था तो उस समय करते ही नहीं थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मकानों का मुआवजा कितना तय हुआ था और कितना दिया जा चुका है?

श्री रामकिशोर व्यास : जितना देने को था उतना भेज दिया गया। वह ४०,००० के करीब है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अभी तक २७,००० ही दिया है और बाकी का नहीं दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह नहीं कह सकते हैं कि पैसा भेजा ही नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: जो मालिक मर गए उनके बेटे, पोतों को नहीं दिया और वापिस आ गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि ३७,३६४) रु० का चैक भेजा गया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: २७,०००रु० का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और का नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर लेने-वाले नहीं आयेंगे तो क्या करें ? इरिगेशन डिपार्टमेंट से कन्सर्न्ड है जितना मांगा था उतना भेज दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

तहसील अनूपगढ़ में खाद की बकाया रकम

४४६. **श्रीमती सतवंतकौर** (श्री करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार को तहसील अनूपगढ़ में खाद की कितनी रकम वसूल करनी बाकी है और कब से ?

(ख) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति के जिम्मे पिछले कई वर्षों से खाद की रकम ४०,०००) रु० बाकी चली आ रही है ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त रकम की वसूली का प्रबंध शीघ्र ही करेगी ?

उप मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए इसका उत्तर अगले टर्न पर दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

आत्म-हत्याएँ

४४७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

सन् १९५५ से आज तक राजस्थान में कितनी आत्म-हत्याएँ हुई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सन् १९५५ से अब तक (३१-७-५६) राजस्थान में १,४०३ हुई हैं।

श्री मूलचंद डागा : राजस्थान में यह आत्म-हत्याएं किन कारणों से ज्यादा होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अज्ञान से।

श्री मूलचन्द डागा : एक बात है, आपके यहाँ जो आत्म-हत्या करनेवाले होते हैं उनको तो आप सजा देते हैं लेकिन जो कर लेते हैं उनको आप क्या सजा देते हैं ?

(हँसी)

श्री रामकिशोर व्यास : उनको खुदा सजा देता है।

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सतवंतकौर।

विकास खंड, पदमपुर में हरिजन सदस्य की नियुक्ति

४४८. **श्रीमती सतवंतकौर** (श्री करणपुर): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती सत्वंतकौर)

(क) पदमपुर ब्लॉक में इस समय किस हरिजन सदस्य को नियुक्त किया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ब्लॉक समिति द्वारा कई माह पूर्व श्री हरिराम हरिजन को सदस्य चुना गया था ?

(ग) क्या यह सच है कि श्री हरिराम हरिजन के नाम की स्वीकृति नहीं दी जा रही है ?

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी कि विकास समिति के निर्णय को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री सम्पतराम) : (क) अभी तक कोई भी हरिजन सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है।

(घ) निकट भविष्य में ही लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना लागू होने के कारण अब ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जिला विकास व खण्ड विकास समितियों में नए सदस्य मनोनीत न किये जाएं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : लेकिन इस समिति ने हरिजन सदस्य का चुनाव करके कब भेजा था आपके पास ? हरिजन सदस्य का नाम कब भेज दिया गया था आपके पास ?

श्री संपतराम : निश्चित तारीख याद नहीं है। कलेक्टर ने २३-४-५६ को डवेलपमेंट डिपार्टमेंट को लिखा था कि ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी में इन्क्लूड कर दिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह निर्णय कब लिया गया ? यह नाम ४ महीने पहले दिया गया था और निर्णय दिया अब तो अब तक इतने दिन क्यों रखा उसको? उस वक्त निर्णय क्यों नहीं किया।

श्री संपतराम : इस संबन्ध में वह बिल विधान सभा में चल रहा है। उस पर विचार किया और जो गठन के बारे में रखा है तो उस वक्त दिमाग बना था कि मेम्बर नामजद नहीं करेंगे जब तक कि यह बिल पास नहीं होगा

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सिफारिश पहले आ गई थी और आदेश इतने बाद में दिये गये। तो नामजद करने में इतनी देरी क्यों की गई ?

श्री संपतराम : देर इसलिए की गई क्योंकि नामजद करना ठीक नहीं समझा गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

ट्रक नं० आर० एक्स० ५२ का पंजीकरण

४४६. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, यातायात विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) ट्रक नं० आर० जे० एक्स० ५२ का टोंक जिले में कब व किस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ ?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रक में टैक्स की कुछ रकम बकाया है । यदि हां, तो कितनी एवं क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ट्रक नं० आर० जे० एक्स ५२ का टोंक जिले में दिनांक- १८-१२-५० को श्री द्वारकादास पुत्र श्री बन्नामल सिन्धी, अजमेरी गेट जयपुर के नाम रजिस्ट्रेशन हुआ ।

(२) उपरोक्त ट्रक की टैक्स की बकाया रकम निम्न प्रकार है :—

१. सन् १९५१ के दूसरे क्वार्टर का २१५) रु० ।

२. सन् १९५७ के दूसरे क्वार्टर का २२०) रु० ।

३. मास जुलाई, १९५७ का ४२: ५० न० पै० । वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब कि ५१ का और सन् ५७ का टैक्स उसमें बकाया है तो रजिस्ट्रेशन कैन्सिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करना तो आखिरी रेमेडी है । जब कोई टैक्स नहीं देता है लगातार तो किया जाता है । यह तो दो टर्न का बकाया रहा है उसकी वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपकी आखिरी रेमेडी का सवाल नहीं है । उस पर टैक्स सन् ५२ का बकाया है उसे ७ साल हो गये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५७ दूसरे क्वार्टर का बकाया है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह एक बड़े अर्से का बकाया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सन् ५७ का २२०) रु० दूसरे क्वार्टर का बकाया है । इन दोनों क्वार्टर के बारे में यह उजर किया था पार्टी ने कि उसने उस समय में उसको किराये पर नहीं चलाया था । उसने सड़क खराब नहीं की थी । बीमार था इस वजह से मरम्मत में लगा हुआ था, इसलिए टैक्स माफ होना चाहिए । उसने इस तरह के उजरात कर रखे हैं । महकमा देख रहा है कि उसका कहना कितना वाजिब है और कितना नहीं है । उससे वसूल करना वाजिब होगा तो करेंगे । कैन्सिल करना तो कोई रेमेडी नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सन् ५१ से मामला पेन्डिंग है तो अब तक उसका फैसला क्यों नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मामले उलझन में पड़ जाते हैं तो १०, १० साल पूरे हो जाते हैं ।

प्रश्न संख्या ४५०

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४५१

डॉ० बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

Page No.17

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४५२ ।

श्री शीशराम ओला ।

(अनुपस्थित)

श्री हजारीलाल बाकोलिया ।

सिंचाई तालाब, तहसील केकड़ी

४५३. **श्री हजारीलाल बाकोलिया** (केकड़ी-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५५ से पहले तहसील केकड़ी में सिंचाई के सरकारी तालाब कोई भी नहीं थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन तालाबों में ९० प्रतिशत तालाब इस्तमरारदारों के थे तथा वे सब टूटीफूटी हालत में थे ?

(३) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनको सुधारने के लिए एक निश्चित धनराशि रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) सन् १९५६, ५७ व ५८ में इस धनराशि में से कितना कितना धन किस किस तालाब पर खर्च किया गया तथा सन् १९५९, ६० व ६१ में सरकार किन किन तालाबों की मरम्मत कराना चाहती है और उन पर कितना कितना धन खर्च करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी, हां ।

(२) केकड़ी तहसील के सारे सिंचाई तालाब इस्तमरारी थे और वे टूटीफूटी हालत में थे ।

(३) इनकी मरम्मत के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ लाख रुपयों का प्रावधान माइनर इर्रिगेशन वर्क्स के मद में है ।

(४) उक्त रकम में से अभी कोई खर्च नहीं किया गया है, परन्तु उक्त तालाबों की मरम्मत के लिए सन् ५६-५७, ५७-५८ व ५८-५९ में दूसरे मदों में से कुल १,६४,७०० रुपए ६६ तालाबों पर खर्च हो चुका है । इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

[कृपया परिशिष्ट ७ देखिए]

श्री हजारीलाल बाकोलिया : माननीय मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ लाख रुपये जो रखे गए थे वे खर्च नहीं हुए उसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बात यह है कि ५६ में आया है । उसके बाद सर्वे-वगैरह करनी पड़ेगी और १,६४,७००) रु० खर्च हुआ है ।

श्री हजारीलाल बाकोलिया : वे ८ लाख रुपए खर्च कब किए जायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : धीरे धीरे कर रहे हैं ।

श्री हजारीलाल बाकोलिया : क्या इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं होगा ?

Page No.18

श्री रामकिशोर व्यास : इकट्ठा तो खर्च नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे काम होता है, स्टाफ एवेलेबल होता है उस तरह से किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ४२५ का जबाब दिला दिया जाये तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

बहुधन्धी सहकारी समिति तथा चर्म-उद्योग सहकारी समिति, बनेड़ा (भीलवाड़ा) के हिसाब में घोटाला

४२५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर-श्री रामचन्द्र (डग सु०) द्वारा पूछा गया): क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में बहुधन्धी सहकारी समिति, बनेड़ा तथा चर्म उद्योग सहकारी समिति, बनेड़ा के नाम पर श्री कस्तूरचन्द मोची ने शेयर्स की कीमत के रूप में काफी रुपया इकट्ठा किया है ?

(२) यदि हां, तो कितना कितना रुपया इकट्ठा किया गया ? क्या यह सही है कि इस रकम का नियमित हिसाब नहीं रखा जाता ?

(३) क्या यह सही है कि इन समितियों को सरकार की ओर से हिस्सेदारों को कर्ज देने के लिए कुछ कर्ज मिला था ? यदि हां, तो कितना कितना और कब कब ?

(४) क्या यह सही है कि श्री कस्तूरचन्द द्वारा यह कर्ज शेयर होल्डर्स में नहीं बाँटा गया और शेयर होल्डर्स की ओर से इसकी कई बार शिकायत की गई लेकिन इसकी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण):

(१) जी हां, परन्तु बहुधन्धी सहकारी समिति के नाम पर नहीं, केवल चर्म उद्योग सहकारी समिति के नाम पर।

(२) १५ सदस्यों से १००) रु० प्रति सदस्य के हिसाब से १,५००) रु० इकट्ठा किया गया जिसका हिसाब समिति की केश-बुक में दर्ज है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। शेयर होल्डर्स को कर्ज देने को कर्ज ही नहीं लिया तो उनमें बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल एक बार शेयर होल्डर श्री दौलतराम ने शिकायत की। जो निराधार पाई गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या इस समिति की ओर से कोई कर्ज नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर दिया 'जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपने कहा कि हिसाब रखा जाता है तो उस हिसाब की जाँच की गई है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : केश बुक में १,५००) रु० दिया था उसका हिसाब मौजूद है।

Page No.19

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या इसको कोऑपरेटिव बैंक से कोई कर्ज नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह आप अलग से प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जायेगा।

श्री पी० के० चौधरी : यह अलग प्रश्न कैसे ? उससे संबंधित प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : संबंधित तो सरकार से कर देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सरकार ने सीधा कर्ज नहीं दिया ?

श्री दौलतराम सारण : नहीं देती है। यह तो माननीय सदस्य को सोचना चाहिए कि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बैंक जो सरकार द्वारा संचालित है और सरकार उसकी भागीदार है उसके कर्ज का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पर किस किस का कितना ऋण है।

श्री दौलतराम सारण : आप दुबारा पूछें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कहां से ऋण लिया है यह सारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को पता होता है। उसकी ऑडिट रिपोर्ट में आया होगा।

श्री दौलतराम सारण : कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में बहुत सी बातों का पता होता है। लेकिन माननीय सदस्य जो पूछते हैं उसका ही उत्तर दे सकते हैं। आप नहीं पूछते हैं उसका उत्तर कैसे दें ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बहुत सी बातें इधर उधर की करते हैं। लेकिन आपको पता है तो बताते क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह।

कोटपुतली तहसील के पाठशाला भवनों की मरम्मत

४३७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटपुतली तहसील में जिन भवनों में स्कूल चल रहे हैं उनकी मरम्मत एक दफा भी नहीं हुई ?

(२) क्या यह भी सही है कि नारेडा ग्राम में मरम्मत न होने के कारण मकान की छत भी करीब करीब टूट गई है ?

(३) क्या मरम्मत कराने की व्यवस्था अब शीघ्र ही की जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

बहुद्देशीय सोसाइटी, शुरसरा (किशनगढ़)

४३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर-श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया): क्या

Page No.20

(श्री भैरोंसिंह)

सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शुरसरा (किशनगढ़ तहसील) की बहुद्देशीय सोसाइटी में कुछ रकम का गबन, दुरुपयोग एवं नियमों के विपरीत रुपए तकसीम की शिकायतें संबंधित विभाग के पास पहुँची हैं ?

(२) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि इस मामले की जांच विभाग द्वारा करवाई गई है ?

(३) यदि हां, तो जांच किसके द्वारा हुई और उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

(४) रिपोर्ट कब पेश की गई और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण):

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : रजिस्ट्रार के पास शिकायत हुई है तो आप कैसे कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्राप्त सूचना के आधार पर निवेदन किया है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : शिकायत आपके पास नहीं आई है । रजिस्ट्रार के पास दी है ।

श्री दौलतराम सारण : उत्तर रजिस्ट्रार ने तैयार करके भेजा है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस संबंध में ऑडिट हुआ या नहीं, जांच हुई या नहीं, यह तो पता होगा ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह सवाल भ्रष्टाचार का है । गबन हुआ है और आप कहते हैं कि शिकायत नहीं हुई । सवाल यह रखा गया है कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं और आप कहते हैं कि अलग प्रश्न है ?

श्री दौलतराम सारण : अगर माननीय सदस्य इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से देखें तो उत्तर स्पष्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

माउन्ट आबू में शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इन्टरव्यू

४४१. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर-**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर) द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारियों के इन्टरव्यूज गत मई तथा जून माह में माउन्ट आबू पर लिए गए ? यदि हां, तो यह किस प्रकार के इन्टरव्यूज थे और इन्टरव्यूज लेनेवाले कौन कौन अधिकारी थे ?

(ख) किस किस श्रेणी के कितने कर्मचारी किस किस जगह से इन्टरव्यू में आए ।

Page No.21

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) इन्टरव्यू का स्थान आबू किन कारणों से निश्चित किया गया? इन्टरव्यू कितने दिन तक चला?

(घ) क्या इस प्रकार के इन्टरव्यू आबू में लिए जाने के लिए सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई थी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां। वह इन्टरव्यू प्रधानाध्यापकों के पद के लिए लिये गए थे। इन्टरव्यूज बोर्ड के सदस्य निम्न अधिकारी थे :

(१) चेयरमैन, पी. ऐस. सी.।

(२) शिक्षा सचिव।

(३) अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष।

(४) श्री आर. के. कौल. प्रिन्सीपल, टी. टी. कॉलेज, अजमेर।

(ख) जिस जिस जिले से जितने जितने कर्मचारी इन्टरव्यू के लिए आए थे उनकी संख्या निम्नलिखित है :

(१)	जिला जोधपुर	३४
(२)	जिला पाली	११
(३)	जिला सिरोही	१८
(४)	जिला जालोर	६
(५)	जिला बाडमेर	५
(६)	जिला नागोर	१८

(ग) इन्टरव्यू का आबू पर लेना चेयरमैन, पी. एस. सी. द्वारा निश्चित किया गया था। निश्चित करने का कारण यह था कि वहां पहले से ही पी. एस. सी. द्वारा अन्य पदों के लिए भी इन्टरव्यू चल रहे थे। इन्टरव्यू तीन दिन तक चले।

(घ) जी नहीं। कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार यह उचित समझती है कि उन अध्यापकों को अपने इन्टरव्यू के लिए आबू जैसे हिल स्टेशन पर जाकर खर्चा करना पड़ा वह उचित था?

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर डिविजन के लोगों के लिये अजमेर जितना ही आबू पड़ता है।

श्री मूलचन्द डागा : आबू जैसे हिल स्टेशन पर रहने का खर्चा और दूसरे शहरों में रहने का खर्चा क्या आप एकसा मानते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन लोगों की इच्छा भी घूमने फिरने की हो सकती थी। गर्मी का मौका था। वे लोग भी आबू जैसे हिल स्टेशन पर घूमना चाहते होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : वे लोग तो अपने भाग्य का फैसला कराने के लिए गये थे। वहां घूमने का कहां मौका था?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक डब्ल में दो मजा की बात हुई। हैड मास्टर भी बन गये और घूमना भी हो गया।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जोधपुरवालों की दृष्टि से आबू अच्छी जगह हो सकती है लेकिन दूसरे स्थानों से भी तो अध्यापक आये थे?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने शायद जवाब सुना नहीं। जोधपुर डिविजन के ७ जिलों के अध्यापकों को ही वहां बुलाया गया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या वहां पर पर आने जाने का खर्चा और खाने का खर्चा ज्यादा नहीं पड़ा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यापकों को कोई तकलीफ नहीं हुई। वे बहुत खुश हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

डा० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४५० का उत्तर दिया जाय।

कन्या पाठशाला ग्राम नारेड़ा, तहसील कोटपुतली

४५०. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कन्या पाठशाला, ग्राम नारेड़ा, तहसील कोटपुतली जुलाई, १९५८ से आज तक कितने दिन तक बिना अध्यापिका के रही ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी उक्त स्कूल में अध्यापिका की नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) कन्या पाठशाला, नारेड़ा जुलाई, सन् १९५८ से निम्नलिखित दिनों में बिना अध्यापिका के रही :—

तारीख १३- ११- ५८ से १५- १२- ५८. तक ३३ दिन।

तारीख १८- १२- ५८. से २४- १- ५९. तक ३८ दिन।

तारीख १- ७- ५९. से आज तक।

(२) अध्यापिका नियुक्त तो हो चुकी है, परन्तु अवकाश पर है। यह अध्यापिका तारीख ३१- ८- ५९. तक छुट्टी पर रहेगी।

श्री रामकरणसिंह : जो तिथियां बतलाई गई उनमें क्या इस स्कूल को खुला माना जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्कूल तो खुला है दूसरी स्कूल जो लड़कों की है उसके हैड मास्टर हैं उन्होंने स्कूल जारी रखी है। यह स्कूल सिंगल टीचर स्कूल है। लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था जारी है।

श्री रामकरणसिंह : जो मिडिल स्कूल के हैड मास्टर हैं उन्होंने इस स्कूल का प्रबन्ध

(श्री रामकरणसिंह)

नहीं किया है और न डिपार्टमेंट से सूचना मिली है कि प्रबन्ध करें। आपको विभाग ने जो सूचना दी है, वह गलत दी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यापिका की एब्सेन्स में हैड मास्टर ने स्वयं ने लड़कियों को पढ़ाया है। हमारे पास यह जानकारी है। अगर आप यह इत्तिला देते हैं कि यह जानकारी गलत है और आप जो कहते हैं वह फैक्ट है तो मैं और पूछताछ करूंगा। आपके फैक्ट्स सही हैं तो विभाग के साथ एक्शन लूंगा।

श्री रामकरणसिंह : अब तक अध्यापिका क्यों नहीं थी ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

Hon'ble Revenue Minister.

आधे घंटे की चर्चा

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Dy. Speaker Sir. On 12th I gave a notice for half an hour discussion and the date has not yet been fixed.

श्री उपाध्यक्ष : I am likely to receive it today.

श्री पी. के. चौधरी : Normally within a week, details should be given and it is over a fortnight.

श्री उपाध्यक्ष : Yes I realise it. The Government has unduly delayed it. I am trying to get it earlier. Yes. the Hon'ble Minister will please resume the debate.

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल अर्ज कर रहा था क्लॉज ६ के जवाब में, जिन माननीय सदस्यों ने पंचायत समिति का जो गठन है, उस बारे में ऐतराज किया था, अमेन्डमेंट किया है, उस बारे में मैंने कल अर्ज किया था कि जहां तक सरपंच का सम्बन्ध है उनके पंचायत समिति में रहने का कारण बतलाया था कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन का बेस और ऑपरेशनल यूनिट जो है वह पंचायत है। इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वह पंचायत के ज़रिये कराया जायेगा और पंचायत का एग्जीक्यूटिव हैड जो है वह सरपंच है। प्रोपर तरीके से एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है इसलिये सरपंच पंचायत समिति में रहे तो उचित रहेगा। अब रहा सवाल सरपंच के इलेक्शन का। यह धारणा गलत है कि या तो वह एक्स-ऑफिसियो, नोमिनेटेड की तरह रहेगा। फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनको नोमिनेट करने के बजाय ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन वे भूल गये कि पंचायत एक्ट में प्रोविज़न है और अगर उनको इलेक्शन का प्रोविज़न यदि ध्यान में होता तो यह ऐतराज नहीं करते। पार्ट (डी) में दिया गया है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसको पंचायत एक्ट के साथ पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा कि पंचायत में इलेक्शन खाली सरपंच का ही नहीं होता वह दो जगह के लिये होता है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

He is Sarpanch of the village Panchayat and he is also a member of the Panchayat Samiti. सब-क्लॉज (१) पार्ट (डी) में देखेंगे तो प्रोविज़न यह है कि वह पंचायत समिति में चुना गया है और वहां से स्तीफा देता है तो वह खाली पंचायत समिति से ही नहीं जाता बल्कि पंचायत से भी चला जाता है। वह डायरेक्ट इलेक्शन के जरिये पंचायत में चुना जाता है और डायरेक्ट एडल्ट फ्रेन्चाइज के जरिये चुना जाता है। उसकी कॉन्स्टीट्युएन्सी पंचायत है। उसमें रहनेवाले सब एडल्ट्स उसके वोटर्स हैं। इसलिये यह कहना कि इन्डायरेक्ट इलेक्शन है, वह एक्स-ऑफिशियो है या नोमिनेटेड है, यह सब निराधार है। वह बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। जो यूनिट है वह पंचायत है। उसके बीच का रहना आवश्यक है इसलिये इसको रखा है।

दूसरी बात तहसील पंचायत का जो सरपंच है उसके लिये ऐतराज किया गया है कि वह नहीं रहना चाहिये और उसको नहीं रखने के लिये उनके आर्गुमेन्ट्स हैं वे ये हैं कि उसके पास जुडिशियल अख्त्यारात होंगे और पॉवर और प्रेस्टिज होगी। बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने थ्योरी रखी थी कि जिसके पास पॉवर है उसकी प्रेस्टिज है और पंचायत समिति के सरपंच के पास फॉरमिडेबल पॉवर है। सारी पॉवर जुडिशियल की उसके पास होगी इसलिये वह लाज़िमीतौर से उसका प्रधान बन जायेगा and he will dictate. लेकिन मैंने अर्ज किया था कि तहसील पंचायत के सरपंच के लिये यह बात नहीं है कि वह यहां भी प्रधान बन जाय और वहां भी सरपंच बना रहे। यदि वह प्रधान बनेगा तो एडीशनल पंच वहां बनानेका प्रावधान है। इसके बारे में जब अमेन्डमेन्ट आयेगा तब देख लेंगे। यह खतरा नहीं है कि वह इतना पॉवरफुल होगा और सरपंच भी बनेगा और तहसील पंचायत में भी रहेगा, यह बात नहीं है। तहसील पंचायत के मेम्बर जो चुने हुए होते हैं उन लोगों में से जो सारी पंचायतों के मेम्बर्स या पंच मिल कर तहसील पंचायत के मेम्बर्स को चुनते हैं और उनके काम के बारे में मैंने जवाब में कहा था कि उनका काम काफी संतोषजनक रहा है और वास्तव में उनसे लोगोंको राहत मिली है। कुछ लोग कहते हैं कि दलीय आधार पर पंचायतों का चुनाव होता है। किसी दल के लोग ज्यादा आ जाते हैं और किसी के कम आते हैं। उनके इस कथन पर मैं ऐतराज नहीं कर सकता क्योंकि चुनाव का डेमोक्रेटिक मेथड है किसी दल के लोग कम संख्या में आते हैं तो वे जनता से अपने दल के ज्यादा लोगों को भेजने का प्रयत्न करें और ऐसा वातावरण बनावें। लेकिन चुनाव का मेथड बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। चुने हुए पंच डेमोक्रेटिक मेथड से आते हैं और जनता उनको चुनकर भेजती है। उनका काम केवल जुडिशियल काम ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव और डवेलपमेन्ट का काम करने का भी तहसील सरपंच को तजुर्बा होता है। इसलिये उसका रहना आवश्यक है। वह वहां पर गाइड एंड फिलोसफर का काम करेगा और अपने तजुर्बे के बिना पर सही सलाह देगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री दामोदरलाल व्यास : No. I am not prepared to be subject to any disturbance during my reply.

Page No.25

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble members not to disturb.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On point of Clarification, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order Please. points of clarification may please be collected and they may be put at the conclusion of the debate when they are permitted by the Chair.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा एक प्रश्न इस बात का आता है, इसलिए मैंने अर्ज किया कि तहसील पंचायत के सरपंच का जो सवाल है वह आवश्यक है। जहां तक सवाल इस बात का है कि एक पंचायत सर्किल का दो ब्लॉक्स में न बांटा जाय। इसके लिये ऐतराज किया गया कि सरपंच को दो ब्लॉक में रिप्रजेन्टेशन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जरूर होना चाहिए! इसलिए कि एक पंचायत के चार गांव हैं, उनमें से दो गांव एक ब्लॉक में चले जायें, और दो गांव दूसरे ब्लाक में चले जायें तो यह बात वाजिब नहीं है कि पंचायत अनरिप्रजेन्टेड रह जाय। माननीय सदस्यों का सुझाव यह है कि को-आप्शन कर ले दो ब्लॉक में से किसी में जाने के लिए। इस अनालोजी को ले लें तो जो वर्क का एक्जूक्यूशन है वह नहीं हो सकेगा। इसलिए सरपंच का दोनों ब्लॉक्स में जाना आवश्यक है ताकि एक्जीक्यूशन आसान हो सके........

श्री शंकरलाल (रायपुर) : दूसरे ब्लॉक में सरपंच........

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already submitted Sir that any Hon'ble Member wanting any clarification may put it at the end when I have finished. I have finished. It is not possible for me to reply......

श्री उपाध्यक्ष : Have I not given my observations? I think the Hon'ble Member has grasped it.

श्री पी॰के॰ चौधरी (फुलेरा): The Hon'ble Minister has omitted by giving......

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes that you can think.

Another amendment regarding letion of a Krishi Nipun at all level and in every village कृषि निपुण के लिए बहुत जोर से कहा गया। कुछ माननीय सदस्यों ने इसको सपोर्ट किया है कि उसका रहना जरूरी है और कुछ ने अपोज किया है। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कृषि निपुण को जो रखने का मकसद है। आज डिसेन्ट्रेलाइजेशन करने का जो मकसद है वह यह है कि हमें प्रोडेक्शन बढ़ाना है, एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन बढ़ाना है। इन एवरी रेस्पेक्ट एन्ड इन एवरी स्फीअर। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायत समिति में ऐसे लोग रहें। आप दलील दे सकते हैं कि वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिप्रजेन्टेटिव होगा। निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रिप्रजेन्टेटिव होने के साथ ही जिस मामूली काश्तकार ने अपने आधुनिक तरीके से खेती करके पैदावार बढ़ाई है और प्रोडक्शन करने में फर्स्ट नम्बर आया है तो उसका पंचायत समिति में रहना आवश्यक है ताकि वह उसके पंच, सरपंच और उसके दूसरे सदस्यों को जानकारी दे सके और खेती में अधिक पैदावार करने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के तरीके बतलाये कि किस तरह उसने अधिक पैदावार की । इसलिये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सही सलाह, प्रेक्टीकल सलाह पंचायत समिति को मिले, इसलिए उसका रहना आवश्यक है । जहां तक कृषि निपुण का सवाल है कि किस तरह कृषि निपुण को डिक्लेअर किया जायेगा, उसके लिये रूल्स एक्जिस्टेन्स में हैं । एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रूल्स के अनुसार हर साल कहीं न कहीं कॉम्पिटीशन करता है और प्रत्येक किसान को अधिकार है कि वह उसमें भाग ले और उसमें सलेक्ट करने का सीधा तरीका है, क्रोप कटिंग के बेसिस पर जानलिया जाता है कि एक एकड़ में कितनी पैदावार हुई है । जिसकी सबसे ज्यादा पैदावार होगी, जिसने मिनिमम तरीके और सीड को काम में लेकर पैदावार बढ़ाई है उसको कृषि निपुण डिक्लेअर किया जायेगा । उसके लिए रूल्स बने हुए हैं और जिला परिषद् उसको डिक्लेअर करेगी और वह देखेगी कि कॉम्पिटीशन में फेअरनेस बर्ती गई है, रूल्स ऑब्जर्व किये गये हैं और किसी के साथ अनजस्टिस तो नहीं हुई है । उसके बाद वह डिक्लेअर करेगी और जो कॉम्पिटीटर उसमें भाग लेते हैं उनको अधिकार होगा कि वह ज़िला परिषद् के सामने अपनी बात रख सकें, रिप्रजेन्टेशन कर सकें, किसी को शिकायत करने का मौका न रहे कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, इसलिये उसे बड़े डेमोक्रेटिक वे में डिक्लेअर किया जायेगा । इस आधार पर जिस किसान ने अधिक पैदावार की है, पैदावार बढाई है, उसकी राय से पंचायत समिति को फायदा होनेवाला है । इसलिए कृषि निपुण का रखना आवश्यक है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : नाम को बदलने का सवाल है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, आपने एक संशोधन रखा और आपने कृषि निपुण के लिये कहा कि कृषि निपुण मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर को कहते हैं । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । इसलिये सहमत नहीं हूँ कि जैसा मैंने निवेदन किया था कि कृषि पंडित ऑल इण्डिया लेवल का नाम है । हर जगह कृषि पण्डित का नाम रखा गया है । हमने अपने यहां कृषि निपुण का नाम दिया है । इसलिए इसको तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है ।

इसके बाद कुछ माननीय सदस्यों ने महिलाओं तक को नहीं बख्शा । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एक महिला होनी चाहिये, दो नहीं होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि उसका जबाब अलवर से आई हुई सदस्या ने बहुत अच्छी तरह से, सुन्दरता से दे दिया है, उसकी तारीफ किये बिना मैं नहीं रह सकता ।

(हँसी)

और वे अब जबाब के मोहताज नहीं हैं । मैं समझता हूं कि दो महिला सदस्याओं का रहना आवश्यक है । मैं तो समझता हूँ कि दो महिला भी कम हैं । लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य विरोध करते हैं इसलिए नम्बर बढ़ाने के लिए नहीं सोचता हूं लेकिन अगर महिला रिप्रजेन्टेशन नहीं कर सकीं तो आगे संख्या बढ़ाने का विचार किया जा सकता है ।

Page No.27

श्री पी०के० चौधरी : The Hon'ble Member has become irresistible to the Hon'ble Minister

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बाद शिड्यूल्ड कास्ट्स का और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न आया। इसमें ज्यादा विरोध नहीं है मगर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर वे डाइरेक्टली इलेक्शन में आ जाय, तो भी शिड्यूल्ड कास्ट का ऑप्सन होना चाहिए। दूसरी राय रही है कि यह रिजर्वेशन गलत है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि जातिवाद के आधार पर कॉप्सन नहीं होना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कॉन्स-टीच्यूशन में भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन किया है उसके पीछे भी बैक ग्राउन्ड है, इसलिए इसको भूल नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि जातिवाद को लाना उसूलन ठीक नहीं है लेकिन आज की परिस्थिति के अन्दर यह आवश्यक है कि जो माइनर कम्युनिटी है उनका रिप्रजेन्टेशन होना चाहिए और उनका रिप्रजेन्टेशन हो जाय तो उसको एन्स्योर करने के लिए यह आवश्यक है कि कोप्सन का अधिकार दें और उनका रिप्रजेन्टेशन हो जाय। रहा सवाल यह कि वे इलेक्शन से आ जायें तो समझता हूँ कि अगर इलेक्शन से उनका रिप्रजेन्टेशन हो जाता है तो फिर कोप्सन करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रोविजन रखना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कोप्सन के लिए जो इसमें प्रोविजन रखा है वह ठीक है। यही बात शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। उसमें पर्सेन्टेज रखा गया है, फाइव पर्सेन्ट। मैं समझता हूँ कि उनको रिप्रजेन्टेशन मिलना चाहिए, जहां वे बढ़ जांय।

इसके बाद माननीय सदस्यों ने ऐतराज किया कि जो दो कोप्टेड मेम्बर्स को डिस्ट्रिक्ट से लेने की बात है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हैल्थ, रूरल डवेलपमेंट का एक्सपी-रियेन्स हो उनको नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके दिमाग में यह बात रही होगी कि शायद सत्ताधारी दल अपने आद-मियों को घुसेड़ न दे। मैं अर्ज करूं कि इसमें नोमीनेशन का सवाल नहीं है, इनको कोऑप्ट करेंगे और कोऑप्ट कौन करेंगे? वे करेंगे जो सरपंच हैं सारी पंचायतों के। अगर वे किसी खास दल के आदमियों को, उसके उसूलों को पसन्द करते हैं तो उनको उसके लिए रोक नहीं सकते। यह एक डेमोक्रेटिक मेथड है और यदि वे इस विचारधारा से किसी आदमी को कोऑप्ट करते हैं तो उसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। कुछ माननीय सदस्य समझते हैं कि गाँवमें एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हैल्थ और रूरल डवेलपमेंट का क्या एक्सपीरियेन्स होगा। मैं समझता हूं कि इतने सरपंच बैठेंगे और जिनका रूरल आउट लुक है, जो इस बात को जानते हैं पंचायत समिति के अन्दर किस आदमी का आना उचित होगा, जो आदमी उपयुक्त होगा वे उसको इस काम के लिए पसन्द करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इसमें कोई दखल नहीं है, वे कोई दखल नहीं देंगे। कोप्सन सरपंच के द्वारा होगा। इसलिए यह मान लेना चाहिए कि जो क्राइटेरिया रखा हुआ है उसको वे सही तरीके से काम में लेंगे। इसके साथ ही एक माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट दिया है कि आखिर डिस्प्यूट तो तो हर बात पर हो सकता है। हर आदमी का एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हैल्थ और रूरल डवेलपमेंट के सम्बन्ध में डिस्प्यूट हो सकता है। इसके लिए एक माननीय सदस्य

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने अमेंडमेंट दिया है। उसके लिए मैं बाद में अर्ज करूंगा और मैं स्वीकार करूंगा कि उसका अन्तिम निर्णय गर्वनमेंट पर छोड़ना चाहिए। अगर इसको गर्वनमेंट के ऊपर नहीं छोड़ते हैं तो इसका अन्त नहीं होगा और पंचायत समिति डीसेन्ट्रलाइजेशन के बाद सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी। तो वह अमेंडमेंट जब आयेगा, तब मैं अर्ज करूंगा, तब मैं उसको मंजूर करूंगा।

इसके अलावा तहसील पंचायत के सरपंच के लिये एक माननीय सदस्य ने कहा कि ८ में प्रोविजन नहीं है। मैंने कहा कि क्लॉज ८ में प्रोविजन है। उससे गवर्नमेंट की मंशा पूरी होती है और तहसील पंचायत का सरपंच ज्यों ही पंचायत समिति में प्रधान चुना जायेगा उसमें रहने के लायक नहीं होगा।

जहां तक दो ब्लॉक्स में एक पंच के रिप्रेजेन्ट करने का है तो इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि तहसील पंचायत के सरपंच का रिप्रेजेन्टेशन, २२ आदमियों को, डायरेक्टली चुने हुओं को पंचायत के कुल पंचों ने चुन कर भेजा है। काफी बड़ा रिप्रेजेन्टेशन है। उनको इस पंचायत समिति से अलग रखना, रिप्रेजेन्टेशन का मौका नहीं देना उचित नहीं होगा।

श्री पी० के० चौधरी : पंचायतें जो दो, तीन जगह विभक्त हो गई हैं उनका क्या होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया है कि Reconstitution of blocks is under consideration, reconstitution of Panchayats भी होगा, उसमें ब्लॉक्स, तहसीलों और पंचायतों का रीकॉन्सटीट्यूशन ऐसा किया जायेगा कि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो। ऐसा नहीं होगा कि एक पंचायत को डिवाइड करके दो ब्लॉक्स में रखें। एक तहसील पंचायत दो, तीन ब्लॉक्स में जा सकती है तो इस स्थिति को देखते हुए हमने इस बात का प्रावधान रखा है। तो Reconstitution of Panchayat Tehsil and Blocks में इस बात का ध्यान रखा जायेगा एक पंचायत समिति एक ब्लॉक में रिप्रेजेन्टेड हो, एक तहसील पंचायत एक ब्लॉक में रिप्रेजेन्टेड हो और तहसीलों को भी ब्लॉक्स की सीमा के बराबर रखने की कोशिश की जायेगी। हो सकता है कि आबादी के लिहाज से, लैंड रैवेन्यू के लिहाज से बड़ी तहसीलें भी बनानी पड़ें। आज राजस्थान में २० हजार की आबादी की तहसीलें भी हैं और कई १,००,००० लाख की आबादी की तहसीलें भी हैं, तो यह कहना कि ब्लॉक से तहसील को बराबर मिला दो तो यह अभी सम्भव नहीं। जब कि दो अक्टूबर को हम यह लागू करने जा रहे हैं तो एक दम यह सब करना सम्भव नहीं। पंचायतों को रीकॉन्सटीट्यूट करना पड़ेगा जैसा कि मैंने कहा १,५०० से २,००० तक की होंगी। उस समय यह स्थिति बहुत मिनिमाइज हो जायेगी और उस समय कोशिश की जायेगी कि इस तरह की बात न रहे।

अब जो अमेन्डमेण्ट माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं उनके लिए अर्ज करूंगा कि कौन कौन से स्वीकार करना चाहता हूं और कौन कौन से मुझे स्वीकार नहीं हैं।

Page No.29

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शाहपुरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट पेश किये हैं उनमें से सीरियल नं० २८, २६ और ६१ पर जो अमेंडमेंट्स हैं उनको स्वीकार करता हूं। इस उसूल के ऊपर स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Name of the Honbie Member ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Hon'ble Shri Ram Prasad Ladha. Amendment No. 28, for adding another proviso at the end of part (iv) in subclause (2):—

"Provided further that in case of a dispute whether any person has experience in administration, public life or rural development beneficial to the Panchayat Samiti or not, the decision of the State Government shall be final." And No. 29, for adding another proviso at the end of the clause as follows:—

"Provided further that if any person is co-opted under this sub-section for more than one block, he shall not hold office of the Pradhan or Up-Pradhan in more than one block."

यह जो माननीय सदस्यों को एप्रेहेन्सन था उसको दूर करने के लिये हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। Then other Amendment is at Serial No 61. इसके लिये मैं अर्ज करता हूँ कि यह यहां उपयुक्त नहीं है, यहाँ स्वीकार करना ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यहां वे इसे विड्रा कर लें। जहां एम० एल० एज० का पंचायत समिति में रहना जरूरी है, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काफी रोशनी डाली थी और कहा था कि क्यों नहीं रखा जाय। मुझे सबसे ज्यादा उपयुक्त बात लगी बैराठ से आनेवाले माननीय सदस्य श्री मुकीलालजी मोदी की, जो अभी यहां उपस्थित नहीं हैं।

(हँसी)

उनको चायना, रशिया आदि देशों का काफी अच्छा तजुर्बा है और वे लोकल बॉडीज में भी काफी माहिर हैं, उनकी स्टडी है। उन्होंने विचार धारा रखी वह उपयुक्त है, उनका विरोध ठीक है। पर हमें पंचायत समितियों में जहां लोकल लीडरशिप पैदा करनी है, वहां इनिशियेटिव उनके हाथों में देना है। जब तक रूरल एरियां में पंचों के हाथ में इनिशियेटिव नहीं होगा, लोकल लीडरशिप नहीं होगी तब तक वहां विकास नहीं हो सकता, वहाँ डवेलपमेंट नहीं हो सकता इसलिये हम चाहते हैं कि उनमें लोकल लीडरशिप पैदा हो और वे इनिशियेटिव लें।

पर साथ ही साथ एम० एल० एज० पंचायत समिति को सलाह मशविरा दे सकें, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझता हूं कि पंचायत समिति में एम. एल. एज. रहें पर इसलिये रहें कि वहां उसकी डेलिबरेशन्स में हिस्सा ले सकें, पंचायत समिति को एडवाइस कर सकें पर पंचायत समिति के सदस्यों को ही इन्डिपेन्डेन्टली डिसीजन लेने का मौका दें, किसी चीज के निर्णय के लिये वोट न दें, किसी पद के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चुनाव वगैरह के लिये खड़े न हों। यह यहां उपयुक्त नहीं होगा इसलिये शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सीरियल नं० ६६ पर उनका जो संशोधन है उसको वे विड्रा कर लें।

सीरियल नं० ६१ पर उनका अमेंडमेंट है उसको मैं स्वीकार करता हूं :

1. In the first line after the words 'cf a Panchayat' add the following words 'or the Sarpanch and Up-sarpanch of a Tehsil Panchayat'.

2. After the words 'Panchayat' in the second line add the words 'or Tehsil Panchayat."

इस तरह से इसको मंजूर करने से रिडन्डेन्ट से वर्ड हो जायेंगे। इसलिये जहां पंचायत है उसके आगे तहसील पंचायत एड करने से काम हो जायेगा। इसलिये :

In the first line after the words "of a Panchayat" add the words "or Tehsil Panchayat".

क्योंकि पंच और सरपंच इसमें आ चुके हैं, पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच, सारे पंच And Sarpanch and Up-sarpanch of Tehsil Panchayat. The re-drafted clause will be:—

"If the offices of both the Sarpanch and Up-sarpanch of a Panchayat or Tehsil Panchayat in the block is vacant..." The words "Sarpanch and Up-sarpanch of a" will be redundant, because they have already come,

श्री उपाध्यक्ष : Whose amendment is this ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Hon'ble Shri Ram Prashad Ladha's.

श्री पी० के० चौधरी : If the Tehsil Panchayat is outside the Block ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He will be represented in all the Blocks. And I have given you an assurance that every possible attempt will be made that the boundaries of Tehsil Panchayat and Blocks are set in proper order. इनको बराबर मिलाने की कोशिश की जायेगी पर अभी जो पोजिशन है उसमें यह रखना जरूरी है।

Then there is my amendment, Sir, at S.No. 69. It is a formal amendment.

In part (e) of the Proviso, after the words 'superseded Panchayat' insert 'or where any Panchayat is not functioning at the relevant time.' There may be cases in which there may not be any supersession but the Panchayat may not be in existence also. इस बात के लिये यह जरूरी है इसलिये इसे रखा है "or where any Panchayat is not functioning at the relevant time." कहीं कोई इलेक्शन नहीं हुआ हो जैसे आज अजमेर के एरिया में कई स्थान ऐसे हैं जहां इलेक्शन नहीं हुए हैं इसलिये यह अमेन्डमेंट लाना जरूरी है कि Insert the

(श्री दामोदरलाल व्यास)

words "or where any Panchayat is not functioning at the relevant time." वह जो प्रोविजन क्लॉज ६ (१) इसमें है that will apply to that case also. ये अमेन्डमेंट तो मुझे स्वीकार करने थे उसके सम्बन्ध में आपको अर्ज किया है। इसके अलावा और जो अमेन्डमेंट है जिनको नामंजूर करने के कारण मैंने आपको और सदन को बता दिया कि उनको मैं क्यों स्वीकार नहीं करने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अब मैं उन माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि जिन अमेंडमेंटों को मैंने स्वीकार नहीं किये हैं उनको विथड्रा कर लें।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपने पंचायतों के लिये कह दिया है लेकिन जहां पर म्यूनिसिपेलिटीज़ का इलेक्शन नहीं हुआ है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है उसके सम्बन्ध में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक म्यूनिसिपेलिटीज का सम्बन्ध है जो ८ हजार से कम की आबादी की होगी वे पंचायतों में कन्वर्ट हो जावेगी immediately on the coming into force of this Act और जब वे पंचायतों में कन्वर्ट हो जावेंगी तो उनके चेअरमैन, वाइस चेअरमैन और सदस्य हैं वहां के सरपंच, उप-सरपंच और पंचायत के सदस्य हो जावेंगे। मगर जहां ऐसा नहीं होगा जैसा उनके दिमाग में है तो उसके लिये अलग से ६ (३) में है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेने की स्वीकृति चाहता हूं। सदन मुझे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने क्लॉज ६ पर प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६ पर श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उनको विथड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर:) मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ६ पर श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जिस समय उत्तर दे रहे थे उस समय मैंने दो तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता था लेकिन माननीय सदस्य ने जबाब दिया और एक संशोधन स्वीकार किया है उससे श्री लड्ढा के सारे संशोधनों को बिगाड़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : Whether you are withdrawing or not ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कल आपने कहा था कि स्पष्टीकरण हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह स्टेज तो चला गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने कल कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : Then I am putti it to vote.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है, उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री लक्ष्मण हीरात।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री लक्ष्मण हीरात ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री तेजाराम गहलोत।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजाराम गहलोत ने रखा है उसको स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचन्द डागा ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw my amendment.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं अपना संशोधन वापिस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No.33

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा): I beg to withdraw amendment No. 66 which has not been accepted.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन सीरियल नं० ६६ पर श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment No. 66.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने सीरियल नं० २८, २६ और ३१ पर रखे हैं उन्हें स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

राजा श्री मानसिंह (बैर): I press my amendments, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंकरलाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : राव श्री नारायणसिंह।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन राव श्री नारायणसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ संशोधित....

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) Point of order Sir. There are some additions to this clause in the errata. Wnen the debata was going on general principles of the Bill, you gave a ruling that this will be decided when the question was taken clause by clause, then the Hon'ble Minister will have to make a fresh motion for inclusion of errata into this clause. So here in clause 6 certain changes have been made by way of errata; e. g. the

Page No.34

(श्री पी० के० चौधरी)

word 'residing' has been omitted and 'public health' has been substituted by 'public life' These are in the corrigendum. Now this corrigendum cannot be included in the clause without a motion from the Hon'ble Minister.

श्री उपाध्यक्ष Mr. Chaudhary, are you so particular about this, especially when the corrigendum has been issuued ? They should be treated to been corrected.

श्री पी० के० चौधरी : The whole issue arises on Rule 69 which reads—

"After the presentation of the final report of a Select Committee of the House on a Bill, the member ncharge may move.

(a) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration."

So we cannot discuss this Bill until all the amendments in the corrigendum are so introduced by the Hon'ble Minister that they be deemed to be a part of the report or - Bill. At that time the Chair said that we are considering the report and not the amended Bill and a ruling was given that the stage for its inclusion or consideration will arise when the clause by clause consideration will be taken up. Now before we pass the clause, either the Minister will have to make a motion that this corrigendum be incorporated in the Bill or he will have to move amendments.

श्री उपाध्यक्ष (श्री दामोदरलाल व्यास से): Yes, how do you explain ?

श्री दामदोरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): When the corrigendum as been issued that should form a part of the Bill as reported by the Select Committee, and there cannot be two interpretations to this point. What is the purpose of issuing a corrigendum then ? It is issued only when there are certain accidental mistakes. So no question arises for my moving any motion for their incorporation or taking them into consideration.

श्री पी०के० चौधरी : Sir, it was explained by the Hon'ble. Minister that the report does not contain everything that transpired in the Select Committee when it was pointed out that there were some discrepancies between the report and the amended Bill. Some discrepancies he accepted and for others he said that the report did not contain all the details of the meetings of Select Committee, but the Bill is supposed to contain all the additions and alterations suggested by the Select Committee. So we cannot consider this errata when it is neither in the amended Bill nor In the report. So unless a motion is made that they are part of the Bill as reported by the Select committee we cannot take them into consideration.

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, we had enough discussion on this at

(श्री दामोदरलाल व्यास)

that time. The point is very clear that once a Bill is circulated and a corrigendum is also circulated, then it does form a part of the Bill. I have already said that the report of course does not contian everything that transpired in the Select Committee meetings and for that we will have to look to the minutes. If the Hon'ble Member is not Convinced, you can convince him by referring to the minutes of the Select committee. So far as corrigendum is concerned, it should form a part of the amended Bill as it is and there is no necessity of any separate motion for taking it into consideration.

श्री पी० के० चौधरी : It is not a point of convincing me Hon'ble Deputy Spaker, Sir. The point is that he made a motion about the amended Bill which did not contain this corrigendum and this corrigendum has been issued later on. So this corrigendum can be included in the Bill after a motion. Other wise he may make amendments. Either he should make a motion for the inclusion of this corrigendum or bring amendments for corrections in the Bill becase this corrigendum was circulated after the Bill was prsented by him.

श्री उपाध्यक्ष : I treat this as misprints because of printing in the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : Point of information. It is not mis-print. There is a lot of difference between Public health and Public life.

श्री उपाध्यक्ष : Even under Rule 87, such patent errors can be cured by the Chair as provided therein. The corrigendum hasbeen issued and so we go ahead with the Bill.

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): Sir, Rule 87 is when the Bill is passed by the House.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): रूलिंग हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Now you study for some other occasion.

श्री उपाध्यक्ष : ६–ए।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have given an amendment to clause 6-A. I submitted it yesterday.

श्री उपाध्यक्ष : At what time ?

श्री पी० के० चौधरी : In the afternoon, Sir.

Page No.36

श्री उपाध्यक्ष : So it has been treated as if it has been received today.

श्री पी० के० चौधरी : But the Chair has got discretion to allow me Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): That is subject to the condition that nobody has any objection. But I have got strongest objection to your amendment.

श्री पी० के० चौधरी : Then I oppose the whole clause 6-A.

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छा मैं लेता हूं what is your amendment ?

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Minister does not object to it.

श्री दामोदरलाल व्यास : Very well, Sir. If it is worthwhile having that discussion, I don't mind.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने धारा ६ के अन्दर संशोधन रखते हुए यह निवेदन किया था कि जहां एक ही पंचायत क्षेत्र दो विकास समितियों के अन्तर्गत आता हो तो एक मिटिंग में सरपंच चला जाय और दूसरी में उप-सरपंच चला जाय और यदि तीन विकास समितियां हों तो तीसरी में एक पंच चला जाय । कौनसी विकास क्षेत्र की मिटिंग में सरपंच जाय, कौनसी में उप-सरपंच जाय और कौनसी में पंच जाय ? यह पंचायत की बैठक मिलकर तय कर ले । लिए मैंने ६–ए में उससे जुड़ता हुआ अमेन्डमेन्ट रखा है । जैसा कि क्लॉज ६–ए है :—

"6 A. Additional Member of Panchayat Samiti....The Sarpanch or Up-Sarpanch of a Panchayat or a Tehsil Penchayat who vacates his office as such under sub-section (4A) of section 8 because of his having been elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti shall be the additional member of such Panchayat Samiti."

इसमें सरपंच और उप-सरपंच के आगे मैंने पंच शब्द और जोड़ा है । यह इसलिए जोड़ा है कि पंच विकास समिति में जाता है प्रधान हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है और इसलिए निवेदन किया था कि जो संशोधन रखा था उसका तो जवाब नहीं दिया गया, वह विकेन्द्रीकरण की भावना से आवश्यक था। यह बड़ा हो जायेगा एक सरपंच के लिए भी कि वह दो, तीन विकास समिति की बैठकों में जाय । यह उसके लिए भी मुश्किल होगा । वह सब कमेटियों में जा नहीं सकेगा । जहां आप विकेन्द्रीकरण चाहते हैं और चाहते हैं कि विकास समितियों में प्रोपर रिप्रेजेन्टेशन हो तो यह रखना होगा कि विकास समिति में एक ही आदमी जावे । यह उस सर्किल के लिए....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): I want to draw the attention of the Hon'ble Member that his similar amendment to clause 6 has already been rejected by the House and, as such, this amendment cannot come under clause 6-A.

श्री शंकरलाल : उसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर भी नहीं दिया था ।

(श्री शंकरलाल)

जब मैं कह रहा था तो कहा गया कि बीच में इन्टरफियरेन्स नहीं होना चाहिये।

अनेक माननीय सदस्य: जवाब दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : Then it should not be taken in clause 6 A.

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ६-ए में मेरा एक अमेन्डमेन्ट है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट दिया है वह सर्क्युलेट नहीं हुआ है या तो उसे सर्क्युलेट किया जाय या पढ़कर सुना दिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : I will read it. At the end of clause 6 A, add the words :-

"Provided that he shall not have any right of vote except that of casting vote."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो यह अमेन्डमेन्ट है वह सलेक्ट कमेटी की जो इन्टेन्सन्स हैं उसको क्लेरिफाइ करने के लिये है। क्योंकि मुझे यह महसूस हो रहा है कि सलेक्ट कमेटी की जो मन्शा है उसका मिस-इन्टरप्रिटेशन्स हो सकता है। ऐसा सरपंच जो पंचायत समिति का या जिला परिषद् का प्रधान चुना जायेगा तो उसको उन पंचायत समिति से स्तीफा देने का रखा है।

"The Sarpunch or Up-Surpanch of a Panchayat or a Tehsil Panchayat who vacates his office as such under sub-section (4 A) of Section 8 because of his having been elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti shall be the additional member of such Panchayat Samiti." और मेरा अमेंडमेंट इसके बाद आता है "Provided that he shall not have any right of vote except that of casting vote."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सलेक्ट कमेटी का इन्टेन्शन बिल्कुल साफ था लेकिन उसको क्लेरिफाइ नहीं किया गया है। इसलिये मैंने रखा है कि ऐसा जो सरपंच होगा जो पंचायत समिति का प्रधान बनने की वजह से पंचायत से स्तीफा दे दे। दूसरा सरपंच जो चुन कर आ जाता है तो उसका सिर्फ कास्टिंग वोट रहना चाहिये दूसरा नहीं रहना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि एडीशनल मेम्बर्स के क्या-क्या फंक्शन्स होंगे वे भी डिफाइन होने चाहिये। उसी को क्लेरिफाइ करने के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है। जिस प्रकार एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के फंक्शन्स में फर्क रहता है There is difference; he will be an additional member, not a fullfledged member.

इसी प्रकार डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन और एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के फंक्शन्स और पावर्स में भी फर्क है। For the purpese एडीशनल कलेक्टर और कलेक्टर को भी अलग-अलग माना है। इसके लिये डेफिनेशन '2' देखिये:-

(श्री पी० के० चौधरी)

"Additional Collector" means the officer appointed with that definition by the State Government. इसमें सबको डिफाइन किया गया है। एडीशनल मेम्बर को डिफाइन नहीं किया गया है। जो एक्स–पेक्टेड सेन्स हैं We have to take the word additional member in its ordinary sense. अमेन्डमेन्ट को क्लेरिफाइ करने के लिये, इन्टेन्शन को और साफ करने के लिये what it wanted to say इसी को क्लेरिफाइ करने के लिये रखा है।

तीसरी बात, मान लीजिये आप यदि इसको स्वीकार नहीं करते हैं और एडीशनल मेम्बर को राइट ऑफ वोट रह जाता है तो यह संविधान का वायोलेशन होगा। It will be discrimination under Article 14 of the Constitution. Every citizen has got equality before law. कानून के सामने सब की इक्वीलिटी है। पंचायत एरिया के लिये जो मैंने अमेन्डमेन्ट दिया है उसको मंजूर नहीं करेंगे जैसा कि माननीय मंत्री महोदय हंस रहे थे तो जहां आपने एक मेम्बर को जो एडीशनल मेम्बर की हैसियत से है उसको दो वोट देने का अधिकार देते हैं उसकी जगह जो नया सरपंच चुन कर आयेगा वह भी वोट देगा। इस प्रकार से डिस्क्रिमीनेशन होता है इसको कॉन्स्टीट्यूशन अलाउ नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा प्रिन्सीपल इसका रखा है पंचायत समिति के गठन का, इसका चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। वह तीन प्रकार से होता है या तो हम कॉम्युनिटी बेसिस पर देते हैं। We give him a right to double vote. या प्रोफेशनल बेसिस पर रिप्रेजेन्टेशन देते हैं We give representation on the basis of functions or as a member of a profession. तीसरा जिसको हमने टेरिटोरियल बेसिस पर दिया है। वहां इक्वीलिटी आफ लॉ हरेक सिटीजन्स के लिये रखना चाहिये। It is an important Constitutional issue.

क्या हमें यह अधिकार है कि एक एरिया में एक प्रकार का व्यवहार हो और दूसरे एरिया में दूसरी प्रकार का? इस प्रकार का कानून हम नहीं बना सकते और ऐसा इन्टेन्शन भी सलेक्ट कमेटी का नहीं था कि एडीशनल मेम्बर जो फुल मेम्बर नहीं उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सलेक्ट कमेटी के मिनिट्स को और उसकी प्रोसीडिंग्ज को स्क्रूटिनाइज करके देखिये कि क्या एडीशनल मेम्बर को फुलफ्लेज्ड मेम्बर की तरह डिफाइन किया गया है या किस प्रकार, स्पेसिफिकली मेन्शन नहीं Then we must accept 'additional member' in its commonly accepted sense. जिस प्रकार चीफ सेक्रेटरी और एडीशनल चीफ सेक्रेटरी के बीच डिस्टिंक्शन रखते हैं, एडीशनल डाइरेक्टर और डाइरेक्टर, एडीशनल कलेक्टर और कलेक्टर के पॉवर्स और फंक्शन्स में फर्क है इसीलिए मैंने स्पेसिफाइ किया है Additional member must be a full fledged member and it must have been brought in the definitions.

मेरा अमेंडमेंट रखने का यह तात्पर्य है कि सलेक्ट कमेटी की जो मन्शा है वह अच्छी तरह समझ में आ जाय। मैंने सलेक्ट कमेटी की

Page No.39

(श्री पी० के० चौधरी)

स्पिरिट को अच्छी तरह से पकड़ लिया है इसलिये मेरे अमेंडमेन्ट को मन्जूर कर लिया जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, फुल फलेज्ड मेम्बर होते हैं उसके लिये भी डिसक्वालिफिकेशन्स है। इसके लिये क्लॉज ११ और १२ देखिये। एडीशनल मेम्बर के लिये भी डिसक्वालिफिकेशन होनी चाहिये। इसलिये एक ही पर्टिक्युलर एरिया में डब्ल रिप्रजेन्टेशन देना एक यदि प्रधान बन जायेगा तो उसको डिसक्वालिफिकेशन से मुक्त रखना चाहते हैं। आप क्लॉज ११ को देखिये उसमें डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेम्बर्स के लिये है। एडीशनल मेम्बर के लिये कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं रखी है। इससे यह बात निश्चित है कि सर्कम्सटेन्शियल को विस्यूलाइज नहीं किया है। एडीशनल मेम्बर को फुलफलेज्ड मेम्बर माना जाय। ऐसी सूरत में मेरा यह निवेदन है कि एडीशनल मेम्बर को केवल कास्टिंग वोट का ही हक रहेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : एडीशनल मेम्बर यह एडजेक्टिव है या कोई टेकनिकल टर्म है ?

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Before he makes a reply, Sir, I was preparing an amendment and with your permissoin, I would like to move it Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): You are moving a new amendment ?

राजा श्री मानसिंह : I am talking about this clause, Sir. There is one loophole in this clause. The clause reads:—

"The Sarpanch or Up-Sarpanch of a Panchayat or Tehsil Panchayat who vacates his office as such under sub-section (4A) of section 8 because of his having been elected as the Pradhan of a Panchayat Samiti, shall be the additional Member of such Panchayat Samiti."

The loophole is that if a Pradhan or Up-Pradhan either ceases to be as such or resigns their office, then he will continue to be Additional Member of the Panchayat Samiti. In this way a chain reaction can be created, so that number of members of Panchayat Semiti can be increased by the Pradhan or Up-Pradhan resigning, and then continuing as additional members.

I would, therefore, suggest that if a Pradhan or Up-Pradhan resigns or ceases to be as such, then he should also cease to be an additional member of the Panchayat Samiti.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ६ का जो चल रहा है उस पर मैं अपने विचार...

(हंसी तथा व्यावधान)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): ६ क्लॉज तो पास हो गई।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ६–ए पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिप्रसाद यादव : ऐसा है, इसमें यह कहा गया है...

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे क्लॉज पर बोल रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह : ६–ए पर।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिप्रसाद यादव : ६–ए पर बोल रहा हूँ साहब। जैसा श्री पी० के० चौधरी ने आपने अभिभाषण में यह कहा है छोटे बड़े का सवाल है। उन्होंने छोटे बड़ों का सवाल व्यक्त किया। ये पंचों को, एम. एल. ए. को एम. पी. को बड़ा मानते हैं। सब एक ही है। आज भारत का संविधान बना हुआ है। मैं यह कहूँ कि लोकसभा में एक अस्पृश्यता निवारक कानून बना है। कोई उसके अनुसार छोटा बड़ा नहीं है। जब हम कानून बनाने जा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप ६–ए पर बोल रहे हैं। फिर लोक सभा का कहां इसमें प्रश्न पैदा होता है, अस्पृश्यता निवारक कानून का कहां प्रश्न आता है ? आप सन्दर्भ से बोलिए, बोलें तो।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए इस पर मैं अपने विचार भी रख सकता हूँ क्योंकि जनता-जनार्दन ने मुझे भी यहां भेजा है।

(हंसी–व्यावधान)

मैं भी अपनी समझ में जो आवे वह कह सकता हूं। जो उचित अनुचित होगा मैं भी कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी समझता हूं आप अनुचित हैं या उचित हैं। मेरे पास भी तो काफी अधिकार हैं। क्या उचित है, क्या अनुचित है यह सन्दर्भ से कहने का मुझे भी तो आपने अधिकार दे रखा है।

(हंसी)

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं अनुचित नहीं हूँ (हंसी) जो अनुचित शब्द काम में लाए इसका मैं विरोध कर रहा हूं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। विधान सभा के सदस्यों को, जनता जनार्दन ने हमको भेजा है।

(हंसी और व्यावधान)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Pont of Order Sir. The Chair has given its ruling The Chair knew what was wrong and what was right, and then the Hon'ble Member says that theiris nothing between the Chair and the Members.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : He did not say so.

श्री पी. के. चौधरी It implies that.

श्री सोहनलाल भटनागर : No. No.

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव। जल्दी समाप्त करिए आप।

श्री हरिप्रसाद यादव : तो जो माननीय मन्त्री ने फरमाया कि मेरा उस पर हमला है, कोई हमला नहीं है। जो हम लोग लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में प्रवेश हो रहे हैं (हंसी) तो मेरे मित्रों को गम्भीरता भी रखनी पड़ेगी। बड़ा दिल रखना पड़ेगा। आज जब सारे देश में पंचायत शासन लागू होने जा रहा है तो हमें हमारे दिल तो बड़े रखने पड़ेंगे। वैसे मैंने इस सदन में पहले के भाषणों में बताया, मुझे फिर वह बात याद आ गई, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है और गांधीजी ने भी लिखा है:—

पानी पञावह ..

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble the Revenue Minister.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो भी माननीय श्री पी० के० चौधरी ने संशोधन रखा है मैं उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूँ। और इस आधार पर करता हूँ कि जो सरपंच है ग्राम पंचायत का, यदि वह पंचायत समिति का प्रधान बन जाता है तो वह एडीशनल मेम्बर के नाते रहेगा पंचायत समिति के अन्तर्गत। मैं जानना चाहूंगा कि आया एडीशनल मेम्बर को वोटिंग राइट रहेगा या नहीं? क्योंकि इस बिल के अन्दर न तो एडीशनल मेम्बर को डिफाइन किया गया है न उसके पॉवर के बारे में कुछ कहा गया है।

दूसरी बात, यदि किसी एरिया विशेष से कोई व्यक्ति आता है, उदाहरण के लिए मान लिया जावे कि यदि कोई व्यक्ति (क) नामक पंचायत से आता है और पंचायत समिति का प्रधान बन जाता है तो इसके बाद उसको एक वोट देने का अधिकार तो उस पंचायत समिति के एडिशनल मेम्बर होने के नाते रिजर्व है। उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो पंचायत (क) से आवेगा उसको भी वोटिंग राइट रहेगा और तीसरा इक्वल वोट होने की स्थिति में कास्टिंग वोट देने का उसको प्रधान के नाते अधिकार रहेगा। तो इस तरह से इस पंचायत (क) से आनेवाले सरपंच के प्रधान बन जाने से तीन वोट की शक्ति इस पंचायत को मिल जावेगी। अब यदि कोई प्रश्न यहां आया कि उस पंचायत (क) में कोई स्कूल खुले और प्रधान कहता है कि उस पंचायत (क) में खुलनी चाहिए। तो अगर उसका समर्थन करनेवालों में दो भी कम हों तो भी तीन वोट का प्रयोग उसके लिए हो जावेगा। इस तरह से उस स्थान के लिए हमेशा तीन वोट की शक्ति रिजर्व रहेगी। इतनी बड़ी शक्ति का प्रभाव उसके पास होगा तो उसका हमेशा दुरुपयोग होगा। इस प्रकार से हम दूसरी पंचायतों के साथ एक विभेद की नीती को प्रोत्साहन देंगे। सारे काम उस सरपंच की पंचायत (क) में ही होते रहेंगे। दूसरी पंचायतों की ओर ध्यान नहीं दिया जावेगा। उनके साथ विभेद बर्ता जावेगा। इस तरह एक प्रधान के हाथ में तीन वोट का अधिकार देना एक तरह से दूसरे पंच के साथ भी विभेद करना है और उस एक के हाथ में एक निरंकुश सत्ता देना है। आप उसको प्रधान की हैसियत से कास्टिंग वोट का अधिकार दे सकते हैं। पर एडिशनल मेम्बर

Page No.42

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के नाते उसको वोटिंग का पावर नहीं दिया जाना चाहिये, इस तरह से डिफाइन कर दिया जावे। इस दृष्टि से यह संशोधन माना जावे या मन्त्री महोदय स्वयं कोई नया संशोधन पेश करें। तब तो बात समझ में आ सकती है। वर्ना यह तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। उसके ही एरिया में सब काम होंगे और पंचायतों में नहीं होंगे। पंचायत समिति का प्रधान निरंकुश होकर काम करेगा। क्योंकि वह समझेगा कि मेरे हाथ में तीन वोट हैं। इसकी ताकत हमेशा ज्यादा होने से हर कार्य उसके यहाँ होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और संशोधन प्रस्ताव है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं। धारा ६ को देखने से ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा भ्रमात्मक है। किसी भी पंचायत का पंच, सरपंच, उप-सरपंच प्रधान चुन लिया जावेगा तो वह एडीशनल मेम्बर होगा। मैं यह नहीं सोचती कि इस धारा की क्या आवश्यकता थी। क्योंकि यह तो स्पष्ट है कि यदि जो पंचायत समिति का सदस्य होगा उसमें सरपंच या उप-सरपंच जो भी होगा वह प्रधान चुना जावेगा तो वह एडीशनल मेम्बर होगा, यह कहने की आवश्यकता अलग से क्यों मालूम पड़ी यह समझ में नहीं आती। या तो इस धारा को रखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जो प्रधान होगा निश्चित रूप से वह उस समिति का सदस्य अपने आप होगा। यह परम्परा है। और वैधानिक तरीकेसे ऐसा ही हर जगह होता ही आया है। यदि कोई समिति किसी को प्रधान बनाती है तो अपने सदस्यों में से ही तो चुनती है और सदस्य इस तरह से अपने आप ही होता है। पर इस धारा में हम यह बताते हैं कि उस पंचायत समिति का एडीशनल मेम्बर होगा तो 'एडीशनल मेम्बर' यह वास्तव में भ्रमात्मक शब्द है। एक कलेक्टर की डेफिनेशन आप दे देते हैं पर जहां एडीशनल मेम्बर शब्द रखते हैं उसको डिफाइन न करके यहां लाकर उसको रखना ठीक नहीं है। इसलिये या तो इस धारा ६-अ को ही हटा देना चाहिये क्योंकि उससे हमारा पर्पज सर्व नहीं होता है और अगर रखना ही है तो निश्चित रूप से साफ कर देना होगा कि एडीशनल मेम्बर जो होगा उसको कास्टिंग वोट का ही अधिकार होगा, और किसी प्रकार के वोट का अधिकार नहीं होगा और अपना कास्टिंग का विशेष मत उस समय प्रधान के पद से इस्तेमाल कर सकता है। इस बात का स्पष्टीकरण फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में रक्खा है। इससे यह भाव स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से और सदन से निवेदन करूँगी कि या तो इस धारा को ही यहां न रखें और अगर रखते हैं तो उस संशोधन के साथ रखें, जिससे एडीशनल मेम्बरवाली जो भ्रान्ति है वह स्पष्ट हो जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर:) मेरे ख्याल से इसके अन्दर वैसे ही भ्रान्ति हो गई है। क्लॉज ८ की धारा ४-ए के साथ इसको जोड़ना चाहिए। इसमें दिया गया है कि ज्योंही प्रधान या उप-प्रधान चुन लिया जावेगा। He will cease to be the President of Panchayat or Tehsil Panchayat.

Page No.43

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उस दृष्टिकोण से एक टेक्नीकल फ्लॉ रह जायेगा। जब कि प्रेसीडेन्ट ही नहीं रहेगा तो जहां से वह आया है वहां का क्या होगा ? तो उस दृष्टिकोण से रखा गया है कि इर्रेग्युलेरिटी न हो। न किसी वजह से कि उसको एडशीनल वोट का अधिकार दिया गया है। अगर यह स्पष्टीकरण यहीं हो जाता तो माननीयसदस्यों कोकोई शंका नहीं रहेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह कन्ट्रोवर्सी एक मामूली शब्द 'एडीशनल' के ऊपर हो रही है और एडीशनल मेम्बर के रखने का मकसद तो यह था कि सेक्शन ६ में जो कम्पोजीशन ऑफ पंचायत समिति है इसमें डिफाइन किया गया है कि पंचायत समिति में कौन कौन सदस्य होंगे। क्योंकि इसके अन्दर एक आदमी दो पोस्टों पर और दो पोस्ट भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होल्ड नहीं कर सकेगा। प्रोविजन इसलिए किया गया था कि क्या किसी पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का प्रधान बना दिया जाता है तो प्रधान बनने के बाद वहां सरपंच रहे और प्रधान भी रहे, यह उचित नहीं है। क्योंकि दो पोस्ट उसके पास आजाती हैं और दोनों की दोनों एग्जीक्यूटिव पोस्टस होने के कारण दोनों को ड्यूटीज एफीशियेन्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकता इसलिए अगर तहसील पंचायत का सरपंच पंचायत समिति का प्रधान बन जाता है तो वहां से उसको स्तीफा दे देना चाहिए ताकि वहां पर दूसरे आदमी को लाया जा सके। अगर इलेक्शन के जरिये प्रधान मुकर्रर होता है तो उसको उस पंचायत समिति में भी कन्टीन्यू करना जरूरी था लेकिन एडीशनल रखने का तो मतलब इतना ही है अगर माननीय सदस्यों को केवल 'एडीशनल' शब्द से ही ऐतराज है तो मैं कहता हूं कि एडीशनल शब्द को काट दिया जाये Let him also continue as a member of Panchayat Samiti. It makes little difference, क्योंकि इसके अन्दर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 'एडीशनल' काटने से पंचायत समिति का मेम्बर रहेगा, उसको सब राइट्स होंगे। कास्टिंग वोट का उसको अधिकार दिया जाये यह कहीं नहीं है। अगर मेम्बर होगा तो he will be subject to all disqualifications of a member. एडीशनल रखने से कोई खास बात नहीं है। इसको रखने का मकसद यह था कि यहां आकर इलेक्शन हो जाता है इसलिए एडीशनल मेम्बर होगा। इसको डिलीट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं होता है। अगर रखा जाता है तो एडीशनल मेम्बर इसलिये है कि इसका वहां पर प्रधान इलेक्ट हो गया है और पंचायत से त्यागपत्र दे देता है इसलिए मैं रखना चाहता था। अगर इससे कोई आपत्ति है कि 'एडीशनल' शब्द नहीं रहना चाहिए तो इसको आप हटा दें।

श्री दयाकृष्ण विजय : On a Point of cllarification Sir. यह 'एडीशनल' शब्द से दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यह है कि उस व्यक्ति के हाथ में जो पंचायत समिति का प्रधान बनता है तीन वोटों का लाभ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका जो एतराज है कि वह एडीशनल मेम्बर बनता है तो कास्टिंग वोट का उसको अधिकार होना चाहिए, मैं इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। अगर हम उसको मेम्बर मानते हैं तो उसको जितने भी राइट्स एक मेम्बर के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

होने चाहिए वे उसको मिलने चाहिए और उसको उनसे वंचित नहीं कर सकते। प्रधान चुना जाता है he can have a casting vote when there is a tie, otherwise he will exercise the same rights as other member do. और उसमें डिस्क्रिमिनेशन करने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है और सलेक्ट कमेटी का यह इरादा भी कभी नहीं था और बराबर उसको वे ही अधिकार मिलने चाहिएं कि जो दूसरों को हैं। आपने जो कहा, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: So this is the amendment. Delete "additional". ?

श्री दामोदरलाल व्यास: Yes Sir.

राजा श्री मानसिंह: Sir, I have moved an amendment with your permission and the Hon'ble Minister has replied to that.

श्री उपाध्यक्ष: In clause 6-A ?

राजा श्री मानसिंह: Yes sir.

श्री उपाध्यक्ष: Which is that amendment ? It was only a suggestion and not an amendment.

राजा श्रीमानसिंह: I would like to hear the opinion of the Hon'ble Minister.

श्री उपाध्यक्ष: Whether I can force him to give an opinion. Hon'ble Revenue Minister, are you prepared to give your opinion ?

श्री दामोदरलाल व्यास: I was not able to follow what the Hon'ble Member meant because it was not in the form of an amendment. He can move a suitable amendment, then we can consider it.

श्री उपाध्यक्ष: Well I will not consider any suggestion in the form of an amendment.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है डिलीट 'एडीशनल' उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६–ए शोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६–ए संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

क्लॉज ६–बी

डॉ० बहादुर सिंह: ६ बी में आपके दो हैं। आप कौन सा पेश कर रहे हैं।

Page No.45

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ६- बी नया क्लॉज़ एड करने के लिए संशोधन रखा है जो इस प्रकार है:–

"6-B. Associate members of Panchayat Samities (1)- Every member of the Legislative Assembly of the State shall, for so long as he continues to be such member, be an associate member of the Panchayat Samiti of each block which wholly or partly i included in, or forms part ......

राजा श्री मानसिंह : This amendment goes against the spirit of the Bill Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर : Let me move first. Then you will have a chance to have your say.

"... part of, the constituency from which he has been elected to the State Legislative Assembly.

(2) Such associate members shall have the right to attend the meetings of each Panchayat Samiti of which he is such member and to take part in the deliberations thereat but shall not have the right to vote or to be elected as the Pradhan or Uppradhan of any such Panchayat Samiti or as the member or Chairman of any standing committee thereof,"

श्री श्री भानसिंह (बयाना) : Point of order, Sir. There was a point of order in the House that the present amendment is beyond the scop of the Bill and that objection should be taken earlier and before the Hon'ble Member moves the amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I would like to entertain the point of order, if it is to the effect that the amendment is against the spirit of the Bill.

राजा श्री मानसिंह : It is clear from the provisions of the Bill, Sir, that this new addition of clause 6-B is against the spirit of the Bill. Therefore, I move that this amendment may be disallowed.

श्री उपाध्यक्ष : But how is it against the spirit of the Bill?

राजा श्री मानसिंह : Sir, it it against the spirit of the Bill. We cannot make addditions and alterations in the Bill at this stage Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में हम व्यवस्था कर रहे हैं .. ....

श्री श्रीभानसिंह : आपने आब्जेक्शन किया है आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आप बाद में जवाब दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्प्रिट के यों अगेन्स्ट है कि ६-बी जोइन-कारपोरेट कराना चाह रहे हैं एक कम्पोज़ीशन के अन्दर, पंचायत समिति का कम्पोज़ीशन क्लॉज़ ६ के अन्दर दिया हुआ है। अब क्लॉज़ ६ के अन्दर यह ऐड करते कि कम्पोजीशन आफ पंचायत समिति इस तरह से होना चाहिये और यह उसके मेम्बर होंगे। उसके अन्दर इलेक्टेड मेम्बर मौजूद हैं, कोऑपटेड मेम्बर मौजूद हैं

Page No.46

(श्री श्रीमानसिंह)

और अगर आप एसोसियेट मेम्बर चाहते थे तो भी क्लॉज ६ में हो सकता थी। अब कम्पोजीशन के अन्दर यह ऐड करें कि फ्रेश क्लॉज ६ बी और जोड़ा जाये जब कि यहां पर कम्पोज़ीशन का प्रश्न ही नहीं है इसलिए यह क्लॉज ६ बी आप यहां पर इनकॉरपोरेट नहीं कर सकते। या तो आप क्लॉज ६ में ही अमेंडमेंट करिये और उसके अन्दर मेम्बरशिप के लिए प्रावीजन कीजिये लेकिन इस स्टेज के ऊपर आप उसके कम्पोजीशन में हेरफेर करना चाहें कि जिस कम्पोजिशन को हॉउस ने पास कर लिया है तो अब हाउस अपने डिसीजन के ऊपर वापिस नहीं आयेगा जब तक कि फ्रेश मोशन न आये कि हॉउस इस डिसीजन को बदले और एसोसियेट मेम्बर यहां एक्सेप्ट करे। इसलिए यह क्लॉज जिस जगह पर होना चाहिये उस जगह पर नहीं है। इसलिए इस स्टेज के ऊपर यह अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं समझ सका कि वे इस पर क्यों प्रेस कर रहे हैं। शायद माननीय सदस्य को यह नहीं मालूम है कि इस समय भी चेन्जेज किये जा सकते हैं और उनका यह कहना कि ६ ए या ६ बी में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ६ को पास कर दिया है और इसीलिए यह within the scope नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमने ६ और ६-ए पास कर दिया है पर अब आगे ६ बी नया क्लॉज इन्सर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं और आगे भी रख सकते हैं। We are still dealing with this Bill and there is nothing against the spirit of the Bill.

श्री श्रीमानसिंह : तो इस तरह से जैसे कि माननीय मंत्री महोदय ने सजेशन दिया तो राइडर्स सजेशन दिया तो वहां पर इन्सर्ट कर सकते हैं। शेडूल पास कर रहे हैं वहां पर कम्पोजिशन का क्लॉज लायेंगे तो It will bevery strange and funny. और जब फन्क्शन को पास कर रहे हैं तब कम्पोजिशन की क्लॉज पास करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि कम्पोजिशन की क्लॉज पास करदी तो मेम्बरशिप को चेन्ज नहीं कर सकते हैं। This is beyond powers, The House has takes a decision regarding the composition of Panchayat Samiti and now the House cannot go back on its own decision यही मेरा क्वेश्चन है कि ६–बी क्लॉज नहीं ले सकते हैं। This is another amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री होतीलाल :On a point of order Sir, यह एमेंडमेंट अगेन्स्ट दी स्प्रिट आफ दी बिल है, वह इस बात से बिल्कुल निर्मूल हो जाती है। जो कम्पोजिशन की स्प्रिट है और जिसको हाउस ने मन्जूर कर लिया है, वह तो क्लाज ६ के अन्दर आगई है Composition of the Panchayat Samiti as the Hon'ble Member has now just said, हम इस बिल को कन्सीडर कर रहे हैं अगर क्लाज ६-ए और बी को किया है तो इसके मायने यह हुए कि कभी भी एमेंडमेंट हो सकता है।

We are talking about the powers of the Distt. officer and at the same time कि भले आदमी और हमारी पंचायत

(श्री होतीलाल)

समितियों के कम्पोजिशन में होने चाहिए। अगर यह इन्टरप्रिटेशन लिया गया तो एमेंडमेंट के लिए रूल में जो दिया है और वहां पर आपने जो टाइम लिमिट दी कि कब होना चाहिए वह कभी भी खत्म नहीं होगी। फार एक्जाम्पल १०-वी क्लॉज को डिसकस कर रहे हैं और उसमें आप उस वक्त में एमेंडमेंट देते हैं कम्पोजिशन का कि यह और एड कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह टाइम बार्ड चीज होगी और इर्रेलेवेन्ट चीज होगी। हाउस की जनरल स्प्रिट से पता लगेगा कि कम्पोजिशन की क्लॉज पास कर दी इसलिए ६वीं के लिए कोई टाइम नहीं रह गया कि एमेंडमेंट मूव करने की इजाजत दी जाय।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, Rule No.263...

श्री उपाध्यक्ष : रूल नंबर ?

श्री श्रीभानसिंह : रूल नं० २६३ स्कोप ऑफ अमेंडमेंट....

I have submitted that the House has taken decision regarding clause 6-composition of the Panchayat Samiti, and this amendment now moved at this stage is inconsistent with the previous decision of the House and should not be allowed to be moved.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, यह स्कोप ऑफ दी बिल की क्लॉज है और दलील यह दी जा रही है कि it is ill placed. मेरे खयाल से स्कोप ऑफ दी बिल के लिए कोई नहीं बता सके न भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य बता सके....

श्री होतीलाल : On a point of of explanation Sir,.....

श्री सोहनलाल भटनागर : No explanation.

और न बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ही बता सके कि स्कोप ऑफ दी बिल के किस तरह से खिलाफ है। इसलिए यह इम्प्लाइड है कि यह मानते हैं कि यह बिल के स्कोप के अन्दर है।

दूसरी बात यह बताई गई है कि यह इन्कन्सिस्टेन्ट है। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई इन्कन्सिसटेन्ट नहीं है। यह कभी तय नहीं किया गया था कि फुलफ्लेज्ड मेम्बर्स होंगे। यहां पर यह जो क्लॉज एड कर रहे हैं वह एसोसियेट मेम्बर के लिए जिन्हें कि न तो वोट का राइट दे रहे हैं और न उनको प्रधान बना रहे हैं। ऐसा दृष्टिकोण है कि खाली एसोसियेट मेम्बर बनाने का है। स्कोप ऑफ दी बिल के खिलाफ होने की बात और इन्कन्सिटेन्ट की बात बिल्कुल गलत है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, सिवाय इसके कि यह इन्कन्सिसटेन्ट नहीं है और कोई आर्ग्युमेंट माननीय सदस्य ने नहीं दिया है। हमने क्लॉज ६ में कम्पोजिशन डिसाइड कर लिया है, मेम्बरशिप डिसाइड कर ली कि दो प्रकार के मेम्बर्स होने चाहिए, एक तो इलेक्टेड और एक कोऑप्टेड मेम्बस

(श्री श्रीभानसिंह)

होने चाहिए। इसको एक्सेप्ट किया है। आप यहां पर एडीशनल मेम्बर्स उसके सिवाय जिसको कि हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वे एसोसियेट मेम्बर्स हो तो वह एक कम्पोजिशन के अन्दर एडीशन है। तो वह कम्पोजिशन में एडीशन इस स्टेज पर कर सकते हैं क्या जब हॉउस ने यह डिसीजन ले लिया है कि मेम्बर्स यह होंगे और इसके अलावा मेम्बर्स नहीं होंगे तो इस स्टेज पर क्या आप कम्पोजिशन के डिसीजन को चेन्ज कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Where is that negative decision ? इनके अलावा मेम्बर नहीं होंगे वह डिसीजन कहां है ऐसा हाउस का ?

श्री श्रीभानसिंह : The clause 6 as it stands and passed embodies the decision of the house. In any capacity they will be the members of the Panchayat Samiti and we have decided regarding the Panchayat Samiti.

श्री उपाध्यक्ष : I don't think it against the spirit of the Bill because the provision of the Bill can come in an independent form and cannot be incorporated as addition to clause 6.

राजा श्री मानसिंह : Should we understand Sir that we can give amendments in future that have not been incorporated in the Bill and may amend the original Act...

श्री उपाध्यक्ष : Well we cannot anticipate any Ruling.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री श्रीभानसिंह : मेरे प्रश्न पर अभी तक रूलिंग नहीं हुआ है कि इस स्टेज पर क्या पंचायत समिति का कम्पोजिशन हाउस चेन्ज कर सकता है ? हाउस ने जब यह डिसीजन ले लिया कि ये मेम्बर्स पंचायत समितियों के होंगे तो अब उस डिसीजन को चेन्ज करके मेम्बर्स में एडीशन या ऑलटरेशन हाउस इस स्टेज पर कर सकता क्या है By adding a new clause.

श्री उपाध्यक्ष : यह चेप्टर २ है। वह डील करता है पंचायत समितियों को। It deals with the Panchayat Samiti and therefore amendment for the addition of clause 6–B is rightly placed.

श्री श्रीभानसिंह : In that case beg to submit Sir that the amendment will be governed by the heading of the Chapter or by chapter. If it is so, till the end of Chapter II the House can take decision.

(श्री होतीलाल बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow any further debate over my observations. I have submitted to the House that it is an independent clause.

श्री होतीलाल : जब कि स्टेज का सवाल है तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेंडमेंट कभी भी लाये जा सकते हैं। When we are discussing the functions of the Sarp•

(श्री होतीलाल)

anch and we are moving the amendment regarding the composition of the...

श्री उपाध्यक्ष : Do you want my observations in anticipation of an exigency that is to arrive.

श्री होतीलाल : Mr. Dy. Speaker...d

श्री उपाध्यक्ष : I am not prepare to say anything.

श्री श्रीभानसिंह: Chapters are never placed before the House. The House passes the clauses. Clause 6 was placed and not Chapter II was placed.

श्री उपाध्यक्ष : I never meant that it has been placed.

श्री श्रीभानसिंह : Then how this decision is governed by the heading that it is Chapter II.

श्री उपाध्यक्ष : It is just a demarcation about the correct position.

श्री सोहनलाल भटनागर : (उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर इस विधान सभा में काफी वादविवाद हुआ है, और इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि जहां तक इसको देख रहे हैं तो यही था कि फुल फ्लेज्ड सदस्य

श्री श्रीभानसिंह : Another Point of order Sir. मैं निवेदन कर रहा था कि जिस गहराई से हाउस को ध्यान देना चाहिए था उस गहराई से हाउस ने ध्यान नहीं दिया है। यहां पर कुछ अमेंडमेंट एसोसियेट मेम्बर्स के बारे में टेबल हुए थे क्लॉज ६ के अन्दर। उन अमेंडमेंट्स को हाउस ने रिजेक्ट कर दिया जब कि क्लॉज...

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री श्रीभानसिंह : I refuse to yield. I am holding the floor of the House.

(विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

जब क्लॉज ६ के अन्दर हाउस ने इन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। एसोसियेट मेम्बरशिप वालों को तो वही क्वेश्चन जब कि एक दफा डिसाइड कर दिया, जब कि दोनों क्वेश्चन्स एडिशनल और फुलफ्लेज्ड मेम्बरशिप के...

श्री उपाध्यक्ष : Whether it was withdrawn or rejected ?

श्री श्रीभानसिंह : He had discussed and rejected those amendments.

श्री उपाध्यक्ष :They were withdrawn not rejected.

श्री श्रीभानसिंह : Even if that were, there were other members whose amendments were not withdrawn. In this Clause 6 both the points were considered-this fullfledged membership and associate membership. This was considered. They were rejected at that stage. Now can an Hon' ble member reopen an issue by tabling this...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I will draw your attention to Rule 257 of Chaper XXV, page 66 bottom-General Rules of Procedure Receiption of motion-A motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same Session.

श्री उपाध्यक्ष : This is a common procedure.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I would further refer to Rule 258 Sir. 'Withdrrawal of motion-A member who has made a motion may withdraw the same by leave of the House' Either the House has given decision or has rejected the motion, particularly the position will be the same. So if that motion has been withdrawn or rejected by the House, that motion cannot be put before the House and cannot be discussed.

श्री दामोदरलाल व्यास : The amendment one relates to fullfledged membership of the Panchayat Samiti and another amendment relates to the Associate Membership. Fullfledged membership was rejected and so far as Associate Membership is concerned, on my request, it would be at proper place, the Hon'ble Member withdrew it and therefore it is.

श्री उपाध्यक्ष : Was any amendment moved by Shri Narain Singh ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That was regarding full fledged membership.

श्री हीरालाल : गलत ढंग से मंत्री महोदय की ओर से एश्योरेन्स दिया जाय तो इट शुड नोट बी बाइन्डिंग ओन दि हाउस ।

श्री श्रीभानसिंह : प्रश्न यह आता है, जैसा कि मंत्रीजी ने कहा ओन माइ रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट पर्सनल हाउस के बाहर हो सकती है । एक माननीय सदस्य ने अमेन्डमेंट मूव कर दिया, हाउस में भाषण दिया और विड्रा किया, आपकी रिक्वेस्ट पर नहीं बल्कि हाउस की जनरल सेन्स को जानकर कि हाउस उसे मंजूर नहीं करना चाहता है तो यह जरूरी नहीं है कि अमेन्डमेन्ट पर यस और नो का क्वेश्चन टेबल किया जाय, तीसरी चीज यह होती है कि वे विड्रा कर सकते हैं withdrawat means he has withdrawn after permission of the House.

उन्होंने प्रेस नहीं किया तो भी हॉउस की ओपिनियन हो गई । अब प्रश्न यह आता है कि क्या फिर उसी मोशन का रिपीटेशन हो सकता है.........

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Shribhan Singh, I have rightly studied the position and I would like to defer the clause at this stage, and we will proceed with clause 7.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; For your information, I may state and draw your attention that Shri Ramprasad Laddha has moved that after sub-sec. (2), add the sub-sec. (3) as follows-

'(3) Members of the Legislative Assembly for that block : Provided that they will only be entitled to participate in the deliberations at the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

meetings of the Panchayat Samitis or the sub-committees thereof and...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Satish Chanra, I have studied the whole position.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is just for your information.

श्री दयाकृष्ण विजय : लिस्ट नं. ५...

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ७. ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय This is only a printing mistake that is desired to be corrected by this amendment.

'In line 2 of sub-clause (1), substitute 'Previously' for 'provisionally'.'

डॉक्टर बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार है। 'substitute the word 'ten' for the word 'seven' in the penultimate line.

माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त मीटिंग होगी कोऑप्शन की उस वक्त क्या प्रोसिजर होगा, इस सम्बन्ध में यह ७वीं क्लॉज है। मेरा संशोधन इस बारे में यह है कि जो कोऑप्शन के लिये नोटिस दिया जायेगा उसके लिये मौजूदा स्थिति में ७ दिन का नोटिस है उसकी जगह १० दिन का कर दिया जाय। क्योंकि सरपंच वगैरह अपने गांवों में होंगे और उनसे पत्र व्यवहार करने में देरी होगी इसलिये १० दिन पूर्व सूचना देनी चहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि कलेक्टर एंड एडीशनल कलेक्टर प्रिसाइड करेंगे। लेकिन जब पंचायत समितियां बनेंगी तब एक साथ जिले में १०, १५ बनेंगी, ऐसी स्थिति में वहां के एस० डी० ओ० को भी प्रिसाइड करने का अधिकार होना चाहिये।

तीसरा अमेन्डमेंट इसलिये है कि यदि कोऑप्शन करने में पंचायत समिति फेल होती है तो गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से नोमिनेट कर देगी उनको कोऑप्शन की तरह माना जायेगा। मैं यह चाहता हूं कि अगर समिति कोऑप्शन करने में फेल हो जाय तो कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर और सब-डिविजनल ऑफिसर दो महीने बाद फिर कोऑप्शन करने का प्रयत्न करेंगे। हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं....

श्री हरिप्रसाद यादव : जो माननीय सदस्य बहादुरसिंह जी ने कहा ऊपर से कोऑप्शन....

श्री सभापति : आप सुन लीजिये।

डॉ० बहादुरसिंह : जब मैं भाषण दे रहा हूँ तो आप कैसे बीच में बोल रहे हैं।

मेरा निवेदन यह था कि मान लीजिये पंचायत समिती फेल होती है ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह नोमिनेशन कर ले। उसकी जगह मैं यह चाहता हूं कि २ महीने का और टाइम दिया जाय और वे सोच लें कि आया हमें कौनसे व्यक्ति का कोऑप्शन करना है। आपस में विचार करने के बाद कोऑप्शन करलें। यह एक डेमोक्रेटिक तरीका है। हमारे पर लांछन आ सकता है कि आपने झगडा पैदा कर दिया इसलिये कोऑप्शन नहीं हुआ। इसलिये पहले से जो व्यवस्था है उसके अनुसार सर-

(डॉ. बहादुरसिंह)

कार नोमिनेट कर दे। लेकिन सरकार को इस तरह का अधिकार नहीं देना चाहिये और न उससे ऐसा अधिकार लेना चाहिये। इसलिये यदि पंचायत समिति कोऑप्ट करने में फेल होती है तो यदि जिला परिषद् को कोऑप्ट करने का अधिकार दिया जाता तो भी मान लिया जाता लेकिन जहां पंचायत समिति कोऑप्शन करने में फेल होती है, उसमें आदमी कोऑप्ट नहीं होगा. लेकिन नहीं होने की स्थिति में सरकार द्वारा नामजद हो। इसमें मेरा संशोधन है कि एक महीने का टाइम देना चाहिए। कलेक्टर और एस० डी० ओ० द्वारा यह सोचने की चीज है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार किया जायगा। जहां एस० डी० ओ० की बात थी, वह व्यवस्था की बात थी। मैं समझता हूं कि एक जगह कलेक्टर जा सकता है और एक जगह एडीशनल कलेक्टर जा है और तीसरी जगह सब डिविजनल आफिसर जा सकता है। इसके साथ ही अगर कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर दोनों सरकारी काम में व्यस्त हों तो वहां सब-डिविजनल ऑफिसर जा सकता है। इसके साथ ही आगे चल कर अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा और सरपंच और पंच स्थान रिक्त करेंगे, उस समय जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में कुछ आफिसर्स की जरूरत है। बात यह है कि बहुत सी जगह एस० डी० ओ० को एडीशनल कलेक्टर की पावर्स होती है, लेकिन वह कहलाता सब-डिविजनल आफिसर ही है। इसलिए इसमें थोड़ा खुलासा हो जायेगा। इसलिए मैंने संशोधन रखा है, जिसे आप स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति, क्लॉज ७ में मेरा अमेंडमेंट है :—

The words 'sub-divisional officer having jurisdiction over the block for which the Panchayet Samiti has been constituted' be substituted for the words 'Collector or the Additional Collector.'

Sub-clauses (3) and (5):—

The words 'Sub-Divisional Officer' be substituted for the words 'Collector or the Additional Collector' wherever occuring in the sub-clauses (3) and (5).

माननीय सभापति महोदय, यह ठीक है कि कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर द्वारा कोऑप्शन की मीटिंग को प्रेसाइड करने के लिए व्यवस्था रखी है और कलेक्टर जैसे उच्च पद के ऑफिसर को इसमें इसलिए रखा है कि हम जो प्रजातन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का ढांचा बना रहे हैं, उसमें यह दिखाना चाहते हैं। कार्य भले ही मामूली सा हो, लेकिन दिखावा ऐसा हो जाय कि लोगों को महसूस हो कि काफी ऊंची संस्था है। इसमें काफी ऊंचे ऑफिसर आते हैं और उनके हाथ में सत्ता दी गई है। माननीय सभापति महोदय, हमें यह देखना चाहिए कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण में जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वह यह होनी चाहिए कि प्रशासन में खर्चा कम हो। जिस ढांचे का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि खर्चा बढ़ने जा रहा है और टेक्स पेअर पर ज्यादा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

भार पड़ेगा जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, वह सही है कि एक जिले में २०,२५ ब्लॉक होंगे और कोऑप्शन की मीटिंग के अन्दर एक बार नहीं, दो बार जा सकते हैं। क्योंकि एक बार जो कोऑप्शन केलिए मीटिंग बुलाई, उसमें कोरम नहीं हुआ तो वह दुबारा बुलाई जायगी। इस प्रकार उसे कई बार जाना पड़ेगा और उसे हेड क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा, नतीजा यह होगा कि जो जनता का काम है, उसे वह नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि सब-डिवीजनल ऑफिसर को बना दिया जाता है तो एक तो वह नजदीक होगा और टी. ए., डी. ए. का खर्चा कम होगा। दूसरे इसमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि कलेक्टर भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है और एस. डी. ओ. भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। हम देखते हैं कि म्यूनीसिपेलिटीज के चेयरमैन के चुनाव में भी सब-डिवीजनल ऑफिसर को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता और साथ ही प्रशासन में भी कमी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि जो संशोधन मैंने रखा है उसे माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति: श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर): सभापति महोदय, इस क्लॉज के उपखण्ड ५ के बारे में मेरा संशोधन है कि इसको हटा दिया जाय। [delete sub,clause (5)] इसके अन्दर यह प्रावधान रखा है कि यदि समिति किसी अवस्था में, जो कोआप्शन करना है, वह कोऑप्शन नहीं करती है तो राज्य सरकार अपनी ओर से कोऑप्शन करके भेज दे। सभापति महोदय, धारा ६ में श्री रामप्रसाद लड्ढा का एक संशोधन स्वीकार किया है, उससे स्थिति गड़बड़ी में पड़ गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि हम नोमीनेशन नहीं करना चाहते, कोऑप्शन करना चाहते हैं। उसको मानने के बाद उसे इस धारा के साथ लेकर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोऑप्शन की भावना समाप्त हो गई है। सारी बातें राज्य सरकार के हाथ में आ गई हैं और पहले जो व्यवस्था थी, वह उत्पन्न हो गई है। इस संशोधन को मनाने से क्या हुआ कि कोई पंचायत समिति दो व्यक्तियों को कोऑप्ट करती है, इन व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक हैल्थ और रूरल डवलपमेंट के अनुभव के कारण कोऑप्ट करती है, लेकिन अब राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया है कि वह तय करेगी कि वह व्यक्ति उसके लायक है या नहीं। अगर समिति ने दो व्यक्तियों को कोऑप्ट किया और राज्य सरकार ने यह कहा कि ये व्यक्ति लायक नहीं है, जिन व्यक्तियों को कोऑप्ट किया है, वे हमारे ढांचे में लायक नहीं बैठते। जब एक बार आपने अधिकार दे दिया पंचायत समिति को और पंचायत समिति ने कोऑप्ट कर दिया, उसके बाद राज्य सरकार देखती है समिति ने बहुमत से किसी को कोऑप्ट किया है, और विवाद का प्रश्न नहीं है और यह भी देखती है कि राज्य सरकार की मर्जी के माफिक कोआप्शन नहीं हुआ तो इसे विवाद में डाल कर यह रिजेक्ट कर सकती है। उस स्थिति में समिति उस बात को इन्सिस्ट करती है कि हम उन्हीं व्यक्तियों को कोऑप्ट करेंगे और इस प्रकार समति और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा होगा और तब यह धारा बीच में आएगी और जिन तीन चार व्यक्तियों सरकार को कोऑप्ट करना है, उनको वह

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नोमिनेट करेगी ! इसके अन्दर राज्य सरकार के हाथ में नोमिनेशन की पॉवर्स देना चाहते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है :

"The State Government shall nominate such member or members and every member so nominated shall be deemed to have been duly coopted.

तो समिति की इच्छा हो या न हो, समिति का बहुमत चाहता हो या न हो, उस स्थिति में राज्य सरकार इस प्रकार नोमिनेशन कर देगी। तो इस नोमिनेशन की बात का मैं विरोध करता हूँ। जिस समय हमने म्युनीसिपेलिटी विधेयक पास किया, उस समय सदस्यों ने एतराज किया था और जब यह विधेयक बनाने लगे थे तब माननीय सदस्यों की यह राय थी कि नोमिनेशन का प्रावधान नहीं रखें। सरकार ने कहा कि हमने कोऑप्शन का प्रावधान रखा है लेकिन फिर एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने की स्थिति पैदा कर दी है क्योंकि धारा ६ में श्री रामप्रसाद लड्ढा का संशोधन स्वीकार किया है। उस संशोधित धारा के साथ इसको पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने एक स्थान पर कोऑप्शन का अधिकार दिया है तो इस धारा से वह अधिकार छीन लिया है। यदि इस धारा को हटा देते हैं तो हमारे सामने गुंजाइश हो जाती है और यदि वहां विवाद की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार इतना कर सकती है की समिति ने जिन सदस्यों को नोमिनेट किया है और राज्य सरकार, उन सदस्यों को अयोग्य समझती है तो समिति को कह सकती है कि दुबारा मीटिंग बुलाकर विचार कर ले। यदि सरकार की मन्शा है कि समिति के द्वारा जितने कोऑप्शन होते हैं, उनको रिजेक्ट करना है और सदस्यों को नोमिनेट करना है, तो जितने सदस्यों को कोऑप्ट करेगी समिति, उनको धारा ६ के माफिक रिजेक्ट करती जायेगी। जब वह रिजेक्ट करती जायेगी तो समिति कहेगी कि इन्हीं व्यक्तियों को कोऑप्ट करेंगे और राज्य सरकार कहेगी कि इनको कोऑप्ट नहीं करने देंगे, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी कि सरकार कहेगी कि समिति समय पर कोऑप्ट नहीं कर सकी, इस लिए उप-धारा ५ के अन्तर्गत हम नोमिनेट करते हैं। उन नोमिनेटेड सदस्यों की वही अवस्था होगी जो कोऑप्टेड सदस्यों की होगी। तो एक तरफ कोऑप्शन का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ वह अधिकार लेते हैं। जो पंचायत समिति ने जिन्हें कोऑप्ट किया है, वे लायक हैं या नहीं, इसका निश्चय करने का अधिकार सरकार के पास चला गया और जिनको लायक नहीं समझा उनके स्थान पर नोमिनेट करने का अधिकार सरकार ने ले लिया है, उसका मैं विरोध करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा था कि हम कोऑप्शन के अधिकार देना चाहते हैं, उस प्रकार आप कोऑप्शन के अधिकार रहने दें और नोमिनेशन की भावना को छोड़ दें क्योंकि जो धारा ६ पास की है, उसको इसके साथ लेकर पढ़ें तो कोऑप्शन की भावना समाप्त हो जाती है। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस उप-धारा ५ का विरोध करता हूँ। जिस समय धारा ६ चल रही थी, उस समय हमें समय नहीं मिला विचार करने के लिए, अन्यथा जो श्री लड्ढा ने संशोधन रखा था, उसका विरोध करता, लेकिन उस समय बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जो भावना प्रस्तुत की गई थी, उस संशोधन को स्वीकार करके उस कोऑप्शन की भावना को खत्म कर दिया गया

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

और उसके बाद नोमिनेशन की पॉवर ले ली और जो कोऑप्शन की पॉवर थी, वह समाप्त हो गई। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार कोऑप्शन लागू नहीं होगा, अगर इस धारा को रहने दिया गया तो।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय; खण्ड ७ के अन्तर्गत मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह निवेदन इसलिए है कि यहाँ पर संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके विषय में कुछ तर्क भी दिए जाते हैं लेकिन देखा यह जाता है कि तर्क जितने भी अच्छे हों या बुरे लेकिन चूंकि वे अपोजीशन की तरफ से आते हैं, इसलिए ठुकरा दिए जाते हैं। यह परम्परा डेमोक्रेसी में कैसी हो इसका मापदण्ड मैं नहीं करता लेकिन जो लोग परिश्रम करके संशोधन रखना चाहते हैं, उनके मन को ठेस पहुंचती है, यदि उचित और समुचित उत्तर नहीं दिया जाता है। मैंने इस धारा में दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं और उनके पीछे मैं कुछ तर्क देना चाहूंगा। पहला संशोधन मेरा है, सब–क्लॉज ४ के अन्तर्गत। सब–क्लॉज में यह दिया गया है कि अगर कोई मीटिंग, जिसके अन्दर मेम्बर का कोऑप्शन करना है, में समुचित कोरम उपस्थित नहीं होता है तो दुबारा मीटिंग को बुलाने के लिए रजिस्ट्री के द्वारा सूचना दी जाएगी। मैं पहले इसके कि संशोधन के ऊपर बोलूं जो शब्द "रजिस्टर्ड पोस्ट" बढ़ाया है, उसके विषय में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। और उदाहरण इस प्रकार के हैं कि अभी पंचायतों के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण छा रहा है, दलबन्दी देखने को मिल रही है उससे ऐसा होता है कि सरपंच जब चाहेगा कि आज कोरम नहीं हुआ तो लोगों से मिल कर डिस्पेच का रजिस्टर है उसमें लिख देगा कि नेक्स्ट मीटिंग की सूचना डिस्पेच की और डाक में डाल दी, डिस्पेच का रजिस्टर देख सकते हैं इसके प्रमाण के लिए। पर उस व्यक्ति विशेष के पास डाक पहुंच गई है इसकी क्या गारन्टी है; डिस्पेच रजिस्टर में कागज चढ़ाया, चपरासी को डाक में डालने के लिए दिया और चपरासी को एक रुपया दे कर कह दिया कि इसको फाड़ फेंक। उस चपरासी ने वह लिफाफा फाड़ फेंका। अब आपके पास क्या सबूत है कि उन्हें सूचना देने के सामुचित साधनों को काम में नहीं लिया गया। डाकखाने की गारन्टी है रजिस्टर्ड पोस्ट की, डिस्पेच की गारन्टी नहीं, चपरासी फाड़ कर फेंक सकता है और उससे कोई छीन भी सकता है। ऐसी दशा में केवल रजिस्टर में लिखा हुआ है इससे यह मान लेना कि सूचना दी है, उचित नहीं होगा। एक मामला ऐसा है जिसमें सरपंच चाहे कि अपोजिशन के मेम्बर्स को धोखे में रखा जाय, यह मामला उनके नोटिस में नहीं आये और अपोजिशन के मेम्बर्स वहां नहीं आयें, जैसा कि हम देखते हैं, धोखे में रखने के लिये जालसाजियां की जाती हैं, इस प्रकार की जालसाजियां को मिटाने का यही तरीका हो सकता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना दें। रजिस्टर्ड पोस्ट में भी हो सकता है कि उनके पास नहीं पहुंचे पर आम तौर से हर तहसील में ७ दिन में डाक पहुंच सकती है। पर यदि 'रजिस्टर्ड पोस्ट' यह नहीं रखा तो हमेशा जालसाजियां की जायेंगी और अपोजिशन वालों को धोखे में रखा जावेगा। "रजिस्टर्ड पोस्ट" ये शब्द रखे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जांय तो वेलिड प्रूफ आपके पास होगा कि आपने सूचना दे दी। अभी डिस्पेच्ड बाई पोस्ट है इसकी बजाय "डिस्पेच्ड बाई रजिस्टर्ड पोस्ट" कर दिया जाय। मेरा संशोधन है कि बर्ड पोस्ट के पहले रजिस्टर्ड बढ़ा दिया जाय।

दूसरा मेरा संशोधन है कि उप खण्ड (५) को बिल्कुल बदल दिया जाय। अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने कहा था कि इसे उड़ा दिया जाय। सरकार सारे पॉवर अपने हाथ में लेना चाहती है यह डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ है। मैंने कई समितियों में काम किया है, मंत्रीजी ने भी कई समितियों में काम किया है और उन्हें अनुभव है कि कोरम न के होने कारण मीटिंग एडजर्न हो जाती है तो दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है, वह दूसरी मीटिंग कोरम न होने के कारण डिस्पर्स नहीं होती है, और वह मीटिंग जो कार्यवाही करती है वह कार्यवाही वेलिड समझी जाती है। इसमें है–For want of necessary quorum नेसेसरी कोरम नहीं है और दुबारा मीटिंग बुलाई है तो गवर्नमेन्ट नोमिनेट करेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आज तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चलने वाली संस्था में इस तरह की बात नहीं देखी। यह हमने देखा है कि पहली मीटिंग में कोरम नहीं हुआ और दूसरी भी मीटिंग बुलाई तो उस दूसरी मीटिंग में कोरम की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह जो कार्यवाही करेगी वह वेलिड कार्यवाही होगी। पर नेसेसरी कोरम की पूर्ति के लिये सरकार ने नोमिनेट करने का अधिकार अपने हाथ में लिया है, श्री रामप्रसाद जी का संशोधन माना है इसको मैं सबसे बड़ा प्रतिगामी कदम मानता हूं। सरकार कहती है कि कोऑप्शन का रखा है। मैंने इसमें यह संशोधन रखा है :

'Substitute sub-clause (5) as follows:

(5) At such adjourned meeting, the members of the Panchayat Samiti specified in clauses 1 and 2 of sub-seetion (1) of section 6 shall co-opt such number of members specified in sub-section (2) oft hat section.

Such adjourned meeting shall not the re-adjourned for want of necessary quorum. The Collectdr or the Addl. Collector shall preside at such adjourned meeting.

ये तीन इसकी बातें हैं। धारा ५ में है कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर प्रिसाइड करेंगे। यदि एक बार मीटिंग कॉल की गई और कोरम पूरा नहीं है तो दुबारा मीटिंग कॉल की जायगी और उसमें कोरम पूरा नहीं होगा तो वह एडजर्न नहीं की जायगी। मैं समझता हूं यह संशोधन बिलकुल डेमोक्रेटिक है, जितनी डेमोक्रेटिक संस्थाएं चलती हैं उनके अनुकूल है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि स्वस्थ परम्परा बनाये रखने के लिये सरकार इस तरह के पॉवर नहीं ले।

यदि हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण हो, सही माने में जनता में विकेन्द्रीकरण को पहुंचाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि इस प्रकार के नोमिनेशन्स को अवोइड करें।

इसके साथ ही साथ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो संशोधन रखे हैं उनका मैं विरोध करता हूं। एक तो एस. डी. ओ. को रखने का संशोधन रखा है, इसका विरोध करता हूं।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पंचायतों में आज करप्शन और लोगों को प्रभावित करने की बात देखी जाती है इसकी वजह यह है कि एस. डी. ओ. प्रभावित हो जाते हैं। कलेक्टर भी वैसे होने को प्रभावित हो जाता है पर इतना नहीं होता है। एस. डी. ओ. को रख दिया तो वह प्रभावित हो जायेगा क्योंकि एस. डी. ओ वास्तव में जल्दी प्रभावित हो जाने वाला और दूसरों के हाथ में खेलने वाला होता है, इनके हाथों से कराये गये इलेक्शन निष्पक्ष इलेक्शन नहीं रहेंगे, इसलिये कलेक्टर को रखा जाय तो निष्पक्ष इलेक्शन होंगे क्योंकि वह आई.-ए. एस. के केडर का जिम्मेदार अधिकारी होता है। मैं एस. डी. ओ. के रखने के पक्ष में नहीं हूं, उनके पास पहले से ही इतना अधिक काम है, उनके ऊपर इतनी अधिक ड्यूटीज हैं कि उन्हीं को वह पूरी नहीं कर पाता हैं। रेवेन्यू कलेक्शन का काम पूरा नहीं होता है. इतने मुकदमें उनके पास पेन्डिंग रहते हैं कि फर्स्ट क्लॉस मजिस्ट्रेट को लगा कर उनका काम पूरा कराया जाता है। तो ऐसी सूरत में एस. डी. ओ. के हाथ में इस तरह का कार्य सौंपना जनतन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत होगा।

एक संशोधन ७ दिन की बजाय १० दिन करने का रखा है। वह ज्यादा प्रतिगामी होने के कारण अच्छा नहीं हो सकता, इसका मैं विरोध करता हूं। आप ७ दिन की बजाय १० दिन का रखते हैं, आप उल्टे जा रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता, इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

एस. डी. ओज. का संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं। 'पोस्ट' शब्द के पहले 'रजिस्टर्ड' यह शब्द रखने का मैंने संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय। और दूसरे संशोधन से मैं सब-क्लॉज (५) सब्स्टीयूट किया है उसको स्वीकार करें।

(श्री दामोदरलाल व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : You have also to move one amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have moved that.

श्री सभापति : Then Shri Girdhari lal.

श्री गिरधारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्लॉज ७ के सब क्लॉज (५) को डिलीट करने का संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। प्रस्तावक महोदय ने इसके बारे में अपने विचार प्रकट किये। मैं भी अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट करना चाहता हूं। पहला कारण तो यह है कि मैं शुरू से ही इस चीज को मानता हूं कि किसी को नोमिनेट करते हैं, को ऑप्ट करते हैं, चाहे पंचायत में करते हैं, चाहे पंचायत समिति में करते हैं, जिला परिषद् में करते हैं या तहसील पंचायत में करते हैं, उनमें इस तरह के नोमिनेशन्स और कोऑप्शन्स जनतान्त्रिक नहीं हैं। क्योंकि इस हाउस में आज तक कई बार इस प्रकार की बातें सुनी हैं कि पंचायतों में नोमिनेट किए जाते हैं उनमें से कई जगह सरकार अपनी पार्टी के लोगों को नोमिनेट कर देती है। अब यह हमारे सामने नया बिल आया है उसमें सरकार ने नोमिनेट नहीं करके बहुमत से कोऑप्ट करने की बात रखी

(श्री गिरधारीलाल नोखा)

है उससे कुछ सदस्यों को सन्तोष हुआ। लेकिन आगे चल कर सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हाथ डालना चाहती है और डाला है जिससे सरकार वही पुराने तौर से पंचायतों या नगरपालिकाओं में नोमिनेट करती है उसी तरह यहां पर भी इस बिल में वही तरीका लाना चाहती है। सरकार ने इसमें जो कोऑप्शन का सिद्धांत रखा है उसको वह धीरे धीरे इस तरीके से समाप्त करना चाहती है और ऐसी स्थिति लाना चाहती है जिससे सरकार के हाथों में पॉवर आए और सरकार जिसको चाहे खुद नोमिनेट करें। मैं समझता हूं कि आपने पहले इस क्लॉज में लिखा है कि कलेक्टर ऐसी तारीख मुकर्रर करेगा जो धारा ५ के अन्तर्गत पंचायत समिति के गठन से पूर्व हो। इसके बादमें लिखा है कि अगर कोरम नहींहोता हैतो उसके आगे दूसरा मोशन रखा जावेगा और वह यह कि उसके अनुसार ७ दिन का सदस्यों को बैठक में बुलाने का नोटिस रखा है। अब आप जानते हैं कि राजस्थान में छोटे छोटे गांव हैं और वे सैकड़ों मील दूर बसे हैं और जहां पर कोई डाक की व्यवस्था नहीं है। एक चिट्ठी को पहुंचने में महीना से ज्यादा समय लग जाता है। आप कहते हैं कि चिट्ठी डाक में गेर देंगे। मेरा निवेदन यह है कि वहां पर पूरा डाक का प्रबन्ध नहीं है और डाकिया वहां पर नहीं जाता है। इसलिये ७ दिन में चिट्ठी वहां नहीं पहुंच सकती है। महीने महीने तक चिट्ठियां पड़ी रहती हैं। कोई गांव से आने वाला उसको ले जाता है। मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार डाक की व्यवस्था है तो ७ दिन का समय जो रखा गया है वह बहुत कम है। यह सात दिन का नोटिस कलेक्टर द्वारा दिया जावेगा। जब तक यह समस्या हल न होती है तब तक यह समय बहुत कम है। इस तरह से समय पर लोगों के पास इत्तिला नहीं पहुंचेगी और सरकार अपनी मर्जी से नोमिनेट कर देगी क्योंकि कोऑप्शन होगा नहीं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार का प्रावधान रखें कि जिन पंचायत समितियों में दो दल हों और उनमें आपस में किसी को कोऑप्शन करने की बात तय नहीं हो सकती तो वहां पर कोऑप्शन को हटा दिया जाए। मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों में बिना कोऑप्शन के भी काम हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आया कि जितने भी सरपंच हैं वे फैसला करेंगे। कोऑप्शन नहीं होगा तो भी कोई परवाह की बात नहीं। तो इसलिए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब आप डीसेन्ट्रेलाइजेशन करने पर विश्वास करते हैं तो सरकार को कम से कम स्वायत्त शासन में दखल न देना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, विधेयक के खण्ड ७ के उप-खण्ड (१) में माननीय सदस्य डॉ० बहादुरसिंह ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं। इसमें उन्होंने ७ दिन के बजाय १० दिन के नोटिस की बात रखी है। यह संशोधन सदस्यों के कोऑप्शन के बारे में है इसमें ७ दिन के नोटिस की बात है। हम सभी जानते हैं कि गावों के रहने वाले लोग ही पंचायत समिति के सदस्य होंगे जो दूर दूर तक गांवों में रहते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि गांवों में सात दिन में एक दिन डाक पहुँचती है और लिखित नोटिस जो हम भेजेंगे वह डाक से ही भेजनेवाले हैं।

(डॉ० चन्द्रकला)

ऐसा तो नहीं होता कि पीओनबुक में डाक को चढ़ाई और लोगों को देकर उनके दस्तखत करवा लिये। नगरपालिका में तो ७ दिन से कम का नोटिस भी हो तो काम हो सकता है लेकिन गावों में इस तरह का साधन नहीं है कि डाक उनके पास जल्दी पहुँच जाये। अभी तक जो व्यवस्था है उसके अनुसार गांवों मे चिट्ठियों को पहुँचने में १०, १२ या १५ दिन लग जाते है और वहां पर ७ दिन का समय रखना मैं समझती हूं कि बहुत कम है। यदि हमारे पास पत्र पहुंचाने का साधन हो तो एक दिन में भी पहुंचाई जावे तो यह उचित हो सकता है कि उसके लिये एक दो दिन भी हम रख सकते हैं मगर ऐसे साधन हमारे पास नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ७ दिन का समय जो रखा गया है यह बहुत कम है। ऐसा हो सकता है, इसमें लिखा है :

'Not less then seven days.'

लेकिन यह देखा जाता है कि कम से कम समय जो लिखा होता है उसमें कार्य कर दिया जाता है। इसलिये इसमें यह होना चाहिये कि १० क्लियर डेज का नोटिस का समय रखा जाए। इसके साथ सब-क्लाज (४) में जो रखा है उसमें भी कोऑप्शन के बारे में बताया गया है। जो मीटिंग एडजोर्न हो जाती है तो दूसरी मीटिंग भी एक सप्ताह के नोटिस से बुलाई जावेगी। इसके लिए भी मुझे चिन्ता है कि थोड़ा समय मिलेगा। इसके लिये मुझे खास बात कहने की वह यह है कि किसी वजह से पंचायत समिति किसी सदस्य को कोऑप्ट करने में असफल रहेगी तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट (स्टेट गवर्नमेंट) वहां पर सदस्यों को नामजद कर देगी और सरकार जिनकी नामजदगी करेगी उनको कोऑप्टेड सदस्य समझे जावेंगे। यह बात जो रखी गई है यह मेरी समझ में नहीं आती है। गवर्नमेंट कोई न कोई बहाना करके यह कहेगी कि कोऑप्ट नहीं किये जा सकते इसलिये सरकार को वहाँ पर पहुँचना होगा। इसलिये राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये और माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि उनको दूसरा मौका दिया जाना चाहिये। ऐसा कोई हर्ज नहीं होने वाला है और पंचायत समिति थोड़े दिन बगैर कोऑप्टेड सदस्यों के काम चला सकती है। बाद में कोऑप्ट कर लिए जावेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस भावना को लेकर हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और पंचायत समितियों के हाथ में पॉवर देना चाहते हैं वह भावना पूरी नहीं होगी। यदि सरकार नोमिनेट करेगी और उन नोमिनेटेड सदस्यों को कोऑप्टेड सदस्य मान लिये जायेंगे। यदि ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इसको स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा हो और ७ दिन के बजाय १० दिन को स्वीकार करने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो समय निश्चित किया गया है उसको ध्यान में रखा जावे तो दो दिन और रह जाते हैं इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज बहस करने के लिए। मेरी मंशा यह नहीं है कि माननीय सदस्यों की मंशा है उसको नहीं जानी जावे। मैं यह निवेदन करूंगा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि इसको इस तरह में रेगुलेराइज किया जावे कि हर क्लॉज को उनको डिसकस करने का अवसर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत से माननीय सदस्य सुझाव देने से महरूम रह जावेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि हर पर सबस्टेन्शियल डिसकशन हो जावे और नहीं तो रूल १५ को काम में लाना पड़ेगा और सबको एक साथ पास करना होगा। इसके लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने पास किया है और हाउस ने उसको एडॉप्ट किया है। क्योंकि हमको इसको दो अक्टूबर को अमल में लाना है इसलिए पास होकर इस पर एसेन्ट हो जाये और रूल्स प्रेस्क्राइब्ड हो जावें और सारी की सारी कार्यवाही पूरी हो जावे। इसलिए पहले १० रोज आलरेडी रख दिया गया है। बिजनेश एडवाइजरी कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : इसके लिए मैं एक सुझाव दे देता हूँ। यह बढ़िया होगा कि हॉउस को एडजोर्न कर दीजिये और इसके लिए ऑर्डिनेन्स निकाल दीजिये और इसको जल्दी से जल्दी कर दीजिये। यदि इसको हाउस में रखना चाहते हैं और पास करवाना चाहते हैं तो फिर रिजनेबल समय डिबेट के लिए देना पड़ेगा। दो अक्टूबर को ध्यान में रख कर कुछ कम किया जाय लेकिन यह कहां तक सही है कि माननीय सदस्य इन क्लॉजेज पर हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं उनको समय इस पर पूरा न दिया जाय और समय को करटेल कर दिया जाय...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने करटेल करने के लिए नहीं कहा है। क्लॉज बाई क्लॉज डिस्कशन के लिए ६ दिन हॉउस ने रखे हैं, मैंने नहीं कहा कि समय को करटेल कर दिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह एक बहुत ही महत्व का विधेयक है और आवश्यकता है कि इसमें कुछ समय और बढ़ाया जाय।

श्री तनसिंह : हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि माननीय मंत्री महोदय की क्या भावना है और हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं लेकिन इस हद तक नहीं कि जो समय रिजनेबल डिबेट के लिए मिलना चाहिये वह भी न मिले....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस बीच अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैंने तो यह निवेदन किया था कि जो समय इसके लिए निर्धारित किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए बहस को रेगुलेट किया जाना आवश्यक है और इसके लिए जो समय निर्धारित है उसमें जिस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिये की जाय। यदि नहीं करना चाहते तो फिर वह रूल अपने आप आ जावेगा। That is for the Chair to decide.

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, इन क्लॉजेज में से सिर्फ एक क्लॉज पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि किसी पंचायत समिति में किसी आदमी का कोऑप्शन करना है तो यह उनके लिए है न कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कोई संस्था ठीक प्रकार से कार्य न कर

(श्री तनसिंह)

सके तो उसके लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया जाय कि वह अपनी उसके बीच में टांग फंसाये, इससे कोई स्वस्थ परम्परा नहीं दिखाई देती है। एक मौके पर काम ठीक न कर सके तो दूसरा मौका दिया जाना चाहिये नौकरशाही का वही पुराना दखल फिर किया जा रहा है। आज तक स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के पॉवर्स अपने पास रखती थी लेकिन जब जनतन्त्रीय शक्तियों ने आवाज बुलन्द की, जनता ने अपनी आवाज उठायी तो बड़ी मुश्किल से स्टेट गवर्नमेंट ने 'कोऑप्शन' को एडॉप्ट किया। लेकिन उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी यह टांग अड़ाई कि यदि कोई टेक्निकल मिस्टेक रह गई, ७ दिन में नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को वे ही अधिकार दिये जायं जिनसे कि बड़ी मुश्किल से तो जनता को छुटकारा मिला। जो कोऑप्शन के अधिकार समिति को दिये हुए हैं यदि इन अधिकारों को सरकार इस्तेमाल करेगी तो उन अधिकारों का दुरुपयोग होगा और ठीक प्रकार से विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं वह नहीं होगा। यदि ठीक प्रकार से विकेन्द्रीकरण की मंशा है तो इस प्रकार के अधिकार नहीं रखे जाने चाहियें। स्टेट गवर्नमेंट तो तब ही कोऑप्ट करती है जब कि उसको स्वयं को मदद की आवश्यकता हो। कोऑप्शन तो कोई मांग रहा है और बीच में स्टेट गवर्नमेंट टांग फंसा कर, बैठ कर, यदि बाड़मेर में कोऑप्शन करना है तो वहां की स्थिति को वहां की समिति ही जान सकती है दूसरे नहीं, सरकार का दल या सरकार के अधिकारी ही जान सकते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के अधिकार रख कर फिर कौन सा जनतन्त्रीय तरीका अपनाया गया है, वही पहले जैसी ब्युरोक्रेसी चल रही है। यदि विकेन्द्रीकरण की मंशा करने की है तो फिर इसमें सुटेबल अमेन्डमेन्ट करना चाहिये।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, धारा ७ में तीनों माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहले दस दिन का समय कोऑप्ट करने के लिए रखा है, यह अनिवार्य है। गांवों में डाक की व्यवस्था पूरी नहीं है जिससे कि सदस्यों को सात दिन के अन्दर इत्तिला मिल जाये, आज जैसी स्थिति है गांवों में डाक की, वहां यह संभव नहीं है। इसके साथ ही सीकर से आये माननीय सदस्य ने रजिस्टर्ड पोस्ट से इत्तिला देने का संशोधन रखा है उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। जो भी इत्तिला दी जाय वह रजिस्टर्ड पोस्ट से दी जाय। हमको यह अच्छी तरह से मालूम है कि किस प्रकार सदस्यों को इत्तिला दी जाती है। कहा तो यह जाता है कि इत्तिला दे दी गई लेकिन वास्तव में इत्तिला दी नहीं जाती। वास्तव में सदस्यों को इत्तिला दी जाय और ऐसे महत्वपूर्ण कमेटी के कार्यों के बारे में जब कि कोऑप्शन का मामला होता है तो सदस्यों को इत्तिला रजिस्टर्ड पोस्ट से ही दी जानी उचित है।

तीसरा यह है कि कलेक्टर हर एक मीटिंग को न बुलाये। यह भी ठीक है, जिले में एक कलेक्टर होता है और एक जिले में ८, १० समितियों होती हैं। एक कलेक्टर ८, १० समितियों की मीटिंग बुलाने के लिये इधर से उधर दौड़ता फिरेगा तो इससे समितियों का काम रुकेगा। मीटिंग बुलाई, इत्तिला नहीं

(श्री शंकरलाल)

पहुंची या किसी कारण से कोरम पूरा नहीं हुआ, फिर उसी समिति की वह दुबारा मीटिंग बुलाये, उसके लिए फिर कलेक्टर जाय, यह न तो कलेक्टर के लिए ही उपयुक्त होगा न ही पंचायत समिति के लिए भी। जब कि हम विकेन्द्रीकरण ही करने जा रहे हैं तो कलेक्टर को मीटिंग्स बुलाने के जहां अधिकार दे रहे हैं वे एस० डी० ओ० को दे दिये जांय तो यह कोई अनुचित बात नहीं है किन्तु हितकारक बात है। पंचायत समितियों का सरलता, सुगमता और शीघ्रता से निर्माण करना है तो एस० डी० ओ० ही मिटिंग बुलाये। धारा ७ में ये तीनों ही आवश्यक संशोधन हैं कि दस दिन का नोटिस दिया जाय, रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया जाय और कलेक्टर द्वारा मीटिंग न बुलाई जाकर एस० डी० ओ० बुलावें, ये अधिकार उसको दे दिये जांय। ये आवश्यक संशोधन हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। उपधारा ५ को रखने से सत्तारूढ दल का जनतंत्र में विश्वास नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। पंचायत समिति को अधिकार है कि सदस्यों के नोमिनेशन के लिए राय जाहिर करे और कोओप्शन करे और सरकार उसको मंजूर करे। फिर यह धारा रख कर पंचायतों में राज्य सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप करना चाहती है कि वह किसी भी सदस्य का मनमाने तरीके से कोओप्शन कर दे, यह तो प्रजातंत्र के सिद्धांतों के बिल्कुल ही विरुद्ध है। सत्तारूढ दल की ओर से यह लिया गया है, यह मनगढ़न्त धारा है। इस धारा को हटा देना चाहिये। कलेक्टर की जगह एस० डी० ओ० को रख दिया जाय। कोओप्शन रखने की आवश्यकता नहीं है पंचायत समिति में जो संशोधन मंजूर कर लिए गये हैं उनको मानना चाहिए। कोओप्शन करके किसी पार्टी या दल की मेजोरिटी बढ़ाना, यह उचित नहीं है। सरकार को नोमिनेट करने के अधिकार दे दिए जांय यह बिल्कुल विरुद्ध बात है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और उप-धारा ५ को हटाने का माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री लादूराम मुलाणिया (दूदू-सु०) : सभापति महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा ७ में जो संशोधन रखा है जो वाजिब है और मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट से इत्तिला दी जाय यह आवश्यक है। गांव की जो आज स्थिति है और सरपंच या कमेटी के मेम्बर आज जिस स्थिति में हैं उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज भी सरकार की ओर से गांवों में कमेटियां बुलाई जाती हैं और उनको इत्तिला दी जाती है वह ठीक समय पर नहीं पहुंचती है और उनको ठीक समय पर इत्तिला न मिलने से सदस्य उन समितियों में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

इस कारण को जो लेकर के संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमें रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है और इसके साथ साथ सदस्यों को भी सात दिन पहले इत्तला मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे स्वीकार करने की

(श्री लादूराम मुलाखिया)

कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ। धारा ५ के सम्बन्ध में सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि इस धारा को हटा दी जावे। यह बहुत जरूरी है इसलिये इसको हटा दिया जाना चाहिये।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत बिल के खंड ७ के उपखंड (५) के सम्बन्ध में मुझे केवल दो शब्द निवेदन करने हैं। जो संशोधन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके समर्थन में मैं दो शब्द कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में एक तरफ तो हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नोमिनेशन के अधिकार हमारी सरकार हाथ में लेने जा रही है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। ऐसी सूरत में जो सत्ता के विकेन्द्रीकरण का नारा दिया जा रहा है वहां इस प्रकार के अधिकार को अपने हाथ में रखना सही चीज नहीं होगी। बारबार ऐसा मौका पड़ सकता है पंचायतों में सरपंच से ताल्लुक रखने वाली बात है हो सकता है सात दिन के नोटिस में कोई एकत्र हो सके या न हो सके और दुबारा भी इकट्ठा नहीं हो सके तो ऐसी सूरत में जो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो किसी प्रकार की कोऑप्शन में सफलता नहीं मिल सकती और वैसी हालत में नोमिनेशन का अधिकार लिया जाना प्रजातन्त्र के खिलाफ है। इस तरह का अधिकार जहां सरकार अपने पास रखती है वहां सत्ता के विकेन्द्रीकरण में नीयत साफ मालूम नहीं देती। इन शब्दों के साथ सीकर से आने वाले महानुभाव ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : सभापति महोदय. निवेदन यह है कि सबक्लॉज (५)ऑफ क्लॉज ७ में गवर्नमेंट को नोमिनेशन के पॉवर्स मिलते हैं। मैं इसके लिए निवेदन कर रहा हूं। मान लीजिये लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर भी उनमें से किसी का कोऑप्शन नहीं करते। अगर लोग इकट्ठे भी हो गये और कोऑप्शन नहीं करना चाहेंगे तो भी नहीं हो सकेगा वे उसके लिए कह सकते हैं कि हमें इनमें से कोई भी कोऑप्शन के योग्य आदमी नहीं दिखा। कोऑप्शन के लिये जो क्वालिफिकेशन दी हुई है और पंचायत समिति की राय से यह तय होता है कि हमको कोऑप्शन करने की जरूरत नहीं है ये आदमी लायक नहीं है इसलिए इनको लेने की जरूरत नहीं है और इसी बिना पर वे कोऑप्शन नहीं करेंगे। इस तरह से कोऑप्शन नहीं होता है तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम तो नोमिनेट करेंगे तो इसके मायने क्या हो गये। जो आदमी एक प्रकार से पंचायत समिति के पोइन्ट आफ व्यू से अगर कोऑप्ट नहीं करता है तो उसमें गवर्नमेंट नोमिनेट कर देगी कोऑप्शन करे या न करे लेकिन नोमिनेशन का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत में नोमीनेशन के अधिकार सरकार के पास नहीं होने चाहिए। मैं सीकर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने एक बड़ा अहमियत का मसला है। हम जिस विकेन्द्रीकरण को एक बड़ी लम्बी-चौड़ी और सुसंगठित योजना बनाकर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे हमारा विकास हो, उसके साथ गवर्नमेंट का इतना दखल हो जाय यह उचित

(श्री अनूपसिंह)

नहीं है। जिनको सरकार चाहेगी, मेम्बर आये न आये, उसके लिये भी बैक डोर एन्ट्री रह जायेगी। इसलिए मैं अर्ज करूंगा आप अगर यह चाहते हैं नोटिस दिया जाय तो वैसे दिया जाय जिसे वकाई नोटिस कह सकें। यह हो सकता है कि किसी के पास नोटिस पहुंचे ही नहीं और वह समय पर न आसके। वैसी हालत में कोऑप्शन नहीं हो सकेगा। एक मीटिंग में कलेक्टर जाता है और वह मिटिंग किसी वजह से फेल हो जाती है और दूसरी मिटिंग बुलाई जाती है और वह दूसरी मीटिंग भी इस तरह से होजाती है उसके लिये सभी मेम्बरों को बाकायदा नोटिस नहीं मिलता है तो वैसी हालत में वाकई काबिल आदमी कोऑप्ट होने से रह जाते हैं, बिना नोटिस के वे पीछे रह जाते हैं और उसके बाद मनोवेरिंग इस तरह से होता है कि नोटिस एक्चुअली उनके पास नहीं पहुँचता है। ऐसे वक्त में होगा क्या ? ऐसे एलीमेन्ट्स पंचायत समिति में नहीं लिया जाना चाहिए वे वहां आ जायेंगे। इसलिये जो संशोधन रखा गया हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस दिया जाना चाहिये यह अवश्य होना चाहिये। उसके लिये पन्द्रह दिन का समय भी दे दिया जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा। इसलिए जब तक नोटिस की तामील अच्छी तरह से न होजावे उसके बिना नोमिनेशन कर देने से होगा क्या कि पंचायत समिति में ऐसे एलीमेन्ट्स आजायेंगे जो आपके काम को हर प्रकार से डिफीट करने की कोशिश करेंगे। उस मिटिंग में अगर पंचायत समिति किसी को चुन नहीं सकती कोऑप्शन नहीं कर सकती तो अक्सर ऐसा हो सकता है पार्टी-बाजी के कारण, मेनोवरिंग के कारण और जो वहाँ के नेता लोग होंगे और हमारे मन्त्री गण जिनके सहयोग पर रहेंगे, जिस जगह के लिए इन्ट्रेस्टेड होंगे वहां के लिए होगा क्या कि अमुक अमुक आदमी न आने पाये उनके पास नोटिस भी नहीं पहुंचेगा। और इस तरह से जो पंचायत समिति में योग्य आदमी आने चाहिये वे नहीं आ पायेंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि किसी वजह से कोऑप्शन के लिये फेल होजाते हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास अधिकार रह जाता है कि वे चाहे जिसको अपनी मरजी से उसमें डाल दें। मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मन्त्रीजी को या इस सदन के सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि हम अपनी सरकार में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास हो सकता है। आप ठीक ही करेंगे। पर आपके साथ भी तो ऐसे पिछलग्गू लगे हैं जो आपको सही और ठीक बात करने नहीं देते। मैं मानता हूं आप ठीक करने की इच्छा रखते हैं पर आपके पैरों में पार्टी की मोटी मोटी बेड़ियां और जंजीरें पड़ी हुई हैं। आपके हाथ उन जंजीरों से कसे हुए हैं और इस वजह से चाहते हुए भी सही कदम आप उठा नहीं पावेंगे, आप बाध्य होंगे धांधलीबाजी करने के लिये। फिर आप में इतनी हिम्मत है नहीं कि पार्टी की बात को छोड़कर आप आगे बढ़ जावें। इसमें आपके नेताओं का, हमारे नेताओं का और ऐसे एलीमेन्ट्स का गलत हाथ रहेगा और जिस पंचायत समिति को हम वाकई में ढंग से काम करने वाले, विकास कार्य को समझने वाले अनुभवी और जानकार आदमियों को लेने-देने की छूट देना चाहते हैं वह नहीं कर पावेंगे। नहीं तो फिर आप कायदे से उनको नोटिस दीजिये। एक बार नहीं मिलता है तो दूसरी और तीसरी बार दीजिये। पर पूरा कोरम नहीं होता है तो

(श्री अनूपसिंह)

इसके लिये इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिये कि नहीं आते हैं तो न आवें, हमारी बला से न आवें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): He must wait for that.

श्री अनूपसिंह: आपके लिये तो ठहरना ही पड़ेगा, हमारे लिये कोई ठहरे या न ठहरे पर आपके लिये तो जरूर ठहरेंगे।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर): आपके लिये भी ठहरेंगे।

(हंसी)

श्री अनूपसिंह: अच्छी बात है। महरबानी है आपकी।

अब सरकार के हाथ में यह पॉवर रहे कि कोआप्शन में फेल हो गई इसलिये हक चला गया है तो यह भी नहीं होना चाहिये। एक बार के नोटिस से नहीं होता है काम तो दूसरी बार चान्स दीजिये। तीसरी बार दीजिये। अगर आपकी भावना शुद्ध है, आप सही दिल से चाहते हैं कि ठीक आदमी आवें पार्टीबाजी के चक्कर में न आवें, दस्तन्दाजी की बातें न हो और विकास कार्य विकास कार्य के हिसाब से चलाये जावें तो इसको मौका और दिया जावे और सरकारी हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल न रखा जावे। जिन्होंने यह संशोधन रखा है उन्होंने वाकई में सारी बातों का और सारी परिस्थितियों का अवलोकन करके रखा है। मुझे आशा है राजस्व मन्त्रीजी को इसे स्वीकार कर लेने में कोई ऐतराज नहीं होगा। छोटी सी इन्नोसेन्ट चीज है। इसमें किसी का भी नुकसान तो हो नहीं रहा है। अगर इस संशोधन को मान लेते हैं तो कोई नौ की तेरह भी नहीं होती, लम्बी-चौड़ी बात नहीं हो जाती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): नौ की तेरह इस तरह हो जाती हैं। मैं समझता हूं। एक पोस्टमैन को रजिस्टर्ड लैटर आप दीजिये। उसके साथ तो आप नहीं घूमेंगे। वह महीनों तक भी उसका भुगतान नहीं करेगा अगर नहीं चाहेगा तो। और फिर यह लिख दे कि 'नोटफाउन्ड' तो फिर गया मामला महीनों पर। आप व्यवहार की और आदर्श की बातें करते हैं। आदर्श की बात तो यह है कि ज्यों ही चुनाव होता है काम करने की भावना जिनकी होती है वे जागरूक हो जाते हैं। जब चुनाव की घोषणा होती है तो राजस्थान भर में रामराज्य है, जनसंघ है, कांग्रेस है सारी पार्टियां जागरूक हो जाती हैं और जान लेती हैं कि चुनाव कब कहां होगा और जब जागरूक हैं तो जानते हैं वहां समय पर जाना है और सब काम करना है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम जनता में जागृति फैलावें। जनतान्त्रिक तरीकों से उनको परिचित करावें। तो जब हम जागरूक रहते हैं तो फिर यह क्यों चाहते हैं कि रजिस्टर्ड लेटर दिया जावे। जब इसमें भी आप यह कह सकते हैं कि लेटर में खाली लिफाफा ही था या खाली कागज था। तो आप इन बातों के लिए क्या आधार रखते हैं।

श्री होतीलाल (भरतपुर): What about inland letter?

श्री मूलचन्द डागा: हां आप इनलेन्ड लेटर दीजिए। पर आपका पोस्टमैन कह दे कि नाट फाउन्ड तो क्या करेंगे। पर सवाल

(श्री मूलचन्द डागा)

तो यह कि इसकी जरूरत क्या है ? एड्जोर्नमेंट मोशन में वैसे भी म्युनिसिपैलिटीज में और और समितियों की बैठकों में सब जगह यह प्रोसैस है कि उसकी सूचना नहीं दी जाती। बोर्ड पर लिख दिया जाता है, it is therefore not at all necessary.

मैं समझता हूं हम वैसे ही इन कामों में पूरे जागरूक रहते हैं। चुनाव के मामलों में हर पार्टियों वाले काफी जागरूक रहते हैं।

एक बात जरुर है। राजस्थान में २३६ पंचायत समितियां हैं। इनमें कलेक्टर दो दो तीन तीन बार एक एक जिले में साठ साठ और अस्सी अस्सी मील के दौरे करके जावेंगे और भरी भरकम भत्ता उनका बनेगा तो इस भारी खर्चे को बचाने के लिए एडीशनल ऑफिसर को डेपूट किया जा सकता है। इससे आपको लाभ होगा। पैसा बचेगा और कलेक्टर अपनी जीप लेकर और अपने स्टेनो को और चपरासी को लेकर घूमता घूमता पहुँचता है और अगर एक बार किसी कारण-वश नहीं पहुँचा तो आपका खर्चा तो होगा ही और काम भी सफर करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सब-डिविजनल ऑफिसर को भी वहां भेज सकते हैं। उसको जब आप रिर्टनिंग ऑफिसर बना सकते हैं, काफी ऊंचे केसों को सुनने का अधिकार देते हैं पर आप नहीं चाहते कि वह कोऑप्शन की मीटिंग में काम कर सकेगा। यह आप एक जान-बूझ कर खर्चा बढ़ाना चाहते हैं। फिर जहां कलेक्टर जावेगा वहां वह सब-डिविजनल आफीसर भी हाजिरी में रहेगा। तो एस. डी. ओ. को पंचायत समिति के कोऑप्शन के समय हिस्सा लेने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप और भी इनके चुनाव इन्सपेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा कराते हैं। आप उनको भी रख सकते हैं। फिर अगर समय पर किसी दिन कलेक्टर साहब ने कह दिया कि नहीं आ सकूंगा तो और भी दिक्कत हो जावेगी। सारा काम ठप्प हो जावेगा। तो इसमें अगर कलेक्टर भी दो चार बार गया और आप अन्दाज लगाए २३६ पंचायत के चुनाव में दो लाख रुपया खर्च हो जावे तो आप उस खर्चे का राज-स्थान भर में हिसाब लगावें। चार बार जाना पड़ेगा, सैक्शन ४ में आप उसको बुलावेंगे, सैक्शन ८ में जावेगा, कोऑप्शन के समय जाना होगा, और एक आध बार और देरी हो गई न जा सका तो जाना होगा। तो मेहर-बानी करके इस पर विचार करिये। अब भी आपके पास समय है। सब-डिविजनल ऑफिसर करिये। तहसीलदार करिये इससे ज्यादा काम होगा। और खर्चा कम होगा।

अब नोटिस दिया जावे या न दिया जावे ? यह तो आज ही मालूम हो गया कि यह कानून पास होते ही पंचायतों के चुनाव होने को हैं और सारी पार्टियां जागरूक हो जावेंगी। फिर जो जागरूक हैं वे आगे बढ़ेंगे, सोने वाले सोते ही रहेंगे। चौकन्ने रहेंगे उनके भाग जागेंगे। सोने वाले के भाग भी सोते रहेंगे।

श्री अनोपसिंह : पाली के सब-डिवि-जनल ऑफिसर आपके जान पहचान के हैं ?

श्री गिरधारीलाल : आप नौ की तेरह कर रहे हैं।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : यह लैटर भेजने की जो बात कही गई है उसमें सात दिन से दस दिन की बात कही है। आप

Page No.67

(श्री रामकरणसिंह)
सब जानते हैं कि देहातों में डाकखाने की कितनी क्या सुविधा है अभी जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसी-किसी गाँव में डाक सात दिन में एक दिन जाती है और अगर उस दिन जाने से किसी तरह कोई पत्र रह गया तो फिर १४ वें दिन डिलीवरी का समय आवेगा तो इस परिस्थिति को देखते हुए अगर दस के स्थान पर पन्द्रह दिन कर दिये जावें तो यह पन्द्रह दिन वाली बात भी उचित लगती है। तो इन चीजों को सब पहलुओं से सोचते हुए कोई उपाय निकालना पडेगा। राजस्व मन्त्री जी इन चीजों के बारे में सोचें और वास्तव में अगर सूचना देनी जरूरी हैतो जरूर दी जावे।

इसके बाद सब-सैक्शन (५) है। इसको देखने से तो ऐसा मालूम होता है कि कोऑप्शन वाली चीज पर यह बात चरितार्थ है कि बील्ली हज को चली।

इस पूरे बिल से ऐसा मालूम था कि इसमें कोऑप्शन सरकार के पास है। हीनहीं नोमिनेशन की कोई बात नहीं है। अब यह सब-सेक्शन (५) जानेसे 'बिल्ली हज को चली' सी बात मालूम होती है। जब बिल्ली ने चूहे खाने छोड़ दिये और हज को हो आई मगर मौका पड़ा तो खा लिया। वह बात इससे जाहिर होती है।

श्रीअनोपसिंह : यह बिल्ली कौनसी है ?

श्री रामकरणसिंह : यह आप सोचिये ?
इस प्रकार की जो बात कहीगई हैकि कोऑप्शन के बारे में काफी चर्चा होने के बादमें भी अगर नामीनेशन सरकार के हाथमें दियागया तो यह तो कतई जंचने वाली बात नही है। साथ ही इससे यह भी मालूम होता है कि चोर चोरी से चला जाये पर हेराफेरी से नहीं जाता। मुझे तो इसमें बैकडोर से एन्ट्री होने की बात दिखाई देती है। मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था कि कम्पोजिशन ऑफ पंचायत समितिमें इस प्रकार की बैकडोर से एन्ट्री की बात नहीं होनी चाहिए। जब आप चाहते हैं कि वास्तव में हम अपना प्रिन्सिपल बना चुके उसके बाद में भी उस चीज को दोहराना या फिर कही हुई बात को किसी न किसी प्रकार से वापिस बैकडोर एन्ट्री से लाना कतई उचित नहीं हैं। इसलिए मेरी समझ में यह कतई जंचती हुई चीज नहीं है।

श्री सभापति : Yes, Hon'ble Minister.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय।

श्री सभापति : No.

श्री पी० के० चौधरी : I want to speak on this Section Sir.

श्री सभापति : I have called upon the Hon'ble Minister to reply.

श्री पी० के० चौधरी : But before you called up I stood up.

श्री अनोपसिंह : His right should not be carfailed. A member has a right to speak.

श्री सभापति : A Member has got but not when I have calld the other name.

श्री पी० के० चौधरी : But I stood before your called.

श्री सभापति : No Mr. Chaudhary, I am sorry, I have been very lenient in this respect.

Page No.68

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, क्लाज़ ७ पर जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं और उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, खास तौर पर कोऑप्शन पर और उसके प्रासीजर पर और इस कोऑप्शन के बाद में अगर पंचायत समिति कोऑप्शन में नाकामयाब हो तो उस सूरत में गवर्नमेन्ट के पास पावर्स हैं नामीनेशन के और कोरम के ऊपर और कुछ नोटिस और उसकी मियाद पर इस तरह के कुछ अमेन्डमेन्टस हैं। अगर माननीय सदस्य इस क्लाज़ ७ को गौर से पढ़ेंगे तो इसके अन्दर गवर्नमेंट ने जो पावर्स ली हैं नामीनेशन के वह उस समय लिये हैं कि जब दो दफा कान्सीक्यूटिव मीटिंग होने के बावजूद भी पंचायत समिति कोऑप्ट कर न सके तब कहीं गवर्नमेन्ट आती है। अब सवाल यह आता है कि जब जो कान्सीक्यूटिव मीटिंग हो जाती हैं तो दो दफा का काफी समय होता है। हमने पंचायत समिति का प्रीसाइडिंग आफीसर कलेक्टर या एडीशनल कलेक्टर को रखा है। इसके लिए यह सुझाव है कि एस. डी. ओ. को भी रखा जाये। इसके बारे में तो मैं बाद में कहूंगा। इसके लिए कई माननीय सदस्यों ने विरोध भी किया है। पंचायत समिति अगर उसको कोऑप्ट नहीं करे तो एडजार्न मीटिंग ७ दिन का नोटिस दिया जाता है और फिर दुबारा मीटिंग होती है अगर उसमें भी कोआप्ट नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेन्ट ने पावर्स ली हैं कि वह नोमीनेट कर दे। क्योंकि जहां तक इस पंचायत समिति के गठन का प्रश्न है उसमें कोआप्शन का भी प्रावधान रखा है और अगर कोऑप्शन नहीं होता है तो फिर नामीनेशन होना भी लाजिमी है। अगर पंचायत-समिति मिलकर के किसी एलीमेन्ट को नहीं आने देना चाहतीं, कोरम के नहीं होने से या दूसरे कारण हो सकते हैं या कई मेम्बर हाजिर ही नहीं हैं और भी इसके अलावा कई कारण हो सकते हैं और दो कान्सीक्यूटिव मीटिंग होने के बाद में पंचायत समिति कोऑप्ट नहीं करती जिसका कि पंचायत समिति में रिप्रेजेन्टेशन होना जरूरी है तो यह आवश्यक है कि कोई न कोई तरीका निकाला जाये ताकि उस पंचायत समिति में इन्टरेस्ट को क्रियेट किया जाये। इसके सिवाय के कोई चारा नहीं है कि नामीनेशन ही किया जाये। एडजोर्न्ड मीटिंग में कोरम होने की आवश्यकता नहीं है यह भी सुझाव दिया गया तो उसके बारे में मैं कहता हूं कि कोरम के न होने से कोई भी मीटिंग एडजोर्न नहीं होगी, इसका अमेन्डमेंट भी पेश कर दूंगे और वह अमेन्डमेन्ट इस तरह से होगा :

The word " and the presence of the necessary quorum shall not be required at such adjourned meeting." these words shall be added at the end of sub-clause (3). Sub-clause (5) does not contemplate failure to coopt for want of cuorum .

This sub-Sec. reads- If for want of the necessary quoram or for any sufficient reason the members of the Panchayat Samiti referred to in sub-Sec. (1) Fail to coopt members. specified in sub-sec. (2) of Sec. 6, the Collector or the Additional Collecter presiding over the meeting shall adjourn the sane to another date ......at the end of this Sir and the presence of the aecessary qucrum shall not be required at such adjourned meeting, may be added with your permission I move this.

Page No.69

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने कही कि एडजोर्न्ड मीटिंग हो उसका नोटिस ७ दिन का नहीं होकर १० दिन का होना चाहिए, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने कहा कि जो हमारा आज फेज्ड प्रोग्राम है उसके अन्दर ७ दिन के अन्दर नोटिस इश्यू होता है इसलिए कि आज पोस्टल सिस्टम ऐसा है कि विलेजेज के अन्दर इत्तिला पहुंच जायेगी। फिर दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति का गठन और उसके प्रधान का चुनाव और उसमें कोऑप्शन का मसला। यह एक ऐसा डीसेन्ट्रेलाइजेशन राजस्थान में होने जा रहा है कि इससे कौन व्यक्ति अनभिज्ञ रह सकता है कि किस तारीख को मीटिंग है और कोऑप्शन होगा। अगर कोई मेम्बर है तो He sould take notice also, लेकिन गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से ७ दिन के क्लियर नोटिस की बात मानती है और उसमें यह है कि बाई पोस्टल इन्फारमेशन दी जायेगी।

श्री होतीलाल : On a point of clarification...

श्री उपाध्यक्ष : No sir.

श्री दयाकृष्ण विजय : पहली मीटिंग तो ७ दिन के क्लियर नोटिस से हो जायेगी लेकिन दूसरी मीटिंग चाहे तो दूसरे दिन ही बुला सकते हैं ७ दिन के नोटिस से तो।

श्री सभापति : I think it means that.

श्री दामोदरलाल व्यास : I think the words used in this are "within a week" it may be just two or three days after.

"If for want of the necessary quorum or for any other sufficient reasons the members of the Panchayat Samiti referred to in sub-sec. (1) fail to coopt members specified in sub-sec. (2) of sec 6, the Collecter and the additional Collecter presiding ovdr the meating shall adjourn the same to another date falling within a week...."

और इसके लिए जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने एप्रीहेंशन किया कि जो नोटिस दिया जाये वह... (विराम)

श्री सभापति : It means within a week.

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as intimation by Registered post is considered, I don't accept it for the reasons given by the Hon'ble Member coming from Pali. That will be sent under the Postal Certificate to ensure that it has been actually posted. The presumption of law will be that it has reached the addressee.

So for as the presidentship is concerned, difficulties may arise if the Collector or the Additional Collector does not reach there. I have no objection if these powers are given to the S. D. O. and therefore the Collector, Additional Collector and the S. D. O. may be inserted as an amendment given by Shri Sohanlal Bhatnagar.

श्री सभापति : His amendment is substitute.

श्री दामोदरलाल व्यास : Sorry Dr. Bahadur Singh's amendment. Amend.

श्री दामोदरलाल व्यास :

ment No. 31, Sir this is Add the words 'or Sub-Divisional Officer' after the words 'Additional Collector'. I think this is alright Sir.

In sub-clause (3) of course the intention is that the notice must be of seven days. Therefore, the amendment will be:- Substitute "not less than seven days after" for "falling within a week of".

Instead of "falling within a week of" उसकी जगह यह हो जायगा "not less than seven days after". तो इसके दो एमेंडमेंट हो गये। एक तो कोरम की आवश्यकता नहीं रहेगी और सबसेक्शन (३) में एडजोर्न्ड मीटिंग के लिए ७ डेज का नोटिस दिया जाएगा। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और एस० डी० ओ० उनके सामने एड किया जायगा। कलेक्टर का जिस रेफरेन्स में कहा है तो इनके एमेंडमेंट को स्वीकार करता हूं। बाकी के एमेंडमेंट को स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री सभापति : इसमें तीन एमेंडमेंट तो आपके हुए।

श्री दामोदरलाल व्यास : तीन एमेंडमेंट तो आपके होगए और एक एमेंडमेंट डॉक्टर बहादुरसिंह का है वह भी स्वीकार किया गया।

डा० बहादुरसिंह : जो संशोधन बताया है मेरे क्लाज ७ पर उनको मैं सदन से वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : That will be a consequential amendment. we have this 'Additional Collector' and 'S. D. O.' will be added after this. It is also in sub-clause (5) I think...

डा० बहादुरसिंह : सब क्लाज (५) पर था उतना ही संशोधन स्वीकार किया गया है। बाकी के जो हैं उन सब को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने उनका संशोधन मान लिया है इसलिए मैं अपने संशोधन को विड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव ७ क्लॉज की सबक्लाज (५) पर डा० बहादुरसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डा० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन के प्रस्तावों को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : I press my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री होतीलाल : But he has moved amendments, Sir.

श्री सभापति : जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हां' की आवाज़)

जो इसके पक्ष में नहीं हो वे 'ना' कहें।

(सरकारी पक्ष की ओर से 'ना' की आवाज)

'ना' पक्ष जीता।

राजा श्री मानसिंह : Ayes have it Sir.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : 'हां' पक्ष जीता।

श्री सभापति : You claim division on amendment to sub-clause (5) ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Yes Sir.

(मत विभाजन घंटी के पश्चात् पुन:)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ की सब-क्लॉज (५) पर जो संशोधन का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हो वे 'हां' कहें।

(विपक्ष की ओर से 'हां' की आवाज)

जो इसके पक्ष में नहीं हों वे 'ना' कहें।

(सरकारी पक्ष की ओर से 'ना' की आवाज)

'ना' पक्ष जीता।

श्री राजा मानसिंह : 'Ayes' have it Sir.

श्री सभापति : Then 'Ayes' to 'Ayes' lobby and 'Noes' to 'Noes' lobby.

(सदस्यगण लॉबीज में जाते हैं)

(मत गणना के पश्चात् पुन:)

श्री सभापति : प्रस्ताव के पक्ष में २१ मत और विपक्ष में ५६ मत। प्रस्ताव गिर गया।

(करतलध्वनी)

[विभाजन सूची के अनुसार :-

हां पक्ष

१. श्री अनूपसिंह

२. ,, दयाकृष्ण विजय

३. श्री गउआपटेल
४. ,, गिरधारीलाल
५. ,, होतीलाल
६. ,, जगदीशप्रसाद माथुर
७. ,, किशनाराम
८. ,, लादूराम मुलाणिया
९. ,, मंगलसिंह
१०. राजा श्री मानसिंह
११. श्री मोंगजी भाई
१२. ,, मोहरसिंह
१३. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१४. श्री नाथीसिंह
१५. ,, रघुवीरसिंह
१६. ,, रामधन पटेल
१७. ,, रामकरणसिंह
१८. ,, रामनारायण वर्मा
१९. रावराजा श्री सरदारसिंह
२० श्री तनसिंह
२१ ,, वीरका

ना पक्षः

१. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२. डॉ० बहादुरसिंह
३. श्री बरक्तुल्ला खां
४. ,, भैरवलाल काला बादल
५. ,, भैरोंसिंह खेजरला
६. ,, भोगीलाल पंड्या
७. ,, भोलानाथ
८. ,, चुन्नीलाल
९. ,, दलीपसिंह
१०. ,, दामोदरलाल व्यास

११. श्री धन्नालाल हरित
१२. श्रीमती गंगादेवी डाटा
१३. श्री गणपतिलाल वर्मा
१४. श्रीमती गौरीपूनिया
१५. श्री गोपाललाल पुरोहित
१६. ,, गोपीसहाय
१७. ,, गोवरधनसिंह केने
१८. ,, गुलाबसिंह
१९. ,, हरिदेव जोशी
२०. ,, हरिप्रसाद यादव
२१. ,, हजारीलाल भाकोलिया
२२. ,, जयचन्द्र मोहिल
२३. ,, जयसिंह राणावत
२४. ,, जेठमल बारवार
२५. ,, जुगलकिशोर चतुर्वेदी
२६. ,, ज्वालाप्रसाद
२७. श्रीमती कमला श्रोत्रिय
२८. श्री काना रेगर
२९. ,, किशनलाल शर्मा
३०. ,, लंदसण हीरात
३१. ,, मनरूपराम परिहार
३२. ,, मोडूलाल मीना
३३. ,, मूलचन्द
३४. राव श्री नारायणसिंह मसूदा
३५. श्री नाथूराम मिर्धा
३६. ,, परसराम मदेरना
३७. ,, फूला भाई
३८. ,, पी० के० चौधरी
३९. ,, प्रभुलाल पुरोहित
४०. ,, पुरुषोत्तमलाल शर्मा

४१. श्री रामचन्द्र

४२. „ रामदान चौधरी

४३. „ रामदेवसिंह

४४. „ रामप्रसाद लड्ढा

४५. „ रूपाराम

४६. „ सज्जनसिंह

४७. „ सम्पतराज जैन

४८. „ सम्पतराम

४९. श्रीमती सतवन्त कौर

५०. श्री शंकरलाल

५१. „ शीशराम ओला

५२. „ श्रीराम बसोतिया

५३. „ सोहनलाल भटनागर

५४. „ श्रीमानसिंह

५५. „ तेजाराम गहलोत

५६. „ तेजमल बापना

५७. „ उम्मेद

५८. „ विद्यासागर

५९. „ धर्मपाल पंवार]

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डाक्टर बहादुरसिंह ने रखा है सबक्लॉज (२) में उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री ने सब-क्लॉज (३) और (५) में रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ संशोधितरूप में स्वीकार की गई।

क्लॉज ८

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, जिस तरह क्लॉज ७ में मंत्रीजी ने संशोधन माने हैं उसी तरह यह और मानलें तो अनुचित नहीं होगा। मेरा संशोधन यह है : The words "The Divisional officer having jurisdiction over the block for which the Panchayat Samiti has been constituted" be substituted for the words 'Collector or the Additional Collector.' इसमें स्पेसिफकली Collector and Additonal collector न करके or कर दिया जाय।

दूसरा : The words 'or the Tehsil panchayat,' as the case may be' be added between the words "Panchayat" and 'but' in sub-clause (4A). It provides for panchayat लेकिन तहसील पंचायत के लिये नहीं है इसलिये स्पस्टीकरण के लिये यह किया है। और 'as the case may be' एड करने के लिए किया है, यही मेरा निवेदन है।

Page No.74

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : सभापति महोदय, मेरा अमेन्डमेंट यह है जिस प्रकार क्लॉज ६ में मान लिया है कि सरपंच, उप-सरपंच जो ग्राम पंचायत के हैं, तहसील पंचायत के हैं, यदि प्रधान चुन लिये जायेंगे तो सरपंच के स्थान से वे हट जायेंगे, अलग हो जायेंगे। इसमें धारा ८ की उप-धारा ४ ए का जिक्र किया है, जिसमें लिखा है कि यदि सरपंच या उप-सरपंच पंचायत के या तहसील पंचायत के प्रधान चुन लिये जयेंगे, तो वे सरपंच या उप-सरपंच चुन लेंगे, और तहसील के सरपंच या उप-सरपंच अलग हो जायेंगे या नहीं। तो 'or the Sarpanch and Up-Sarpanch of a Tehsil Panchayat' ये शब्द जोड़ देने का मेरा संशोधन है। [संशोधन इस प्रकार है:– After the words 'Sarpanch or the Up-Sarpanch of the Panchayat' in the fourth line add words' 'or Tehsil Panchayat'.]

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as addition of this concernes, I will accept it. All these amendments Nos. 35, 36 and 37 relate to this and I accept it.

श्री सभापति : Amendments Nos. 35, 36 and 37?

श्री दामोरलाल व्यास : Yes Sir.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति मोहदय, यह खुशी की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस अमेंडन्ट को मन्जूर कर लिया है। [संशोधन इस प्रकार है:—Insert the words 'or the Tehsil Panchayat,' between the words 'or Tehsil Panchayat'] मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई शंका की बात भी नहीं थी, जैसा उस दिन कहा था कि पंचायत की जो डेफीनेशन दी है, राजस्थान पंचायत एक्ट १६५३ में, उसमें है : "Panchayat" means a Panchayat established under this Act.

Sub-clause (13) says:- "Tehsil Panchayat" means a Tehsil Panchayat established under this Act. तो इसलिए, इस अमेन्डमेंट को नहीं मंजूर करते तो तहसील पंचायत के जो सरपंच हैं, उसको ऑफिस विकेट करने का सवाल नहीं है। उन्होंने इस बात को मंजूर किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ ही साथ, सभापति महोदय, मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्लॉज ८ है—Term of office of Pradhan and Up-Pradhan and of vacancies.

इस बिल में जहां तक कोऑप्टेड मेम्बर्स का सवाल है, सभापति महोदय, उनकी वेकेन्सी फिल अप करने का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। क्लाज ७ में जहां वेकेन्सी फिलअप करने का सवाल है। आप क्लाज ७ पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है : "The Collector shall, on a date previous to the date appointed for the constitution of the Panchayat Samiti under section 5 or subject to the provisions of sub-section (4) of section 5, one every occasion when the Panchayat Samiti is reconstituted, convene at the office of the Panchayat Samiti at the appointed time a special meeting...' यानि सेक्शन ७ में जो कोऑप्सन

(श्री पी० के० चौधरी)

का तरीका रखा है, वह पंचायत समिति के कान्स्टीट्यूट होने से पहले "a date previous to the date fixed for Panchayat Samiti..."लेकिन मान लीजिये कि पंचायत समिति के कान्सटीट्यूट होने के बाद किसी को-ऑप्टेड मेम्बर को चुना जाता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, I will draw the attention of the Hon'ble Member to clause 14 of the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : क्लॉज ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १४ ।

श्री सभापति : Clause 14- Filling up of certain Vacancies.

श्री पी० के० चौधरी : (After seeing the clause) O. K. I don't press the point.

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन यह है कि सब क्लॉज (२) और (३) को हटा दिया जाय। बात यह है कि मैं यह चाहता हूं कि जो पंचायत के प्रधान या उप-प्रधान हों, इनको स्थायी तौर पर नहीं रखा जाय। इसलिए जो चुनाव मेनर हो उसमें, नियमावली में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय कि जब मीटिंग हो उस वक्त प्रधान या उपप्रधान चुने जाया करें और बाकी टाइम पर अपने आप समाप्त हो। इसलिए दुबारा चुनाव कराने की व्यवस्था है, उसको हटाने के लिए मैंने रखा है। बात यह है कि जो सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने वाले हैं, उनका ज्यादा टाइम नहीं जायगा। साथ ही आज जो व्यवस्था ब्लाक में है कि ब्लाक की जब मीटिंग होती है तो उस वक्त प्रेसीडेन्ट चुना जाता है। उस वक्त प्रेसीडेन्ट चुने जाने के कारण जब मीटिंग खत्म हुई, तो वह प्रेसीडेन्ट समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार पंचायत समिति में होना चाहिए, बजाय इसके कि प्रधान या उप-प्रधान आफिस होल्ड करते रहें, उन्हें रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम इस तरह की व्यवस्था कर लें तो जिस वक्त पंचायत समिति की मीटिंग हो, उस वक्त विकास अधिकारी है, वह कन्वीनर के तौर पर काम करेगा और जो मेम्बर उपस्थित होंगे, उनमें से अध्यक्ष चुन लिया जायगा उसको प्रिसाइड करने के लिए और जब मीटिंग समाप्त हो तो अध्यक्ष समाप्त हो जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति, माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि सब-क्लॉज (२) व (३) को डिलीट कर दिया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप प्रधान या उप-प्रधान के इलेक्शन को बिल्कुल नहीं रखना चाहते हैं। I only want to know what he is driving at. Does he mean to say that there should be no election of Pradhn at all ?

श्री सभापति : He means to say that office should not fall vacant.

श्री बहादुरसिंह : क्लॉज १ है, उसके आधार पर इलेक्शन का प्रेसकाइब्ड मेनर होगा, उसमें व्यवस्था कर सकते हैं कि जो नियम बनाये जायं, उसमें ऐसे रूल्स हों कि अध्यक्ष का चुनाव होगा, वह इस प्रकार होगा, अध्यक्ष मीटिंग के टाइम पर चुना जायगा, उसके बाद ही समाप्त हो जायगा।

Page No.76

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाकी दिन कौन काम करेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : विकास अधिकारी कन्वीनर के तौर पर काम करता रहे। इस तरह जो झगड़ा है अध्यक्ष चुनने का, वह समाप्त हो जाता है। वैसे भी मीटिंग के बाद उसके पास कुछ कार्य नहीं रहता क्योंकि सारा का सारा काम ऑफिस करता है, और फिर विकास अधिकारी होगा, इस प्रकार अध्यक्ष पद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव था कि इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन था, वह धारा ६ से सम्बन्धित था, जिसमें सरपंच और उपसरपंच प्रधान हो सकते थे, अब उस धारा में सिर्फ सरपंच को मेम्बर बनने की अनुमति दी गई है, इसलिए मेरे संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री सभापति श्री : So you don't want to prees it.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : सभापति महोदय, जो अमेंडमेंट धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि क्लॉज ८ की उपखण्ड (२) व (३) में इलेक्शन का प्रावधान है प्रधान और उपप्रधान का वह रहे नहीं, उसमें से वह ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस चीज को देखा नहीं है कि सेक्शन २१ में पावर एन्ड फंक्शन्स ऑफ प्रधान और उपप्रधान दी गई है। मैं समझता हूं कि इस सारे बिल का मकसद डिसेन्ट्रेलाइजेशन है। हम इसके द्वारा पब्लिक के आदमियों को पॉवर देना चाहते हैं लेकिन वे चाहते हैं कि वे उसी रूप में रहे, जैसा कि ब्लॉक डवलपमेंट कमेटी में है कि जब सदस्य मीटिंग में आये तो उनमें से प्रधान चुन लिया, उसने प्रिसाइड ओवर कर दिया। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल है, जैसा सेक्शन २१ में दिया Powers and Functions of Pradhan and up-Pradhan:- 'The Pradhan of Punchayat Samiti shall'.

(a) convene, predside over and conduct the meetings of the Panchayat Samiti.

(b) have full access to all its records,

(c) encourage the growth of initiative and enthusiasm in the Panchayats and provide to them the guidance in the plans and production programme undertaken by them and help the growth of co-cperation and voluntary organisations therein,

(d) exercise administrative control over the Vikas Adhikari and the staff working in the block in relation to the implementation of the decisions and resolutions of the Panchayat samiti and the 'Standing Committees thereof...:"

यह जो चीज है उससे पंचायत समिति को या प्रधान को पॉवर मिलेंगे, सर्विसेज के ऊपर कन्ट्रोल करने के पॉवर मिलेंगे। प्रधान या

Page No.77

(श्री होतीलाल)

उप-प्रधान जो उस जिले के रहने वाले हैं अपने यहां की, वहां की जरूरियात के माफिक कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है इस हिसाब से अच्छी तरह कन्ट्रोल कर सकेंगे। पर जो अमेंडमेंट है उससे यह है कि अभी जो स्थिति है वही रहे और किसी प्रकार के अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं मिले। इसलिए मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं कि यह अमेंडमेंट स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय,......

श्री सभापति : I would like to know something about this sub-clause (4A) from you. Clause (4A):—

"(4A) If the Sarpanch or Up-Sarpanch of a Panchayat or a Tehsil Panchayat is elected as the . Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, on and from the date of his election as such, cease to be, and vacates the office of the Sarpanch or Up-Sarpanch of the Panchayat..." Now becausee we have used the word "or Tehsil Panchayat" That will mean both ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, we, have put the word "or Tehsil Panchayat"

श्री पी० के० चौधरी : In the Rajsthan Panchayat Act, 1953, both Panchayat and Tehsil Panchayat have been separately defined —

"Panchayat' means a Panchayat established under this Act;" and "Tehsil Panchayat' means a Tehsil Panchayat established under this Act.

So both of them have been separately defined and it is necessary to mention 'or Tehsil Panchayat' to distinguish it.

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि मैंने अर्ज किया है or the Tehsil Panchayat वर्ड एड कर दिये जांय। दूसरी चीज है सब डिवीजनल आफिसर की बजाय कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर रखने का रखा है कि उसको पहुँचने में मुश्किल होगी कोई मुश्किल नहीं होगी। इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने सब-डिवीजनल आफीसर सब्सटीट्यूट करने का रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : जो संशोधन प्रस्ताव क्लॉज ८ (४८) में श्री सोहनलाल भटनागर, श्री रामप्रसाद लड्ढा और श्री पी०के० चौधरी ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉज८ संशोधित रूप में स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

श्री सभापति : श्री पी०के० चौधरी।

क्लॉज ६

श्री पी०के० चौधरी : I don't want to move.

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : I move that in sub-clause (2) for the word "final", the words "appealable to the High Court on the prescribed grounds and within the prescribed period" should be substituted. sub-clause (2) reads:— "(2). A petition presented under sub-section (1) shall be heard and disposed of in the prescribed manner and the decision of the Judge thereon shall be final." मैने इसमें यह वर्ड जोड़ने की कोशिश की है कि 'appealable to the High Court.. कोई इलेक्शन पिटिशन करने वाला है और जहां तक उसे कानून की मदद मिल मिल सकती है, उसमें अड़चन, रुकावट डालना यह कान्स्टीट्यूशन के विपरीत होगा और इस तरह आप किसी को उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। इलेक्शन पिटीशन कोई व्यक्ति करता है और करने के बाद पंचायत समिति का जजमेंट हो जाता है उसकी अपील की। ज्यादातर यह होता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लॉ की इतनी बारीकियों की तरफ नहीं जा सकते हैं और हाई कोर्ट में लॉ की बारीकियों की तरफ जा सकते हैं इसलिए इसके वास्ते बाधा उपस्थित नहीं करें और...that judgement should be appellable to the High Court.

इसके लिये मुनासिब करते हैं तो कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ बात होगी। इसलिये हमें यह संशोधन मान लेना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज का फैसला हो वह अपीलेबल होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कारण यह है कि प्रधान और उप-प्रधान के इलेक्शन का प्रश्न है, इसको अन्नेसेसरीली डिले करना मुनासिब नहीं होगा। हाई कोर्ट में अपील का रख कर इसे इतना तूल देना उचित नहीं होगा। जज की हैसियत का डिसाइड करेगा, यह इसमें रखा है, इसी को फाइनल मानना ठीक है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य इसको महसूस करेंगे। हाई कोर्ट में अपील करने का रखना उचित नहीं होगा, इसको अन्नेसेसरिली डिले करना होगा इस

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिये अस्वीकार करता हूं। अपील हर्गिज़ प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए, इसे रख कर काम को अन्नेसेसरिली डिले करना होगा, कोई भी स्टे ला कर रोक देगा... Panchayat Samiti will be deprived of a Pradhan किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल आपत्ति हो इससे हाईकोर्ट में जाय तो कोई रुकावट नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : अपील का चान्स तो उसे होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जरूरत ही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : But in all cases it is generally allowed that one must have a chance of appeal.

श्री सभापति : Are you withdrawing your amendment ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : मेरा एक अमेंडमेंट था।

श्री सभापति : I haven't got it unfortunately.

श्री शंकरलाल : सुबह ही पेश किया है। It is with regard to the period...

श्री सभापति : But it is not with me.

श्री शंकरलाल : बहुत जरूरी है, इजाजत हो तो पेश कर दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't think such an amendment would be practicable. Fixing of period; supposing within that period the application is not disposed of then ? So an ineffective amendment should not be brought here.

श्री शंकरलाल : जब तक पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं दो दो साल तक पिटिशन पेन्डिंग पड़ी रहती हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास : Ordinarily we should prescribe certain rules for the disposal of an appeal and as far as practicable.

श्री शंकरलाल : पहले अमेंडमेंट मूव करने की इजाजत दी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : It should be dispsosed of as early as possible but to prescribe that it should be disposed of within two months or three months, and supposing the judge, on account of certain reasons, cannot dispose of it, then what should be done ? Will it then mean that the petition stands disposed of ?

We have prescribed that "within the prescribed period" That provision is already there in clause 9.

श्री सभापति : Yes Shri Mool Chand Daga. Do you want to withdraw your amendment ?

श्री मूलचन्द डागा : I beg permission to withdraw my amendment.

Page No.80

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw my amentment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ स्वीकार की गई।

क्लॉज १०

डॉ० बहादुरसिंह।

श्री पी० के० चौधरी।

Do not want to move ?

श्री जगदीशप्रशाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, मेरे संशोधन ये है :

1. The words "five years" be substituted for the words "three years" in the second line of sub-clause (1).

2. The proviso to sub-clause (1) be deleted.

3. Part (c) of sub-clause (2) alongwith the proviso be deleted.

माननीय सभापति महोदय, मेरा निश्चित मत है कि पंचायत समिति का कार्यकाल ५ वर्ष का होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि पंचायत समिति प्लान के माफिक चलती है, प्लॉन ५ साल तक चलता है, उसकी सारी जिम्मेदारी पंचायत समिति को देते हैं तो जरूरी है कि उसकी अवधि ५ वर्ष की हो। जैसा कि १० वर्ष का और ५ वर्ष का मेहता कमेटी ने भी कहा है: "We suggest that wherever possible it should be arranged that Panchayat Samiti should have a life of five years and should come into being some time in the third year of the Five Year Plan period. A Samiti once elected will be able to see the execution of the second half of the Five Year Plan drawn up by its predecessor, draw up its plan for the next period and shoulder responsibility for seeing it through the first half of the period. This will be in the interest of wise planning and efficient execution of the Plan."

तो जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी उसने भी निश्चित राय दी थी कि प्लानिंग और execution की वजह से पांच वर्ष की अवधि दी जावे। तो मैं नहीं समझ सकता कि राजस्थान सरकार ने यह तीन वर्ष का समय क्यों दिया है। सरकार ने इसका कोई कारण नहीं दिया है।

दूसरी बात, कल मैंने यह निवेदन किया कि विधान सभा की अवधि ५ वर्ष की होती है तो फिर....

श्री सभापति : Do you suggest salary also there ?

श्री सोहनलाल भटनागर : सेलेरी तो होगी ही। आगे चलकर थोड़ा बहुत अलाउन्स दिया ही जावेगा। तो दूसरा मेरा संशोधन है, The proviso to sub-clause (1) be deleted. और प्रोविजो यह है

"Provided that the term of a Panchayat Samiti constituted under this Act before the 31st day of January, 1961, shall not extend beyond that date."

सभापति महोदय, पंचायतों के गठन के बारे में जब तीसरा क्लाज आया था उस समय उसकी अवधि के बारे में काफी एतराज किए थे। जो पीरियड हमने रखा, मैं नहीं समझता कि इस समय पंचायतों के गठन के बारे में और अवधि के बारे में एतराज हो सकता है। वर्तमान पंचायतें हैं और जहां पंचायतों के पंच चुने हुए हैं वे जातीयता के आधार पर और क्षेत्रिय भावना को लेकर चुने गए थे। लेकिन जब हम पंचायत समिति का गठन देखते हैं तो यह विदित होगा कि हम डाइरेक्ट इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं। जो सरपंच होते हैं या चुने हुए होते हैं और जो पंचायत समिति की अवधि हो वह फुल टर्म के लिए रखनी चाहिए।

तीसरी बात कृषि निपुण के बारे में थी। मैं इसको मूव नहीं करता लेकिन मैं एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि कृषि निपुण की एक वर्ष की अवधि आपने रखी है। उसमें काफी खर्चा होगा और बड़ी गड़बड़ी होगी। इसलिये मेरे खयाल से इसकी भी अवधि पंचायत समिति के साथ रखी जावे तो कोई एतराज नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : Sir, sub-clause (2) (b) of clause 10 provides that :

"a member co-opted under clause (e) of the proviso to sub-section (1) of section 6 shall hold office till the reconstitution of the Panchayat or Tehsil Panchayat and the election of its Sarpanch;" and the proviso to clause (e) of sub-section (1) provides :

"in the case of a superseded Panchayat, the Panchayat Samiti shall co-opt a person residing in the area within the jurisdiction of such Panchayat to be the member representing such area'" Now this clause does not envisage any case of a superseded 'Tehsil Panchayat'.

श्री दामोदरलाल व्यास : We have amended this. "Tehsil Panchayat" has already been added in part (e) of proviso to sub-clause (1) of clause 6.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : If it has been amended and "or Tehsil Panchayat" has been added, then I don't press my amendment. [संशोधन इस प्रकार है:- Part (a) of sub-clause (2). After the word 'Sarpanch' add the words 'or Up-Sarpanch'

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

the words 'or Tehsil Pandayat' occuring in third line.]

राजा श्रीमानसिंह (बैर) : Sir, part (c) of sub-clause (2) of clause 10 reads : "(c a) member co-opted under clause (1) or clause (v) of sub-section (2) of section 6 shall hold office for a term of one year unless before the expiration of such term he ceases to be the Krishi Nipun of the block or a member of the managing committee of the co-operative society functioning in the block."

It has been decided, Sir, that a Krishi Nipun shall hold office for one year unless before the expiry of such term he ceases to be a Krishi Nipun. I fail to understand Sir that when a person who has been declared as an expert with regard to his qualiications, then how his special knowledge or qualifications are diminished by virtue of not taking part in the competition and, therefore, not being declared or recognised as Krishi Nipun before the expiry of one year.

Similarly, the principle of coopting a member of the Managing Committee of a co-operative society is that by taking a person he, might be able to give some incentive to the Panchayat Samiti towards co-operative societies. But if for some reason that person resigns from his managing committee of the co-operative society, then I don't understand how the Panchayat Samiti to which he has been co-opted cannot be benefited by his special knowledge. Therefore my amendment is that in part (c) of sub-clause (2), delete all the words after "one year".

My second amendment is for deletion of the proviso. The proviso is:—

"Provided that, in the case of any such member being a Krishi Nipun, the State Government may extend the term by a period not exceeding one year and such extension shall cease to be operative if he ceases to be the Krishi Nipun of the block at an earlier date;"

We have already passed that a Krishi Nupun means a person declared as such for every block by the Zila Parishad. So if the term of a Krishi Nipun has to be extended, it should be extended by the Zila Parishad itself, otherwise we may have contradictory orders being passed. It is my amendment that the term of office of Krishi Nipun or a member of the Managing Comittee of a co-operetive Society, who is coopted, should last for one year only without any prohibitions. Therefore, I move this amendment.

A person, Sir, who has legal knowledge and has passed LL B. and has practised law, does not cease to have that knowledge by virtue of his not practicing. Even the hon.

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

Minister here, who has expert knowledge of law, dose not cease to have this knowledge because he is not practising and is Minister. Similarly, a person declared as Krishi Nipun or who is a member of the managing committee of co-operative society, does not cease to be an expert. Therefore, I have put up this amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपने अमेंडमेंट को प्रेस नहीं किया है। एक अमेंडमेंट मेरा भी है जो आपकी आज्ञा से पेश करता हूं। वह रह गया था। "In the proviso to part (c) of sub-clause (2) substitute 'Nipun' for 'Pandit'.

पंडित की जगह 'निपुण' रखा है। जहां तक अमेंडमेंट है so for extending the period of the term of Panchayat Samiti is concerned, I regret I cannot accept it because extending it beyond three years will not be proper. The period of a Panchayat is 3 years and the Panchayat Samiti which is constituted of Panchas and Sarpanchas of Panchayats should also not be more than three years.

Another point raised by hon. Member from Bharatpur is about extending the term of Krishi Nipun He has misunderstood the thing. The State Government will exercise this power only when no other Krishi Nipun is nominated by the Zila Parishad. That goes without saying. These powers will be exercised by the Government only when nobody is declared as Krishi Nipun in a particular block by the Zila Parishad.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : But this has already been amended. 'Zila Parishad' has been substituted for 'State Government'

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes that is also correct. स्टेट गवर्नमेंट की जगह जिला परिषद् हो जावेगा। Now I think the Hon'ble Member should have no apprehension.

राजा श्री मानसिंह : One point has been made clear, and I hope the Government will also accept my other amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर : I beg leave of the House to withdraw my amendmnt.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I beg leave to withdraw my amendment.

श्री सभापति : Is that the leave of the House ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : Yes Raja Man Sinhg

राजा श्री मानसिंह : I seek leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव राजा श्री मानसिंह ने रखे हैं उनको विड्रा करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजा श्री मानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज १० को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज १० स्वीकार की गई।

क्लॉज ११

श्री बहादुरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर : I don't want to move.

श्री सभापति : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, यह अयोग्यता के सम्बन्धमें है। इसमें जो प्रोविजो है उसका फर्स्ट पार्ट इस प्रकार दिया गया है :—

Provided that,

"(i) for the purpose of clauses (c) and (g) any person may be declared eligible for election by a general or special order of the Stat Government in this behalf."

(सी) (ज) में जो लोग डिस्क्वालिफाई हो गये हैं उनको सरकार अपने अधिकार द्वारा योग्य घोषित कर सकती है। अब प्रश्न यह आता है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं और सरकार को किस प्रकार के अधिकार देना चाहिये ? उप क्लॉज (सी) को जहां तक देखें वह इस प्रकार है।

"(c) has been dismissed from Government service for mis-conduct involving moral turpitude and has been declared to be disqualified for employment in the public service."

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यह उप-क्लॉज (सी) है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति को हटा दिया जायगा वह डिस्क्वालिफाई हो जायेगा और उसके बाद उप क्लॉज (g) दिया है।

"(g) has been convicted by a competent court of an offence involving moral turpitude or of an offence under the Untouchability (offences) Act, 1955...'

इसके अन्दर कई आदमी सम्मिलित हो गये हैं। इस प्रकार के लोगों को डिबार किया है। वे इलेक्शन में पंचायत समितियों या जिला परिषदों के इलेक्शन्स में सम्मिलित नहीं हो सकते। जहां तक उनको डिबार किया है वह तो ठीक है लेकिन डिबार करने के बाद उन व्यक्तियों को किस प्रकार से योग्य घोषित किया जाय इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं दिया गया है। उसके लिए तो सरकार ने अपने पास अधिकार लेलिये हैं। सी० डी० के अनुसार जिन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है उनको राज्य सरकार साधारण आज्ञा द्वारा योग्य घोषित कर सकती है। यह अधिकार इस प्रकार से लेना कहीं भी उचित नहीं दिखाई देता है। हमने नगरपालिका विधेयक बनाया उसमें देखिये कि उस प्रकार के आदमी को सजा होगी। जनरल इलेक्शन का जो कानून है उसके अनुसार भी इस प्रकार के आदमी को सजा होगी, दो, एक साल, तीन साल चार साल, वह उसके बाद योग्य घोषित हो सकता है। जो भी सजा दी गई है उस सजा के पूरी होने के बाद वह योग्य घोषित हो सकता है। इसमें भी माननीय मन्त्री महोदय जितना उपयुक्त समझें समय निर्धारित कर देना चाहिये जिससे कि साल दो साल सजा का बीत जाय उसके बाद वह योग्य हो सकता है। इसमें इस प्रकार से प्रावधान नहीं रखने से यह हो सकता है कि आज सजा हो गई और कल राज्य सरकार चाहे तो उसको योग्य घोषित करदे, इस प्रकार के ये अधिकार हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को तीन साल बीत गये, सजा की अवधि समाप्त हो गई, चार साल हो गये फिर भी जब तक राज्य सरकार उसको योग्य घोषित नहीं करती है तब तक वह योग्य घोषित नहीं हो सकता। इसलिए इसको इस प्रकार कानून की शक्ल दे दें, आफ्टर लेप्स ऑफ वन इयर टू इयर, जैसा मन्त्री महोदय इसको उचित समझें। मैंने इसमें प्रोविजो रखा है :

Substitute the proviso to part(I) by the following:—

"Provided that for the purpose of clausees (c) and (g) any person shall be eligible for election after the expiry of a period of one year after the date of dismissal or expiry of the sentence, as the case may be."

यानि जिस दिन से डिसमिसल होता है उसके बाद एक साल के व्यतीत हो जाने पर या सजा भुगतने के एक साल के बाद का प्रावधान रख देते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह हानिकारक नहीं होगा। इसी प्रकार का प्रावधान हमने पहले म्युनिसिपल विधेयक में किया है कि अगर कोई सजा याफ्ता है तो उसके दो साल या तीन साल के बाद वह म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की अवधि सरकार की मर्जी पर न हो उसका निश्चित समय बता दिया जाना चाहिए।

Page No.86

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

आशा है मेरे इस संशोधन को माननीय मन्त्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्लोज ११ के अन्तर्गत दो संशोधन हैं। [संशोधन इस प्रकार हैं:— Add the following proviso to part (g)-

'Provided that the Disqualification incurred under the Untouchability Act, 1955 shall be deemed to have been removed after the cxpiry of one year,

Delete part (i) of the proviso to part (1). उसमें एक संशोधन तो यह है कि अस्पृश्यता कानून के अन्तर्गत जो व्यक्ति अयोग्य घोषित करने का प्रावधान रखा है यानि अस्पृश्यता कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है इस कारण उसको अयोग्य घोषित किया गया है।

दूसरा संशोधन मेरा यह है कि धारा सी के अन्दर गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हो गया हो या किसी प्रकार सजायाफ्ता हो तो वह आदमी चुनाव नहीं लड़ सकेगा यानि अस्पृश्यता निवारण विधेयक के अन्तर्गत कुछ लोगों को सजा हो जाती है ऐसे व्यक्तियों को अधिक काल तक चुनाव के अयोग्य घोषित करना न्यायसंगत नहीं होगा। अगर हम इस प्रकार का प्रावधान रखते हैं तो यह आशंका हो सकती है, किसी की किसी से दुश्मनी हो तो वह किसी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति से कहलवा सकता है या उससे झूंठी गवाही दिलवाकर उसको सजा भी करवा सकता है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति को सजा मिल जाती है उसके कारण वह डिसक्वालिफाइड होजाय यह ठीक प्रतीत नहीं होता। हमें इस प्रकार की घटनायें कई देखने को मिलती हैं। अगर हमने अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया और वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता इस प्रकार की कई घटनायें होती रहती हैं और इससे कई लोगों को अयोग्य घोषित किया जाने लगेगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें समय की अवधि एक साल की कर देनी चाहिए।

इसके साथ साथ सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि कनवीक्शन के लिये अधिक समय नहीं रखा जाना चाहिए। कोई व्यक्ति राजनैतिक कारण से भी सजायाफ्ता हो सकता है और दूसरे कारणों से भी सजा मिल सकती है। इस प्रकार से जो सजा भोगता है उसके अन्तर्गत जो मोरल टरपीट्यूड की बात कही गई है मैंने उस बारे में संशोधन रखा है और अनटचेबिलिटी क्लोज के लिए भी रखा है वह यह है कि उसकी मियाद भी एक साल की हो जानी चाहिए। अनटचेबिलिटी के कारण किसी प्रकार से अयोग्य घोषित होजाता है उसकी मियाद केवल एक साल तक की होनी चाहिए।

इसके अलावा क्लोज सी और डी में जहां सरकार को पॉवर्स दिये हैं मोरल टरपीट्यूड या मिस कन्डक्ट के कारण कोई अयोग्य घोषित किया गया हो उसके लिए भी मर्यादा होनी चाहिये। जिन लोगों का आचरण ठीक नहीं है उनको आगे आने दिया जाय यह कतई उचित नहीं है। इस बारे में

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विधान सभा के सामने कई दफा इस प्रकार के प्रश्न भी लाये गये। एक जेबकतरे को प्रोफेसर बना दिया उसको दुबारा रख दिया गया जो अजमेर कालेज में प्रोफेसर है। इसलिए जिन लोगों का आचरण भ्रष्ट है और जिनके बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वैसे लोगों को अगर आप पंचायत समिति में आने देंगे तो उनका संचालन सफलतापूर्वक नहीं हो सकेगा। एक बार जो भ्रष्टाचार के आरोप में सजा भुगत चुका है ऐसे आदमियों को जिनके मुँह खून लग चुका है। लालच जिनको लग चुका है उनको समितियों में आने ही नहीं देना चाहिए। आने भी देते हैं तो इसके लिए एक सीमा निर्धारित की जा सकती है। अस्पृश्यता के लिए हम राजस्थान की ग्रामीण व्यवस्था को देखें तो हमें पता चलेगा कि चाहे हम छुआछूत का कितना ही कानून बना लें लेकिन जो परम्परायें पुरानी गाँवों में चली आरही हैं उनसे उनका उद्धार अभी तक नहीं हो पाया है। उसके लिए सामाजिक जागृति की आवश्यकता है जन साधारण में इसके लिए चेतना उत्पन्न करने की आवश्यकता है केवल कानून बना. देने से यह होने वाला नहीं है। इस तरह से जब तक समाज के जन साधारण का जागरण न हो जाय उस पर जो पुरानी रूढ़ियों का असर है उसके कारण अगर छुआछूत की भावना है पुराने सुपरसेशन के कारण अगर उसके अन्दर छुआछूत की भावना है तो वह भावना केवल कानून के बना देने से दूर होने वाली नहीं है। आप जिन गाँवों में पंचायत समितियों का निर्माण करने जा रहे हैं उनमें कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो पंडित हैं छुआछूत करते हैं तो उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा यह कहने पर कि यह छुआछूत करता है उसकी सेवा से वहाँ की पंचायत समिति वंचित रह सकती है। हालांकि वह व्यक्ति निर्दोष है पुरानी परम्पराओं के कारण रूढ़ियों के कारण वह इस प्रकार कानून के शिकंजे में आ जाता है और उसको सजा भी हो जाती है तो भी उसको अधिक काल तक दूर रखा जाना उचित नहीं है और न यह न्यायसंगत भी होगा। उसका मोरल किसी प्रकार भी गिरा हुआ नहीं है उनकी कुछ पुरानी रूढियाँ हैं इसके कारण छुआछूत करता है तो यह उसकी वृत्ति किसी प्रकार भी पंचायत समिति के विकास में बाधक बनती नहीं है। यह ठीक है आपने इस बिल के पीछे यह भी लिखा है कि हम इसके द्वारा बेकवर्ड क्लास को उठाना चाहते हैं। हो सकता है ऐसे छुआछूत रखने वाले व्यक्ति को आप कमेटी में मत चुनिये अन्य सामान्य प्रशासन आर्थिक मामलों में सलाह आदि देने में तो उसका उपयोग हो सकता है। इसको हम उसका नैतिक आचरण ठीक नहीं है इस प्रकार का दोष नहीं दे सकते। जिन लोगों को अस्पृश्यता अधिनियम के अन्तर्गत कुछ सजा हो जाती है उनके लिए भी मेरा यह संशोधन है कि एक साल के बाद चुनाव के योग्य उनको मान लिया जाना चाहिये यही पर्याप्त सजा है। इसके कारण उनको जो डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ है उससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। इसी कारण मैंने इसके सी पार्ट को डिलीट करने का प्रस्ताव रखा है। आचरण भ्रष्ट लोग आगे आयेंगे भी नहीं और इस तरह से सच्चे और ईमानदार लोग आगे आयेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आचरण से जो भ्रष्ट लोग है उनको प्रजातन्त्र में आगे आने का मौका कतई नहीं देना चाहिये। अस्पृश्यता के लिये

(जगदीशप्रसाद माथुर)

भी मैं चाहता हूँ कि एक वर्ष के बाद उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाना चाहिये इस अहमियत को मंत्री महोदय भी स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसकी अहमियत को स्वीकार करते हुए इसका पुरजोर समर्थन करेंगे।

राजा श्री मानसिंह (बैर):- Mr. Chairman, Sir, I move my amendment to part (ii) of the proviso that after the words "any person" and before the words "may be" insert the following words:-

"shall become eligible for election after a lapse of five years or earlier." The hon. Member-incharge has also brought an amendment of similar type but my amendment differs from that he has proposed, because my amendment seeks to disqualify a person under clauses (c) and (g) for five years which is also the period provided in the Representation of the People Act.

I feel that sometimes the Hon'ble Member agrees with the Representation of People Act but sometimes he goes beyond it. He has suggested that a person who is disqualified should not be allowed to stand for two elections, whereas the Representation of People Act is quite clear and it does not disqualify for two elections either to the Legislative bodies in the States or at the Centre. I therefore appeal to the Hon. Minister that he should accept the principle which has been accepted throughout the country that a person who comes under any particular disqualification should be eligible for election after a lapse of five years and five years only.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरा अमेन्डमेंट है साहब। [संशोधन इस प्रकार है :

(i) Substitute '20 years' for '25 years.'

(ii) Delete the proviso.]

सभापति महोदय, यह जो प्रजातन्त्र का नारा है उसकी मूलधारा एक मनुष्य की मानवता का विकास करना है जब तक मानवता का विकास नहीं होता प्रजातन्त्र की नींव का पत्थर नहीं लगता। अब इसमें मनुष्य का सुधार करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जो अड़चन बीच में है उसे दूर हटाना होगा। सरकार चाहती है कि जो इन्टर मीजिएट फेल भी है तो उसको एम० ए० क्लास में बिठाना चाहे तो बिठा सकती है। यह नई चीज इस धारा में मालूम हुई। समाज वालों ने जिसका बहिष्कार किया, इम्मोरल कैरेक्टर के कारण जिसको न्यायालय ने दूर कर रक्खा है जो समाज में एक प्रकार का घुन और रोग साबित हो रहा है उस रोग को सरकार अमरदान देना चाहती है यों कहना चाहिए। ज्योंहि सरकार का कड़ा उस पर फिर सरकार ने कह दिया कि ठीक है त्यों ही उसका घुन या रोग सब साफ हो गया। यह समझ में आने वाली बात नहीं है।

हम मनुष्य की कीमत आंकना चाहते हैं उसके चारित्र से। पैसे और पद से नहीं

Page No.89

(श्री मूलचन्द डागा)

आंकना चाहते। जब कि सरकार हमें उस नाप से नापने की बात कह रही है। आप चोर, लुटेरे, डाकुओं और जिन्होंने इधर-उधर के काम कर लिए हैं और जिनकी वजह से वे सरकारी नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं और जिन्होंने ऐसा काम कर लिया है जो समाज की दृष्टि से हेय गिना जाता है उन लोगों के लिए आपने लिखा है कि "(1) For the purpose of clause (c) and (g) any person may be declared eligible."

तो यह समझ में नहीं आया। कोई शर्त नहीं, कोई कन्डीशन नहीं। कितने साल बाद आप उनको इलीजीबल समझते हैं ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट की मंशा यह है कि किसी भी आदमी का सुधार करना चाहे तो वह एक कड़ा फेर देने मात्र से सुधर गया घोषित करना चाहती है। आप समाज सुधारक हो सकते हैं पर इसके लिए आप एक अवधि नियत कर दें, दस साल या बीससाल या पांच साल कुछ अवधि तो नियत करनी ही चाहिए ४०६ और ४०८ धाराओं में हटाये गए पटवारी, इन्सपेक्टर आदि नहीं तो पदासीन हो जावेंगे। समाज जिन आदमियों का बहिष्कार कर देता है उनको आप अपनी तरफ से लाकर आगे बिठाना चाहते हैं। इसलिए इसमें कोई समय का निर्धारण करना जरूरी है।

दूसरी बात यह है, एकने पैसा पेमेन्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ जिसने पैसा पेमेंट नहीं किया अकर्मण्य है उसको भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। जो समय पर पैसा पेमेन्ट नहीं कर सकता वह आदमी वहां बैठकर समय पर क्या कर सकेगा। समाज का और हिन्दुस्तान का नुकसान उन आदमियों से ज्यादा है जो अपने कर्तव्य को नहीं समझते और को अकर्मण्य और आलसी हैं। एक आदमी की गल्ती से समाज का बहुत बड़ा अहित हो सकता है। आप जानते हैं एक ड्राइवर की गल्ती से सारी ट्रेन डिरेल हो सकती है और बहुतों की जानें जा सकती हैं। तो इसलिए आप सच्चरित्र आदमियों को लें। इनसे आपका मकसद पूरा हो सकेगा। आदमियों की आपके पास कमी नहीं है। हर साल पचास आदमी पैदा होते हैं। आप सही आदमियों को प्रोत्साहन दें। आप कहते हैं कि आप समाजसुधारक हैं। ठीक है आप सुधारक हैं और नीचे गिरे हुओं को उठाना चाहते हैं तो उठाएं पर इसके लिए उनको समय दीजिए। आठ साल या पांच साल या दस साल कुछ समय दीजिए।

इसके बाद दूसरी तरफ आप इन्सोलवेन्ट को भी अलग रखना चाहते हैं। पर यह उतना बुरा नहीं है जितना मिस कन्डक्ट से सरकारी नौकरी से अलग किया जानेवाला आदमी, इम्मोरल के कारण अलग किया हुआ आदमी या दुराचरण के कारण जो आदमी समाज की नजरों में गिर चुका है। आप उसकी तो इस प्रोविजो से प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। जैसे शब्द कहा गया है दादा। वे लोग जो पोलिटिक्स में उखाड़-पछाड़ करते हैं, और उन अखाड़ों में वे ही लड़ते हैं जो लोग दादा होते हैं। उन दादाओं के लिए आप रोक लगाइए। दादाओं पर हाथ रखना ठीक नहीं। हाथ आपको उठा देना चाहिए। आपका यह प्रोविजो रखना उनके सिर पर हाथ रखना है। अगर यह हाथ आप उन पर रक्खेंगे तो वे प्रजातन्त्र की मूल भावना पर ही कुठाराघात करेंगे। आर० एम० ने आंखें मींच रक्खी हैं। शायद आंखें मीचकर उन

Page No.90

(श्री मूलचन्द डागा)

ने सोचना शुरू कर दिया है। यह अन्दर से सोचने की पद्धति अच्छी है। तो वे सोच रहे हैं यह अच्छी बात है।

श्री पी० के० चौधरी : भूल भी जाते हैं इससे।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : पर है यह बिलकुल ठीक पद्धति। आंखें बन्द करने से बाहर की बातों से अलग हो कर आदमी अन्दर से सोचना शुरू करता है। तो अगर वे सोचें तो अच्छा है।

श्री आबिद्अली (सवाई माधोपुर) : मैं सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अमेंडमेंट मूव करना चाहता हूँ।

एक तो प्रिन्टिंग मिस्टेक है। 'इम्मोरल' की जगह 'मोरलटरपीच्यूड' होना चाहिए।

Another amendment is in conforrmity with the amendment which we have already made regarding disqualification of members of the Panchayat. उसी तरह का अमेंडमेंट मैंने यहां पर किया है, जो इस तरह है : In part (i) of the proviso for the words 'may be' substitute "shall become eligible for election after a lapse of six years from the date of his dismissal or conviction, as the case may be, or earlier if he is."

So it will read like this:—

"(i) for the purpose of clause (c) and (g) any person shall become eligible for election after a lapes of six years from the date of his dismissal or conviction, as the case may be, or earlier if he is declared eligible for elction by a general or special order of the State Government in this behalf." वह प्रोविजन है जो इस बिल में अमेन्ड किया है। क्लॉज ३ में पंचायत के मेम्बर की डिसक्वालिफिकेशन दी हैं एग्जेक्टली दिस क्लॉज इन कन्फर्मिटी ऑफ That : The third amendment relates to part (g) जहाँ लिखा : In part (g) insert towards the end the words "or under any other law notified in this behalf by the State Goverment."

तो उसमें जो आफेन्सेज कमिट हो गए वह और एेड करना चाहता हूँ। यह तीन बातें मैंने एेड की हैं। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने जो अमेन्डमेन्टस पेश किए हैं उनके लिए मेरा रिप्लाई इस तरह से है।

श्री पी० के० चौधरी : Point of order, Sir. The reply should be given later on. First we should move amendments.

(घंटी)

श्री सभापति : श्री आबिद्अली।

श्री आबिद्अली : सभापति महोदय, यह क्लाज ११ में सब–क्लाज (बी) का जो प्रोविजो है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। इसके शब्द यह हैं :

(श्री आबिद्अली)

"Provided that (1) for the purposes (c) and (g) any person may be declared eligible for election by a general or special order of the State Government in this behalf."

इसमें जो क्लाज (g) है उसमें कहा है : " (g) has been convicted by a competent court of an offence involving moral turpitude or of an offence under the Untouchability (Offences) Act, 1955 (Central Act XXII of 1955)." तो इसमें मुझे निवेदन करना यह है कि हमने पीनल आफ ला के तहत जितने भी आफेन्सेज सोसाइटी में कमिट होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पीनल आफ ला में अलग अलग हैड्स में, अलग अलग चैप्टर्स में सोसाइटी के रिफार्म्स के लिए उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। कुछ आफेन्सेज सोसाइटी में इस प्रकार के होते हैं जो कि ह्यूमन बाडी के खिलाफ होते हैं और उसका चैप्टर अलग है। कुछ आफेन्सेज इस तरह के होते हैं कि जिनका सम्बन्ध क्राइम से होता है, कुछ आफेन्सेज इस तरह के होते हैं कि जिनका सम्बन्ध गवर्नमेंट से होता है, कुछ आफेन्सेज इस तरह के होते हैं कि जिनका सीधा सम्बन्ध आदमी की मोरेलिटी से होता है। आदमी की मोरेलिटी से सम्बन्धित जो आफेन्सेज होते हैं उन्हीं को स्पेसिफिकली इस क्लाज में रखा गया है। अगर किसी आदमी के कन्विक्शन का समय होता......

श्री दामोदरलाल व्यास : I may tell him that moral turpitude does not mean only those offences which concern the morality of a man. Moral turpitude is well defined and interpreted by various judgements of High Courts in different cases and it does not certainly mean those offences which relate to the morality of man.

श्री आबिद्अली : It becomes necessary, Sir, that so far as the definition of Moral turpitude is concerned, it should be made clear in the House.

जहां तक मोरल टरपीट्यूड का सवाल है उसमें वह आफेन्सेज आते हैं जिनमें इन्सान मारेली गिर जाये मसलन चोरी that is punishable under Section 379 I.P.C. मसलन डैकेटी, मसलन रौबरी, मसलन अननेचुरल आफेन्सेज, मसलन रेप। तो यह इस प्रकार के आफेन्सेज हैं जिनका सीधा सम्बन्ध इन्सान की मारेलिटी से है और जब आदमी का मारेल इस प्रकार से गिर जाए तो मैं बताऊँ एक फारसी में मिसरा है बिच्छू की जो तबियत बन गई है डंक मारने की वह नेचर से हम बदल नहीं सकते। इसी तरह से एक आदमी हैबीचुअल आफेन्डर है तो हैबीचुअल आफेन्सेज को रोकने के लिए, डेकोयटीज को रोकने के लिए, थैफ्ट को रोकने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हमारे यहां जयपुर में पहले था और करीब करीब जितने भी कोवेनेन्टिंग स्टेट्स थीं उनमें भी यह एक्ट एनफोर्स था। क्या कारण था ? क्या रीजन था कि ऐसे मामले जहां होते थे या दूसरे आफेन्सेज कोई कमिट होते थे तो

(श्री आबिद अली)

उनको चैक करने के लिए, सोसाइटी के अन्दर रिफार्म लाने के लिए ताकि उनकी भावना बदल जाये, ऐसा एक्ट था। उपाध्यक्ष महोदय, हम इसको देखते हैं कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में धारा ११० मौजूद है। जब लेजिस्लेशन यहां बना और प्रमुख कारण उसका यह था कि आदमी की भावना बदले उसकी जो मेन्टेलिटी बन गई है आफेन्स कमिट करने की उससे सोसाइटी के दूसरे आदमियों को सबक मिले। तो जहां तक मारेल टरपीट्यूड का प्रश्न है तो उसमें ऐसे केसेज आते हैं। एक आदमी जो ७ दफा सजायाफ्ता है अगर वह आगे आफेन्स ६ साल तक कमिट नहीं करता तो उसकी तबियत में से वह चीज नहीं जा सकती, वह किसी भी समय किसी आदमी को पकड़ सकता है, मार सकता है और पैसे लूट सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पब्लिक में वह बेईमानी कर सकता है। इस तरह के केसेज आ सकते हैं। अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मारेल टरपीट्यूड का मतलब है कि जहां मारेल का शब्द आ जाता है वहां पर हमको एक लिमिट रखनी पड़ेगी, एक सीमा रखनी पड़ेगी कि जहां तक मोरेल का प्रश्न है ऐसे कौन कौन से क्लाजेज हैं जो कि मारेलिटी में आते हैं। हम यह समझें कि वह आदमी जो आफेन्सेज करता है वह पब्लिक के कार्यों में नहीं आ सकता। जो कि पब्लिक बाडी बनती है पंचायत समिति या जिला परिषद उसमें वह आदमी नहीं आ सकता जो कि इस तरह के आफेंसेज करेगा। मैं नहीं समझ पाता कि जहां अननेचुरल आफेन्सेज जिस आदमी ने कमिट किए हैं, थैफ्ट किया है या राबरी की है या और कोई ऐसा ही आफेन्स कमिट किया है तो इस सम्बन्ध में यह रख देना ही ठीक था कि ६ साल में कोई आदमी समझ जाता है और आफेन्सेज रिपीट नहीं करता तो उसको चांस दे देना चाहिए। लेकिन यहां पर दूसरा प्रोवाविजो रख दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने यह रख दिया कि ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स गवर्नमेंट समझती है तो उसको हटा लेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी आदमी ने चाहे ३७६ में कोई आफेन्स कमिट किया है और उसके बाद में अगर ६ महीने चले जायेंगे या गवर्नमेंट समझती है तो उसको सरकार एलीजीबल कर देगी। मैं वैसे स्टेट गवर्नमेंट की बोनाफाइडी को चेलेन्ज नहीं करता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे आदमियों को प्रेरणा मिले कि ऐसे आदमी पंचायत समिति में या जिला परिषद में नहीं जा सकते कि जिन्होंने मारेल आफेन्सेज कमिट किए हैं। तो दूसरे आदमियों के रिफार्म्स के लिए मैं यह मुनासिब समझता हूँ कि आखिर में जो शब्द हैं वह निकाल दें और ६ साल की कन्डीशन है वह ज्यादा उचित रहेगी।

श्री रामचन्द्र (डाग–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, ११वीं धारा के अन्दर किसी व्यक्ति को पंचायत समिति के मेम्बर होने से जो रोकती है उसमें भिन्न भिन्न दशा में भिन्न भिन्न बातें बतलाई गई हैं लेकिन अन्त में उन अपराधों को या उन अयोग्यताओं को दूर करने के लिए दो रामबाण औषधियां आखिर में इसमें रख दी गई हैं। यदि वह चाहे जितने भी हीनियन आफेन्सेज़ करे और करते हुए भी यदि गवर्नमेन्ट चाहे तो उन आफेन्सेज़ से बरी कर सकती है। यह जो दो प्रोविजो इसमें

Page No.93

(श्री रामचन्द्र)

लगाये गये हैं इनका प्रभाव सोसाइटी के ऊपर किस प्रकार पड़ेगा इस पर इस सदन के माननीय सदस्य स्वयं सोच सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मारेलिटी का जहां तक सम्बन्ध है वह समाज के साथ है। कोई आदमी यदि इम्मोरेल होता है तो उसका सम्बन्ध उसका दुष्प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है डाइरेक्ट गवर्नमेन्ट के ऊपर नहीं। गवर्नमेन्ट जो है वह समाज का हिस्सा है। यह मैं मानता हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कोई आदमी किसी के साथ इम्मोरेल व्यवहार करता है तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा अगर आदमी स्वयं माफ कर दे तो अच्छा है। दुःख तो पाती है जनता और माफी देती है गवर्नमेन्ट, तो यह कहां तक ठीक है। अगर इसके अन्दर यह रख दिया जाता कि यदि प्रजा यह चाहे तो उसको माफ कर सकती है तो मैं इसको मान लेता लेकिन उसका बुरा प्रभाव तो पड़ता है जनता के ऊपर जिसकी वजह से उसको सजा मिली है और उसको माफी सरकार दे रही है। इसलिए इस प्रकार की छूट दे कर के इम्मोरेल आदमी को और अधिक इम्मोरेल बनाना उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो इसमें बहुत ज्यादा अखरने वाली है वह है कि अनटचेबिलिटी के आफेन्स के अन्दर किसी को सजा मिल चुकी है तो उसको सरकार माफ कर सकती है। इधर तो आप सारी अनटचेबिलिटी को दूर करना चाहते हैं उधर अनटचेबिलिटी के आफेन्स करने पर आप माफी दे रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन सा न्याय है? पंचायत एक्ट में भी अनटचेबिलिटी का प्रोविजन रखा गया था वह महज़ इस ख्याल से रखा गया था। मुझे जहां तक मालूम है कि एक अमेन्डमेन्ट के द्वारा यह अमेन्डमेन्ट लाया गया था कि कोई आदमी अनटचेबिलिटी के आफेन्स में सजा पा चुका है वह पंचायत का मेम्बर नहीं हो सकता है। आज उन्हीं पंचायतों को दूसरा रूप दिया जा रहा है, अगर इसमें यह प्रोविजन रखा जा रहा है कि यदि कोई अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत कोई सजा पा जाता है तो सरकार उसको माफ कर सकती है। सरकार ने इतना लिबरल होकर इस कानून में यह संशोधन रखा है तो मैं कहूंगा कि ग्रामीण समाज में हरिजनों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि आज जो दशा हरिजनों की गांव की पंचायतों में हो रही है वह विधान सभा के कानून बनाने वाले सदस्य बखूबी जानते हैं, और सरकार के जो कर्मचारी और बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें मालूम हो या नहीं लेकिन इस विधान सभा के सदस्य उससे वाकिफ हैं कि आज पंचायतों में हरिजन मेम्बर का प्रोविजन है लेकिन वहां पहले तो हरिजनों को मेम्बर ही नहीं बनाते, मगर उनकी शिकायत करने पर मेम्बर बनाये जाते हैं और फिर भी वही व्यवहार होता है जैसे कि वे अस्पृश्य हों। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा के अनुसार इतनी छूट दे दें पंचायतों को तो वह जो अस्पृश्य है वह अस्पृश्य ही बने रहेंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि यह जो प्रोविजन रखा है? यह प्रोविजन यहां से बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने क्लॉज (१)

(श्री अनोपसिंह)

और (२) विचाराधीन है और उसमें माननीय सदस्य ने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि यह वर्ड एड किये जायं प्रोविजो के पार्ट (१) में "Shall become eligible after a period of six years"

मैं समझता हूँ कि यह प्रावधान इसके अन्दर जोड़ देना कोई खराब नहीं होगा, और जहां तक मैं समझता हूँ कि शायद कोई गलती आपस में पहले सुधर जाय वैसी बात होगी। यह एक मामूली सा संशोधन है, और उसमें यह होता है कि सरकार के ऊपर एक जो वजन रहता है या सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि किसी आदमी को एलीलेजीबल कर दें, किसी की डिस्क्वालिफिकेशन है तो उसको नहीं निकाले, इसकी जो कुछ जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर आती है, इसके बजाय यह अच्छा है कि लेप्स ऑफ दी इअर्स के साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हो जाय और वह वापिस एलीजीबल हो जाय।

इसके सिवाय जब हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन और विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके अन्दर गवर्नमेन्ट के हाथ में इस तरह की ज्यादा पॉवर्स रखें और फालतू की रास्ते चलते की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ लेना कि अमुक आदमी है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रखें या नहीं, किसी की डिस्क्वालिफिकेशन निकालना है या नहीं, इस बात की जिमेदारी गवर्नमेन्ट अपने ऊपर क्यों ले। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अपने हाथ अलग रख ले तो मेरे खयाल से बहुत सा ऐसा क्रिटिसिज्म जो कि गवर्नमेन्ट पर वक्त आये हो सकता है। और ऐसे कई खराब आदमी संरक्षण भी पा सकते हैं ऐसा भी हो सकता है जो अपने हुक्स और क्रुक्स और मेनोवरिंग में कई आदमी बड़े सक्सेसफुल और सफल हो जाते हैं कि किसी भी तरह का चकमा देकर वे एलीजिबल होंगे और इलेक्शन में खड़े होंगे। और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को हटा देते हैं, तो मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट अपने ऊपर फालतू की जिम्मेदारी क्यों रखे कि आदमी रिप्रेजेन्ट करें। उनमें कोई खास फर्क नहीं आता है। अगर कोई आदमी इस बात से महरूम रह जाता है। आखिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली हट जाती है तो मैं समझता हूं कि इस तरह से गवर्नमेन्ट क्यों ख्याल करे कि वह एलीजिबल है या एलीजिबल नहीं है और गवर्नमेन्ट की तरफ से बड़े स्पेशल आर्डर से वह एलीजिबल बनाया जाय। इसका काम तो यही हुआ। आज अगर कोई आदमी किसी का मोरल टरपीट्यूट होता है या वह इस तरह का आफेन्स करता है, इस तरह की बात कर देता है तो गवर्नमेन्ट वापिस रद्द करवाना चाहती है, और इस सेक्शन के अण्डर में जो कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन पैदा होती और हैं उस पैदा हुई डिस्क्वालिफिकेशन को गवर्नमेन्ट बाई स्पेशल आर्डर खत्म कर दे तो वह आदमी हमेशा के लिए निश्चिन्त बन जाता है, गवर्नमेंट किसी आदमी पर अपना हाथ रखती है या किसी को फेवेराइट समझती है, इसमें यह होगा। मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस तरह की बातें होंगी और आपको यहां बैठे बैठे मालूम नहीं पड़ेगा कि किसी आदमी ने बदमाशी की है और आपके हाथ से स्पेशल ऑर्डर

(श्री अनोपसिंह)

निकलवाया जायेगा कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हटा दो, वह बहुत भला आदमी है। इस तरह का उपधारा में रखने के बजाय गवर्नमेन्ट यह रखे कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली सीज़ हो जाती है तो ठीक है। ऑटोमेटिकली सीज़ नहीं होती है तो स्पेशल ऑर्डर निकलवा कर किसी आदमी को क्वालिफाइड करवाना ऐसी बात तो नहीं है जिसको मैं समझूंगा कि वह ठीक है।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है और जो करना चाहते हैं 'or under any other law notified in this behalf by the State Government.' वह इतनी बड़ी वेग टर्म है कि जिसमें किसी लॉ की बात हो, किसी लॉ का मोरल टरपीट्यूट हो, किसी की डिस्क्वालिफिकेशन हो, कोई आदमी किसी तरह से मालूम नहीं करता है कि किसी लॉ में किसी भी दिन उसको फंसा सकते हैं। कोई भी आपत्ति मेरे खड़े होने पर की जा सकती है। मेरे पर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन लगाई जा सकती है कि अमुक लॉ में फंस गया हूं और खड़ा नहीं हो सकता हूं। इतनी वाइड और वेग टर्म है। यह इतनी वेग टर्म हो सकती है कि जिसके अन्दर किसी भी आदमी को कहीं पर अपनी पार्टी के कहने पर कभी भी फंसा सकती है और उसको खड़ा होने से महरूम कर सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज करूंगा कि जब हम विकेन्द्रीकरण की ओर जा रहे हैं। हमारी गांव की जनता के हाथ में सत्ता आये तो इस तरह की क्लॉज लगायें कि भला आदमी भी महरूम रह जाय और नालायक आदमी को लायक बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में विकेन्द्रीकरण और विकास किसी तरह से पूरा नहीं हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके सिवाय इसमें ऐसी भी एक बात होनी चाहिए। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर निकलवाने के लिए जाय तो एक सर्टीफिकेट चाहे वह जिला परिषद् से ले या वहां की पंचायत समिति से ले कि हमारे खयाल में जो कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन पैदा हुई थी वह डिस्क्वालिफिकेशन हटाई जाना जरूरी है। वह आदमी इतना नालायक नहीं है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन रह कर वह महरूम रहे। इस तरह का सर्टीफिकेट जिला परिषद् या पंचायत समिति का जो कि चुनाव होकर हट जाने वाली है उससे ले कि वह ऐसा आदमी नहीं है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हटाई जाय। ऐसे सर्टीफिकेट पर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है, क्योंकि इस तरह का रिकमन्डेशन जिला परिषद् से आया है या पंचायत समिति से जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन हटा दे तो कोई बात नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह का क्लॉज है — "any person may be declared eligible for election by a general or special order..." यह तो एक ऐसी बड़ी चीज हुई जिसके अन्दर नालायक को लायक बना सकती है। यह बात तो ऐसी हुई जैसा कि पार्लियामेंट का ऑर्डर है any bastard can be declared as lagitimate and legitimate can be declared bastard अगर इस तरह के पार्लियामेंट पॉवर्स गवर्नमेंट के

(श्री अनोपसिंह)

हाथ में रहेंगे तो मेरे ख्याल से तो हमारे मकसद किसी खास तरह से जनता के हित में पूरा होने वाला नहीं है।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : Is there any provision in the People Representation Act with regard to disqualification ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Refer to it. Nobody Knows it. उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेन्डमेंट पेश किया और जिसमें मैंने ६ साल का डिस्क्वालिफिकेशन रखा वही क्लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया था पंचायत एक्ट में अमेन्डमेंट क्लॉज ३ का किया उसमें वैसा का वैसा क्लॉज इन्सर्ट किया था।

अब रहा सवाल खास तौर से सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने पीनल कोड का हवाला दिया, गवर्नमेंट पॉवर ले रही है, क्रिमिनल्स और डेकोइट्स हैं उनको भी........

श्री आबिदअली : It is moral turpitude... ..

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, yes I mean all those persons who have commited offences involving moral turpitude,

लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह प्रोविजन खाली इसमें ही नहीं, सिमिलर एक्ट म्युनिसिपेलिटी का देखेंगे उसमें भी है। यह क्यों रखा जाता है? आज देश के इतिहास को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत से ऐसे आफेन्सेज टेक्निकल हैं जिनकी वजह से टेक्निकल ग्राउन्ड पर सजा हो जाती है चाहे वह सजा १ दिन की हो या १ रु० का ही जुर्माना हो: it involves moral turpitude. इसलिये इसे रखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो हीनियस क्राइम्स हैं, हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया जायगा बल्कि फ्री इन्डिपेन्डेन्स के टाइम के बहुत से पोलिटिकल वरकर्स हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंन्ट ने झूठे मुकद्दमें लगाकर सजा दिलाई थी। ऐसा प्रोविजन अगर आज नहीं रखते हैं तो वे वर्कर जिन्होंने देश की सेल्फलेस सरविस की थीं उनको भी डिसक्वालिफाई करते है। यह नहीं हरेक को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। जिन्होंने टेक्निकल ओफेन्सेज के लिये सजा पाई या वे लोग हैं जिन्होंने पिछले जमाने में देश की सेवा की थी और उन पर झूठे ऑफेन्स लगाये गये थे उनके लिये यह रखा गया है।

अब यह ऐतराज किया गया कि अनचेयरूस के लिये क्यों रखा जाता है, उनको छिबार करने की जरूरत नहीं है....

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको समझने की जरूरत है। टेक्निकल आफेन्स अलग है। एक आदमी को मामूली भूल से सजा मिलती है और एक आदमी इरादतन जुर्म करता है उसको सजा मिलती है। जो इरादतन गलती करता है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे लोग आजाते हैं जो बिना गलती टेक्निकल तौर पर सजा पा जाते हैं या जिन्होंने ब्रिटिश टाइम में देशभक्ति के कारण सजा पाई है उनके लिये प्रोविजन रखा है कि बिफोर सिक्स ईयर्स वे इलेक्शन

Page No.97

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में भाग लें। इसलिए तमाम बातों को देखना पड़ता है। महज इसलिये कि गवर्नमेन्ट के हाथ में पॉवर आगई इसलिये जिनको चाहेंगे उनको छूट देंगे ऐसी बात नहीं है। यह पॉवर पहले भी तो मौजूद थी। आप बताइये कितनों को कंडोन किया और क्रिमिनल्स को इलेक्शन में पार्ट लेने के लिये एलिजिबल किया। यह लॉ आज का ही नहीं पहले भी था, दूसरे एक्ट में भी मौजूद है। मैंने वजूहात बता दिये। ६ साल के बाद डिसएपिअर हो जायगा।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर डिबेट नहीं हो रही है।

श्री रामचन्द्र : मन्त्रीजी ने उत्तर में यह फरमाया....

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर प्रति–उत्तर कैसे चलेगा।

श्री रामचन्द्र : मेरा अर्ज करना यह है..

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर प्रत्योत्तर नहीं नहीं चलेगा।

श्री रामचन्द्र : मुझे अपने विचार रखने के लिये.......

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member is asking for calarification.

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन यह है कि मन्त्रीजी ने उत्तर में यह फरमाया था कि विशेष क्लास के लिये यह प्रॉविजन रखा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनटचेबिल एक्ट पहले नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : I take the amendments now.

श्री रामचन्द्र : मेरी अर्ज यह है कि अनटचेबलिटी के लिये कानून बना हुआ है तो उसकी प्रोविजन्स के खिलाफ आप कानून नहीं बना सकते।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव क्लॉज ११ में श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह : Sir, I press my amendment about disqualification for five years.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I presume that.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजा श्री मानसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय :

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No.98

श्री मूलचन्द डागा : I may be permited to withdraw Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ संशोधित रूप से स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ संशोधित रूप से स्वीकार की गई।

श्री उपाध्यक्ष : I would like to give my observations over the points of order raised on clause 6 B.

On clause 6 of the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads, Bill, 1959, some amendments were moved seeking to insert the provisions to the effect that members of the Rajasthan Legislative Assembly should also be included in the composition of the Panchayat Samities.

These amendments were moved by:—

1. Shri Ramprasad Ladha,
2. Shri Laxman Hirat,
3. Shri Narayan Singh Masuda.

Shri Laxman Hirat and Shri Narayan Singh made a substantive proposal in their amendments for keeping the M.L.A.s as regular members of the Panchayat Samities, whereas Shri Ramprasad Ladha made a similar suggestion with the proviso that the M.L.A. s will only be entitled to participate in the deliberations at the meetings of the Panchayat Samities or the sub-committees thereof and shall have no right to vote.

When a decision of the House on clause 6 was taken, Shri Ladha withdrew his amendment and the amendments of the other two members were negatived.

A point, therefore, was raised when Shri Sohan Lal Bhatnagar moved an amendment providing therein that the M.L.A. s shall be Associate Members of the Panchayat Samities. The objections were mainly as follows:-

(1) That the addition of a new clause is mis-fit and beyond the scope of the Bill.

That the provision should better have been made in clause 6 and since that clause has already been passed, such a provision cannot be made at a later place.

(श्री उपाध्यक्ष)

3. That the House has already rejected the amendments of Sarva Shri Laxman Hirat and Narayan Singh and, therefore, no amendment can be moved on a question which is inconsistent with the previous decision of the House.

I have studied all possible aspects of the question so raised. So far as the setting of clauses is concerned, it would be seen that clause 6 deals with the regular members of the Panchayat Samities. Clause 6 A makes provision for additional members of the Samiti and the new addition of clause 6 B provides for the Associate Members of the Samities. I do not find any irregularity in the arrangement of the clauses and, as such, rule out the points so raised.

As regards the point of inconsistency raised by Shri Sribhan Singh, I am of the view that the addition of clause 6B is not contrary to the decision of the House. This point is also not well taken and hence ruled out.

श्री दयाकृष्ण विजय : On a point of information Sir. आपने जो फरमाया कि श्री लक्ष्मण हीरात और श्री नारायणसिंह का ही प्रस्ताव था, श्री सोहनलाल का नहीं था लेकिन श्री सोहनलाल का क्लोज ६ (बी) पर अमेन्डमेन्ट मौजूद था।

श्री उपाध्यक्ष : It was not moved. So I now take clause 6 B.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग के अगेन्स्ट तो सबमिट नहीं कर रहा हूँ मगर मैं आपकी रूलिंग एक पाइन्ट पर चाहूंगा, मेरा पाइन्ट वह नहीं था, जो मेरा पाइन्ट था, उस पर आपने ऑब्जरवेशन नहीं दिये। मैं प्रेस करूंगा कि ६ बी को मूव करें। हाउस के वोट के लिए जो अमेंडमेंट रखे उनको तो समझा जाय कि हाउस ने अपनी ओपीनियन दे दी। जिन माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट रखे, उन पर डिस्कशन हुआ और विथड्रा कर लिये, क्या उसको नहीं माना जाय, क्या यह नहीं माना जाय कि हाउस में डिस्कस नहीं हुए, और हाउस में ओपीनियन एक्सप्रेस नहीं हुई। जिन माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया उन्होंने हाउस की सेन्स देख ली कि हाउस उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसलिये विथड्रा कर लिया is it necessary that evry amendment must be placed for the voice vote of the House? The amendments which are withdrawn will be considered that they can be taken up at a later stage for re-opening the same issue and for re-opening the expression of the House?

मैं यह जानना चाहूँगा कि जो अमेंडमेंट विथड्रा किये जाते हैं उनकी सदन में क्या स्थिति रहती है, क्या स्थिति मानी जाय। क्या यह नहीं माना जाय कि हाउस ने ओपीनियन एक्सप्रेस कर दी? क्या यह माना जाय जो जो डिस्कस किया हुआ है, उस अमेंडमेंट को री-ओपिन किया जा सकता है? इसके लिये मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि आप निर्णय दें।

राजा श्री मानसिंह : Is there any amendment.

Page No.100

श्री दामोदरलाल व्यास : I think Sir, your decision covers all the things.

श्री श्रीभानसिंह : No Sir.

श्री पी०के० चौधरी : Point of clarification Sir, I would like to know...

श्री उपाध्यक्ष : What point ? On my observations ?

श्री पी०के० चौधरी : Not on the observations, but I would like to have some clarification on the amendments. Is there any substantial difference between the amendments No. 66 of Shri Ram Prasad Ladha and the amendment No. 117 moved by Shri Sohan Lal Bhanagar ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not the correct practice If they want to clarify, they should ask the Hon'ble Member to clarify.

राजा श्री मानसिंह : In your observations, Sir, you have pointend out that Section 6A...

श्री उपाध्यक्ष : Is that concerning my observations ?

राजा श्रीमानसिंह : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I won't like that my observations at this stage may be Commented upon.

राजा श्री मानसिंह : I want a clarification about your observation, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Well I would not like to give any claritication beyond my observations.

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दिया है, वह उन अमेंडमेंट के बारे में दिया है, जो अमेंडमेंट्स हाउस में वोट के लिए रख दिये गये थे। मैं उनके लिए निर्णय की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका डिसीजन इस पाइन्ट पर चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट हाउस के अन्दर डिस्कस हुआ और उस डिस्कशन के बाद अमेंडमेंट विथड्रा कर लिया गया तो क्या वह न समझा जाय कि वह अमेंडमेंट हाउस में डिस्कस नहीं हुआ ? क्या यह समझा जाय कि दूसरी स्टेज पर, सेपरेट क्लॉज करके उसे री-ओपिन किया जा सकता है ? जो अमेंडमेंट हाउस में विथड्रा किया जाता है, उसकी पोजिशन क्या होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह ऑब्जर्वेशन में मौजूद है।

श्री श्रीभानसिंह : ऑब्जर्वेशन मैंने बहुत अच्छी तरह से सुने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : My observations are that the amendment moved by Shri Ladha was quite different one and, therefore, cannot be treated as identical one.

श्री श्रीभानसिंह : My point was whether there was any substantial difference. There may be difference in the language...

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have made myself explicit even by supplementing

(श्री उपाध्यक्ष)

my observations and I would not like to add anything more.

श्री श्रीभानसिंह : I want your clear ruling whether an amendment withdrawn by a member can be re-opened.

श्री दामोदरलाल व्यास : The ruling has been given.

श्री श्रीभानसिंह : No, the ruling has not been given. Whether an amendment moved in the House on which discussion has taken place and that amendment has been withdrawn by Hon'ble Member, whether that amendment can be re-tabled as a separate amendment and the issue re-opened ?

श्री उपाध्यक्ष : My observations are because the House has not taken a decision and because it was withdrawn, hence the position is different with this amendment.

श्री श्रीभानसिंह : No Sir. One thing, if the amendment...

श्री उपाध्यक्ष : I should not be forced. The Hon'ble Member wou'd realise that at this stage I should not be compelled to make commitments.

श्री श्रीभानसिंह : I am not forcing the Chair, nor resenting the observatons. I am raising a completely new issue.

श्री उपाध्यक्ष : I understand the issue. My decision is that if an amendment is moved and withdrawn by the Hon'ble Member, it would not mean a decision of the House. That is all whether it can be moved again or not, that is another position on which I would not like to commit myself at this stage.

(श्री श्रीभानसिंह बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble Members that I am very clear about my observations. So far as the amendment of Shri Bhatnagar is concerned, I have given my clear observetions and I would not like to interpret my observations. It is for the House to see to it.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : Point of clarification, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I will not entertain any point of clarification.

श्री होतीलाल : It is a new point, Sir. When the motion is withdrawn with the leave of the House, it means that the House has expressed its opinion on it. Because if the sense of the House was to accept the motion then permission to withdraw it could have been refused and it could have been considered.

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon'ble Member has placed a hypothetical question before the Chair.

श्री श्रीभानसिंह: No Sir. The question is not hypothetical. The amendment was withdrawn by Shri Ladha when complete discussion had taken place on it, that means the House had expressed its sense. The House did not want it and permitted him to withdraw it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : In view of the assurance given by the Hon'ble Minister I withdrew my amendment.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में दो विचारधारायें स्पष्ट सामने आई हैं।

श्री श्रीभानसिंह : I am sorry the clause has first to be introduced by the Hon'ble Member. You have to move the clause.

श्री दामोदरलाल व्यास : He has moved in the House. You were not present in the House.

श्री श्रीभानसिंह : No, he has not moved.

श्री दामोदरलाल व्यास : It was moved and after it was moved, an objection was taken.

श्री श्रीभानसिंह : After the moving, there cannot be any objection.

श्री पी० के० चौधरी : He could not have moved, Sir because your ruling was reserved. Now you have given that ruling and you allow him to move his clause.

श्री उपाध्यक्ष : No Mr. Chaudhary. The amendment was moved. It was the question of consideration which was postponed.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, it was at the introduction that it was postponed.

राजा श्री मानसिंह : Sir, as this is a new clause being introduced and we would like to give amendments to it, so we should defer it.

श्री उपाध्यक्ष : This appears reasonable to me.

Yes, clause is deferred.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब एक बार एक व्यक्ति पंचायत समिति का सदस्य हो जाता है तो इसके बाद वह कैसे सदस्यता से अलग हो सकता है इसके लिये यह क्लॉज १२ है। इसमें बताया है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लॉक में रहना बन्द कर दे यानि यदि प्रधान हो तो साल में २४० दिन और दूसरा सदस्य हो तो साल में १८० दिन अपने ब्लॉक में नहीं रहे तो वह सदस्यतासे अलग हो जायगा।

जैसा कि आप को मालूम है हमने धारा ६ की उप-धारा २ के खण्ड ६ के तहत दो आदमियों को कोऑप्ट करने का प्रावधान रखा है वे व्यक्ति admini stration, public life or rural development में अनुभव रखने वाले होंगे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अब जैसी यह धारा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो उन दो आदमियों के लिये भी यह लागू होती है जो कि उस ब्लॉक के रहने वाले नहीं हैं बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह के रहने वाले हैं। वे व्यक्ति पंचायत समिति को लाभ पहुंचाने के लिये कोऑप्ट किये जाते हैं तो ऐसी सूरत में यहां २४० दिन और १८० दिन उस ब्लॉक में नहीं रहने का प्रोविजन उनके लिये रखा जाय तो उनका कोऑप्शन करना न करने के बराबर हो रहेगा। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेंट रखा है: Add proviso No. 1 as follows:—

"Provided that the provision mentioned in sub-clause (ii) shall not apply to the person sub-sect un der sub-clause (vi) of co-opteidon (2) of section 6, if such person is not elected as a Pradhan of the Panchayat Samiti."

उपधारा ६ (२) (vi) के तहत कोऑप्ट किया हुआ व्यक्ति यदि प्रधान बन जाता है तो उसके ऊपर तो यह प्रावधान लागू होगा यानि ब्लॉक में २४० दिन साल में रहना होगा: अगर वह प्रधान नहीं बन कर १८० रोज तक उस ब्लॉक में न रहे तो सदस्यता से दूर हो जाते हैं। इसलिये यह प्रावधान रखा है कि ऐसे लोगों को १८० रोज तक ब्लॉक में न रहने की सूरत में सदस्यता से पृथक् किये जाने की पाबन्दी से छूट देनी चाहिये।

दूसरा इसमें प्रावधान रखा गया है कि जो पंचायत समिति के सदस्य हों वे १८० दिन तक और प्रधान हैं वह २४० दिन उस ब्लॉक में रहें, इसके बाद वह प्रोविजो है:

"Provided that if the Pradhan so resides in any Municipality surrounded by or adjoining the block of which he is the Pradhan, he shall for the purpose of this clause, be deemed to be residing in the block, or"

जैसी भाषा इस धारा की है उससे यह मन्शा प्रकट नहीं होती है जो हम चाहते हैं "adjoining the block of which he is the Pradhan".

इसको मिसाल से समझाना चाहता हूँ कि सांगानेर ब्लॉक है, इसकी एड्जोइनिंग म्युनिसिपेलिटी जयपुर की है, जयपुर में प्रधान २४० दिन रहेगा तो समझा जायगा कि सांगानेर ब्लॉक में ही रहता है और इससे सांगानेर ब्लॉक का प्रधान वह भी हो सकता है जो जयपुर म्युनिसिपल एरिया में रहता है। जबकि मंशा यह है कि उसी ब्लॉक की सीमा में रहना चाहिये। म्युनिसिपेलिटी का इस लिए लगाया है कि कोई तहसील, मान लीजिये शाहपुरा तहसील है, शाहपुरा में म्युनिसिपेलिटी है। शाहपुरा में प्रधान रहेगा तो भी इस प्रोविजो की मंशा से वह ब्लॉक में रहा हुआ माना जायगा। म्युनिसिपेलिटी की सीमा अलग है, ब्लॉक सीमा अलग है। ब्लॉक सीमा वह है जहां पंचायतें हैं। यह छूट देने का मतलब यह हुआ कि उस एड्जोइनिंग म्युनिसिपल सीमा में प्रधान होने की हालत में २४० दिन रहे तो मान लिया जायगा कि उसने उस ब्लॉक में रहने की क्वालिफेकेशन पूरी कर दी है और he will not cease to be a member of the Panchayat Samiti. पर एड्जोइनिंग शब्द रखने से भीलवाड़ा में रहने वाला मॉडल

(श्री रामप्रसादलड्ढा)

ब्लॉक में प्रधान बनने के लायक हो जाता है। इसलिये मैंने इस प्रोविजन के स्थान पर यह प्रोविजन एड करने का संशोधन रखा है :

Substitute the present proviso to part (b) of sub-clause (2) by the following as proviso No. 2 :—

"Provided further that if the Pradhan so resides in any Municipality situated in the same tehsil or tehsils in which the block of which he is the Pradhan, is situated, he shall for the purposes of sub-clause (b) (i) be deemed to be residing in the block, or"

तो जो अमेंडमेंट पहले प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार कर लेने पर यह एम्बीग्विटी दूर हो जायगी और ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि उस ब्लॉक के अलावा म्युनिसिपैलिटी की सीमा में रहने वाला कोई दूसरा ही ब्लॉक का प्रधान या उपप्रधान बन जाय।

मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर। Not moving ?

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक की क्लॉज १२ के अन्तर्गत मेरा एक संशोधन प्रधान के निवास के विषय में है। संशोधन इस प्रकार है :—

[Delete the proviso to part (b)] में, इस धारा में, जिसके अन्दर यह बताया गया है कि किस प्रकार से सदस्यता समाप्त हो सकती है, वह यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लॉक एरिया में १८० दिन और प्रधान हो तो २४० दिन एक वर्ष में नहीं रहता है तो वह अपनी सदस्यता के अयोग्य रह जाता है। इसके साथ जो प्रोविजो लगा दिया गया है वह इसके बिलकुल विपरीत है। प्रोविजो इस प्रकार है :

'Provided that if the Pradhan so reside in any Municipality surrounded by or adjoining the block of which he is the Prandhan he shall for the purpose of the clause be deemed to be residing in the block, or...'

यदि किसी ब्लॉक से बहुत ही निकट पर कोई म्युनिसिपैलिटी है, उस म्युनिसिपल सीमा में वह प्रधान रहता है तो उसको ब्लॉक की सीमा में रहा हुआ माना जायगा, यह इस प्रकार की अपवाद की भावना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति म्युनिसिपल सीमा में रहता है, उसको वोटिंग राइट म्युनिसिपल सीमा में है। जहां जो व्यक्ति चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है इस प्रकार का प्रावधान वह निषेधात्मक प्रावधान है कि ब्लॉक के एरिया में रहता है वह पंचायत के चुनावों में खड़ा नहीं हो सकता, वह व्यक्ति लिया गया है जो कोऑप्टेड है, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एरिया का हो सकता है! प्रश्न यह है कि कोई प्रधान चाहे उस पंचायत का सरपंच है, कोई व्यक्ति है, यदि वह नगरपालिका की

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सीमा में रहता है तो ब्लॉक की सीमा में रहा हुआ समझा जायगा, यह मेरी समझ में क्या किसी भी व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकता। एक ओर तो कहते हैं कि पंचायतों के या ब्लॉक के एरिया में रहने वाला व्यक्ति खड़ा हो सकता है और दूसरी ओर अपवाद लगा देते हैं कि कोई निकटतम म्युनिसिपल एरिया में रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि निकटतम और दूरमें अन्तर क्या है? निकट रहता है तो म्युनिसिपल सीमा नगरपालिका के चुनाव होंगे वहां वोट दे सकता है और यहां भी खड़ा हो सकता है, यह प्रधान के चुनाव के जो नियम हैं, उसके बिलकुल विपरीत है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। यदि इस नियम का पालन करते हैं जिसके अनुसार प्रधान का चुनाव कराते हैं, तो यह प्रोविजो इसके बिलकुल विपरीत रहता है। तो एक तरफ तो सजेशन में रखते हैं | so reside in any Municipality surrounded by or adjoining the block : म्युनिसिपैलिटी सराउन्डेड बाई दी ब्लॉक है, दूर का कोई प्रावधान नहीं है यह रखा गया तो म्युनिसिपैलिटी की सीमा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पंचायत समितियों के चुनावों में खड़ा हो सकता है।

कोऑप्टेड आदमी केवल उस ब्लॉक का रहने वाला होना चाहिये। पर किसी व्यक्ति के लिये यह प्रावधान रखना चाहते हैं, समझ में नहीं आता, यह बिलकुल व्यर्थ रखा गया है। धाराओं के बिलकुल विपरीत है और इन धाराओं की मंशाको बिलकुल खत्म करता है। ग्राम पंचायत के चुनाव के पंचायत एक्ट के अन्दर नियम दिये हुए हैं उनके विपरीत है।

इसके अतिरिक्त मैंने एक और अमेन्डमेंट मूव किया है जो अभी सर्क्युलेट नहीं हुआ है और सबको नहीं मिला है। कल दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : Whether the amendment is before us or not ?

श्री दयाकृष्ण विजय : कल दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक सबको मिल जाए this should not be moved.

श्री दयाकृष्ण विजय : नगरपालिका और दूसरी जगह ये पुराने नियम हैं उनमें यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति लगातार तीन बैठकों में गैर हाजिर रहता है, उपस्थित नहीं रहता है तो साधारणतया वह सदस्यता से हटा दिया गया माना जाता है और वह उस नगरपालिका की सदस्यता से वंचित हुआ माना जाता है। लेकिन आपने इसमें उन सदस्यों को और भी छूट दी है कि ५ बैठकों में जो नहीं आवेगा, उसको सदस्यता से वंचित किया हुआ माना जावेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका नतीजा यह होगा कि आपका कोरम पूरा नहीं होगा और आपने जो दो-तिहाई सदस्यों का कोरम रखा है वह पूरा नहीं हो पावेगा और कोई काम नहीं होगा जब तक आप इस पर कोई पाबन्दी नहीं लगावेंगे कि पंचायत समिति में हर सदस्य को उपस्थित रहना चाहिये। जिस प्रकार आपने रखा है कि अगर कोई पंचायत समिति में सदस्य नहीं बनता तो वह सरपंच नहीं रहेगा। यह इसलिये कि योजनाओं में आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। लेकिन आप यहां पर सारे सहयोग पर पानी फेर देते हैं और आपने ५ मीटिंगों तक में

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सदस्य को अनुपस्थित रहने की छूट दी है। कोई व्यक्ति नहीं आवेगा और काम नहीं चलेगा। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इससे आपकी योजना को पूरा होने में विघ्न रहेगा। लोग बराबर नहीं आवेंगे और कोरम आपका पूरा नहीं होगा और गाँव में कार्य को स्थगित करना होगा। इसलिये आपको चाहिये कि आप इस मामले में कठोरता रखें और जिस प्रकार आपने ग्राम पंचायतों के सरपंच को हटाने के लिये बात रखी है उसी प्रकार यहां पर भी रखें। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह दोनों प्रकार के संशोधन हैं मान्य हैं और मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ये दोनों संशोधन माने जावें।

श्री होतीलाल (बोलने के लिये खड़े हुए): I am sorry.

श्री उपाध्यक्ष : You are always sorry but you don't look to the difficulty of the Chair.

अभी हमारे पास संशोधन हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इसको म्युनिसिपेलिटी के परव्यू से बाहर रखा है। जैसा इसका प्रोविजन है और जैसा शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, अगर उसको जोड़ देते हैं तो जिस भावना से और गांव वालों को लाभ पहुंचाने के लिये और विकेन्द्रीकरण करने की भावना से रखा है वह पूरी नहीं हो पावेगी और शहर वाले उन पर हावी हो जावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक था कि कोऑप्शन तो शहर में रहने वाले हों उनका हो सकता है, उसके बाद अगर वह प्रधान बनना चाहे या अपने एक्सपीरियेन्स से सेवा करे तो यह जरूरी है कि वह शहर में रहे और उसके बाद सदस्य और प्रधान तक बना रहे। शहर वालों को प्रधान नहीं बनाया जावे। इस तरह कोई परवाह नहीं करेगा यदि उसको प्रधान बना दिया जावेगा। मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से यह रखना ठीक नहीं है। इसलिये इस प्रोविजो को हटा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

Not moving ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : Not moving ?

श्री उपाध्यक्ष : राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह : Sir, my amendment is that in Clause 12 part (b) delete parts (i) and (ii) but retain the proviso. I have had to come across with a discrepancy in the law that has been put before us, to this Section. In this particular clause Sir, regarding Cessation of membership. It says that subject to the provisions of Section 13, a member of a Panchayat Samiti shall cease to be such member if he is or becomes subject to any of the disqualifications specified in section. II. And then we come to part 'ceases to reside in the block.

(i) in the case of a Pradhan for 240 days, and

(राजा श्री मानसिंह)

(ii) in any other case for 180 days' 'whereas in Clause 6 Sir, we had passed in the composition of Panchayats that two persons residing whose experience in administration, public health or rural development would be of benefit to the Panchayat Samiti, provided that it shall not be necessary that the persons mentioned in clause (vi) reside in the block, but they must be residing in the district in which the block is situated. Then members who are co-opted by the Panchayat Samiti by reason of their experience in administra tion etc. can have exemption in this particular clause. Those person who normally reside in the block are to be further disqualified if they don't conform to certain parts of this clause. Therefore, I have moved that these two parts should be deleted.

I further go on to say Sir, that a Pradhan as and when he is elected can be a Member of either Panchayat Samiti with in his area and if he is to attend to the meetings and at the same time he is to carry on the responsi-bilities of a Pradhan. I don't think he will be able to devote certain time to this as well as to his legitimate business. Therefore I feel Sir, that the qualification that if he ceases to reside in the block quite enough. The Government or the persons supported by the Government wish to introduce a new clause which is to make Mem-bers of this House as Associate Members of the Panchayat Samiti whereas under this clause they will automatically fall under disqualifica-tion. As I have Sir, the Bill is haphazard and 'Heath Robinson' in structure.

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister to reply.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. I will speak on it.

This Clause 12 reads as—

'Subject to the provisions of Sec-tion 13 a member of a Panchayat Samiti shall cease to be such member if he

(a) is or becomes subject to any of the disqualifications specified in Sectio n I I o

(b) ceases to reside in the block

(i) in the case of a Panchayat, for 240 days and

(ii) in any other case for 180 days. Now I refer you to page 6 of the Report of the Committee-Clause 6, part (vi)

"The Committee are also of the opinion that it should be clearly pro-vided here that for persons having experience in administration, public life or rural development who may be

(श्री पी० के० चौधरी)

coopted on a Panchayat Samiti should not be necessarily to reside in that block and his residence in the district in which such block is situated, would suffice."

And acordingly in in Clause 6 part (vi) we have made the two persons residing whose experience in administration public health or rural devolopment would be of benefit to the Panchayat Samiti : Provided that it shall not be necessary that the persons mentioned in clause (vi) reside in the block, but must be residing in the district in which the block is situated.

So I think that in part 2 of sub-clause (b) of clause 12—in other case for 180 days, I would like to know whether it applies to person as given in sub-clause (6) or not. It is obviously that there seems a contradiction.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It applies.

श्री पी० के० चौधरी : If it applies then there is no sense that he should be a person who resides outside the block. So I think there is some contradiction between these to clauses. So consideration of this Clause should be deferred till we put it in an amended form.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामप्रसादजी लड्ढा ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और जो अमेंडमेंट माननीय श्री सोहनलाल जी भटनागर ने रखा है उसका समर्थन करता हूँ। वैसे इस प्रोविजो की आवश्यकता नहीं है जैसा कि मिनिस्टर इनचार्ज ने सदन में फर्माया था लोकल लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं उसी भावना से यह बिल सदन के सामने है। फिर आवश्यकता क्यों पड़ गई कि यह प्रोविजो देना पड़ा ? जहां तक रामप्रसाद जी लड्ढा के अमेंडमेंट का सम्बन्ध है कि जो कोऑप्टेड डिस्ट्रिक्ट के मेम्बर्स हैं उनके लिए २४० और १८० दिन का जो रेस्ट्रिक्शन है वह लागू नहीं होना चाहिए और उन्होंने इसके लिये यह रीजनिंग दी कि चूंकि वह एडवाइजर का काम करेगा, वह एक्सपर्ट होगा उसके दायरे में इसलिए उनके लिए यह चीज लागू नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब एडवाइजर के रूप में लिया जा रहा है तो फिर वह एडवाइजर के रूप में ही रहे। फिर क्यों एस्पायर करना चाहता है कि वह प्रधान बने। वह सिम्पल मेम्बर रह कर अपने तजुर्बे का, अपने एक्सपीरियेन्स का फायदा वह दे सकता है। जब जरूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का यह रूरल डेवलपमेंट की बात आवेगी और यदि वह वहां उपस्थित है तो उसकी एडवाइस ली जावेगी। म्यूनिसिपल एक्ट में इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है कि कोई रूरल एरिया का व्यक्ति है, बहुत से रिटायर्ड आदमी, होशियार आदमी हो सकते हैं जो कि गाँवों में रहते हैं, उनके लिए भी ऐसा प्रोविजन हो। म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार म्युनिसिपल एरिया का वह वोटर होना चाहिए, ये स्ट्रिक्टनेस रखी गई है। लेकिन यहां प्रधान हो सकता है, म्युनिसिपल एरिया में रहता हो तब भी और उसी के लिए अमेन्डमेन्ट

(श्री होतीलाल)

चाहते हैं यह अरबन एरिया का रहने वाला आदमी प्रधान भी व और गांववालों को एक्सप्लोइट करे जैसा कि अब तक अरबन एरिया के रहने वाले गांव वालों को एक्स-प्लोइट करते आये हैं, वह उचित नहीं है। इससे तो गांव के लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है जहां कि चेतना आई है और यह भय होने लगगया है कि कहीं गांव के रहनेवाले अर्बन एरिया वालों को डोमिनेटन कर बैठे। जनता में चेतना पैदा होने देना चाहिये और इस सूरत से मैं इस अमेन्डमेंट का विरोध करता हूँ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्यने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय श्री दयाकृष्णजी विजय और सोहनलालजी भट-नागर ने अमेन्डमेन्ट रखे हैं उनके पक्ष में बोलता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, जिला परि-षद् और पंचायत समितियां वैसा कि बिल का नाम है, उससे साफ जाहिर होता है कि यह बिल केवल जिले की जितनी पंचायतें और तहसीलों में तहसील समिति हैं उनको विकास कार्य देना और उस एरिया का जो म्युनिसिपेलिटी से बिलकुल अलग है पूरीतरह से विकास करने में मदद करें, उसके लिए है। इस प्रकार का यह बिल है जो कि अब एक्ट के रूप में बनने जारहा है। मगर इसमें मान-नीय सदस्य ने अमेन्डमेन्टरखा है कि कोई भी नगरपालिका का रहने वाला जिसको तजुर्बा है या नहीं मगर एक पंचायत समिति के सदस्यों को निगाह में वह अच्छा है और उसकी निगाह में एडमिनिस्ट्रेशन या विकास के कार्यों में मदद कर सकता है, यदि इस प्रकार की भावना कुछ एक पंचायत के सदस्यों के जंच गई है या किसी प्रकार के प्रैशर से या फोर्स से उस आदमी को प्रधान बना लेते हैं, कोऑप्ट कर लेते है उसके बाद वह कहीं रहे, किसी प्रकार वह मदद करे उसके लिए यह बहुत बड़ी चीज अमेन्डमेन्ट के द्वारा लाई जारही है। हम पंचायत समिति का प्रधान किसीको बनायें या सदस्य बनायें और वह किसी शहर में जाकर किसी नगर-पालिका क्षेत्र में जाकर कहीं रह सकता है। माननीय सदस्य ने दलील में बताया है, मान-लीजिये तहसील हैडक्वार्टर पर रहना चाहिये। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तहसील का हैडक्वाटर कहीं जगह और हो सकता है। कहीं उसका कार्यालय हो सकता है। तहसील का रहनेवाला डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में आकर रह जाय उसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ एक मुद्दे आपने बताए कि किस प्रकार पंचायत समिति का चुना हुआ प्रधान वह किस प्रकार हेल्प करे, मान लीजिए, उदाहरण के लिए तहसील कोटपुतली के लिए बताऊं कि कोई आदमी जयपुर का रहने वाला है किसी प्रकार प्रैशर से या फोर्स से वह वहां प्रधान चुनवा लिया गया। वह कोटपुतली तहसील या कस्बे में न रहकर जयपुर में रह सकता है। इस बिल में जो यह अमेंडमेंट रखा है वह उसको कवर करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से एक सदस्य कोऑप्ट नगरपालिका का हो गया उसके बाद प्रधान भी पंचायत समिति का वह बन जाता है...

डॉ० बहादुरसिंह: टाइम होगया है।

श्री रामकरण सिंह: मैं इस पर अभी बहुत बोलूंगा, कल समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपके विरोध को मान लेते हैं। पहले आप खड़े होकर बोल गए।

श्री रामकरणसिंह : नगरपालिका के सदस्य को दी जाने वाली बात है। इसपर हम लड़ेंगे और फिर लड़ेंगे किस पर ?

श्री उपाध्यक्ष : लड़ने का सवाल नहीं है। आप आपत्ति उठाइये।

श्री पी० के० चौधरी : Time is up Sir.

श्री रामकरणसिंह : किसी रूप में किसी को प्रधान बनाते हैं, वह नगरपालिका के क्षेत्र में रहता है और रहते हुए किसी प्रकार...

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त कर चुके हैं।

(विराम)

आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री रामकरणसिंह : कल फिर बोलने के लिए आप मौका देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे अमेंडमेंट्स पर बोलने के लिए मौका देंगे।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही दिनांक २६–८–५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई)

Page No.111

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार २८ अगस्त, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

भाखरा-नहर।

विकास योजनाएं।

ग्राम दौलतपुरा (बूँदी) के सरपंच की गिरफ्तारी।

बहुधन्धी सहकारी समिति तथा चर्म उद्योग सहकारी समिति बनेड़ा (भीलवाड़ा) के हिसाब में घोटाला।

सिटी मजिस्ट्रेट व एस० डी० एम० बीकानेर के स्थानान्तरण।

बीदासर में नाबालिग बाल-विवाह को रुकवाने संबंधी की गई शिकायत।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी के टिकटों का विक्रय।

माध्यमिक शाला, जावर (झालावाड़)।

पुलिस स्टेशन कोटपुतली में हरे पेड़ काट कर माल-चुराने संबंधी की गई शिकायत।

पशु-पालन विभाग के रिन्डरपेस्ट अधिकारी को दौरे करने हेतु प्राप्त स्टेशन वैगन।

गर्ल्स हाई स्कूल, सिरोही की अध्यापिकाओं की संख्या।

स्कम्भ

आचार्य, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ द्वारा कुर्सियों का क्र

कोटपुतली तहसील के पाठशाला भवनों की मरम्मत।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत कोटा जिले में किए गए कार्य।

बहुद्देशीय सोसाइटी, शुरसरा (किशनगढ़)।

पुलिस विभाग में की गई पदोन्नतियां।

माउन्ट आबू में शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इन्टरव्यू।

भन्डारी बन्ध की डूब में आए मकानों का मुआवजा।

तहसील अनूपगढ़ में खाद की बकाया रकम।

आत्महत्याएं।

विकास खंड, पदमपुरा में हरिजन सदस्य की नियुक्ति।

ट्रक नं० आर० जे० एक्स० ५२ का पंजीकरण।

कन्या पाठशाला, ग्राम नारेड़ा, कोटपुतली।

Page No.112

सिंचाई के तालाब–तहसील केकड़ी

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खंडशः विचार जारी रहा।

खंड ६:–राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् खंड ६ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड ६ ए:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

नया खण्ड ६ बी:–आस्थगित रखा गया।

खण्ड ७:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ८:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६:–बिना संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड १०:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ११:–संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड १२:–इस खण्ड पर चार सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किए गए।

शनिवार, दिनांक २६ अगस्त, १६५६ की कार्य सूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२३ का उत्तर देखिए]

LIST OF THE CENTRALLY SPONSORED SCHEMES BEING RUN IN RAJSATHAN

S. NO.	NAME OF SCHEME	PLACE WHERE RUNNING
1.	FORESTS :—	
(a)	Desert Afforestation and Soil Conservation Research Station	Jodhpur
(b)	Soil Conservation Research & Demonstration Training Centre.	Kotah.
2.	Education:—	
(a)	Expansion of Girls Education & Training of Women teachers	All over Rajasthan
(b)	Pilot Project for improvement of Science.	Bikaner.
(c)	Assistance to Voluntary organisation in the field of secondary Education.	All over Rajasthan
(d)	Improvement and Development of Education institutions at Collegiate level-Three years Degree Course.	-do-
(e)	Rural Higher Education	Sardarshahar (Churu) Rural Institute Vidya Bhawan Udaipur Janta College Dhabole
(f)	Promotion of physical Education	Jodhpur.
(g)	Promotion of Sports	Jaipur.
(h)	Labour and Social Science Campus Project	All over Rajasthan
(i)	Promotion of Scouting and Guiding.	All iDvisions.

1	2	3
(j)	Youth Welfare activities.	Abu (Sirohi Distt.)
(k)	Grants to University Grants Commission.	Jaipur.
(l)	Relief to Educated unemployed and expansion of Pry. Education	
		All over Rajasthan
3.	**Labour & Employment:**	
(a)	Expansion of Employment Service.)	
(b)	Collection of Employment market information.)	
(c)	Vocational Guidance Youth Employment Service & Employment counselling and)	(See attached note)
(d)	Occupational Research & Analysis.)	
4.	**Development**	
(a)	Establishment of Vigyan Mandirs.	Pisangan, Sumerpur, Sardarshahar, Dabok, *Kishangarhbas,*Kota. * (underConsideration)
(b)	Village Housing Project Scheme :	Bilara, Didwana, Raisinghnagar, Nagar Pahari, Rajsamand, Sambhar, Pisangan, Srinagar, Kishangarbas, Bali, Dungarpur, Shahpura, Ladpura, Girwa, Sankra., Roop-bas, Kmet, Bassi, Sumerpur, Mandalgarh, Chittorarh, Bargaon, Abu, Pindwara, Jodhpur, Nokha, Hanumangarh, Jaipur, Sanganer, Jawaja, Hindoli, Talera, Tonk, Thanagaji, Bairath, Mandal, Kumher, Kokquasim, Jhalrapatan, Hindaun, Maoli, Sewana.
5.	**Rual water supp ly scheme**	Jaipur, Jodhpur, Kota, Bharatpur, Kishan-garh, Tonk, Mandawa, Bhilwara, Jhalawar, Jhalrapatan, Karanpur, Raisinghnagar, San-gariya Mandi, Bundi,

1	2	3
6. Social Welfare		
(a) Welfare of Scheduled Tribes.	Udaipur, Dungarpur, Kotah, Kelwara, Subghara,	
Rehabilitation of Bhils & Serias	Kushalpura, Nadiyada, (Banswara) Ratiji-Sagili (Dungarpur) Bundha, (Kota) Bakhtawarpur (Bharatpur) Nana (Pali)	
(b) Wells	Dungarpur, Banswara.	
(c) Intensive Development Blocks.	Kushalagarh (Block),	
(d) Education.	Bogla (Ajmer)	
(e) Economic uplift.		
(i) Cottage Industry	Masuda (Ajmer)	
(ii) Health, Housing & other schemes		
(iii) Better Housing	Padlia, (Ajmer)	
(iv) Medical	Ajmer Distt.	
B. Welfare of Scheduled Castes		
(a) Economic uplift.	Khandala (Sikar) Chaksu (Jaipur) Maharmpur (Jhunjhunu) Pali. Sirohi, Barmer, Jalore, Phalodi Rajnagar, (Udaipur) Chittor, Sardarshahar, Ganganagar, Deeg, Bhusawar, Ramgarh, (Alwar) Kotputli, (Jaipur) Relmugra (Udaipur) Kalipas (Udaipur) Sujangarh, Hindaun (Sawai Madhopur) Bhosawal (Bharatpur) Sanganer (Jaipur) Pokran (Jodhpur) Churu.	
(b) Health & Other Schemes		
(i) Better housing	Kundanpura, (Jaipur) Sewara (Pali) Barkhapur (Sawai Madhopur) Mullhataly (Udaipur) Tankawat (Sikar) Bardasar (Churu) Sanganer, Fateh Tiba (Jaipur) Kurawad (Udaipur) Pabopura (Bikaner) Sarwar, Pushkar Bharatpur, Pali, Ajmer	

1	2	4
(c) Wells.		Jaisalmer, Kota, Jaipur Alwar, Sawai Madhopur, Jhunjhunu, Sikar, Churu, Nagaur, Tonk, Udaipur, Bikaner, Jhalawar, Jodhpur, Sirohi, Bhilwara Districts, Ajmer.
c. Welfare of Other Tribes:—		
Rehabilitation of Sansies & Kanjars.		Ikransand (Bharatpur) Chanchodiani Jhonpdi, (Bharatpur) Bawarion ka-Jhonpada, (Pali, Bilenchipura) (Bharatpur)
7, Agriculture:—		
(i) Coordinated Simple Fertilizer Trials.		—
(ii) Model Agronomical Trials.		—
(iii) Millet Scheme.		-
8. Roads & Buildings.		
(i) Roads of Interstatal & Economic Importance		
(ii) National Highways.		

NOTE ON EMPLOYMENT EXCHANGES ETC.

The Employment Exchange Organisation has the following Plan Schemes under implementation during the Second Five Year Plan :—

1. Expansion of Employment Service.
2. Collection of Employment Market Information.
3. Vocational Guidance, Youth Employment Service and Employment Counselling at Employment Exchanges.
4. Occupational analysis and Research.

1. Expansion of Employment Service.

At the beginning of the Plan there were only 7 Employment Exchanges in Rajasthan including Ajmer. It has been proposed to open 10 more Exchanges during the Second Plan period. Seven of these Exchanges have already been opened and three more Exchanges will be opened during the current financial year 1959-60.

2. Collection of Employment Market Information.

This Scheme aims at collecting from employers both in the public and private sectors information regarding changes in the level of employment, current and prospective demand for labour shortages of various categories of personnel and the disposition of the labour forces in regard to different occupations and industries. The data thus collected will be used for various purposes in regard to manpower planning and to guage the impact of Development Plans on employment. The Scheme is already covering the entire public sector in Rajasthan and Special area studies of employment in the private sector have been launched in the Jaipur area. More area studies in or districts are due to be launched next year.

3. Vocational guidance, youth Employment service and Employment counselling.

Arrangements are being made at selected Employment Exchanges for affording Vocational Guidance facilities to the persons coming there for assistance. The information of the Youth Employment Section will be to give expert advice to young persons regarding employment and training. It will also render them employment assistance and guide them in the selection of courses and careers with reference to employment opportunities in specific fields of work in the light of their aptitudes and abilities. The Employment Counselling Section will deal with adult employment sekers who do not find satisfaction or enough opportunity in their present line of work. The services will also develop tests and techniques for determining the applicants chances of sucess in specific occupations.

Vocational Guidance Section has already been opened at the Employment Exchange, Ajmer and another Unit is due to be started at Employment Exchange, Jaipur.

4. Occupational Research and Analysis.

Under this scheme it is proposed to standardise definitions of skills and functions in the many different types of trades and occupations available in the country and to publish "National Classification of Occupations" which would provide the nomenclature of trades and occupations as well their definitions and job descriptions. Occupation field reviews to provide an occupational and industrial information of all India importance which may be useful to Vocational Guidance workers will also be prepared. Career Pamphlets on important occupations are also being published under this scheme.

Although the main work of compilation and publication is being done at the Central Unit under the Government of India, the State Occupational Units verify the definitions and do original work in respect of occupations more common in their States. They are also charged with the responsibility cf issuing supplements to the Carrier Pamphlets. A State Occupational Information Unit has already been set up.

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५८ का उत्तर देखिये]

I examined Jaiteen daughter of Hussain and she appears to be of about 13 years.

Sd/-Prakash Grover,
Medical Officer
I/C M. C. W. Centre,
Bidasar
10—2—59

True copy.

———————

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३० का उत्तर देखिए]

Rajasthan Exhibition. 1956

Statement showing Number of Tickets got Printed, & sold

No. of batch.	Number of tickets Printed.	Number of Tickets issued for sale
		Tickets @-/-/6 each
1.	4,000	1 to 251, 301 to 500, 301 to 642, 701 to 733, 801 to 820, 901 to 1,000, 1,501 to 1,576, 2,001 to 3,900, 3,901 to 3986.
2.	39,600	1 to 2,105, 2,201 to 2,290, 2,301 to 3,600, 3,901 to 3,984, 4,001 to 4,280, 4,301 to 4,452, 4,501 to 4,520, 4,801 to 4,832, 5,001 to 5,400, 5,801 to 5,900, 6,201 to 6,512, 6,601 to 6,598, 6,701 to 6,830, 6,901 to 6,942, 7,001 to 7,600, 8,001 to 8,300, 8,601 to 8,700, 9,201 to 9,248, 9,501 to 9,588, 9,601 to 9,607, 9,701 to 9,821, 9,901 to 9,904, 10,021 to 10,194, 10,401 to 10,600 10,601 to 12,000, 1,401 to 14,112, 14,201 to 14,230, 14,301 to 14,400.
3.	2,900	1 to 70, 72 to 1,800, 1,201 to 1.500, 1,801, 1,806 to 1,866, 1,901 to 2,000.
4.	2,000	1 to 42, 200 to 1,140, 1,401 to 1,821, 1,901 to 2,000.
5.	2,003	1 to 200, 400, 801 to 1,157, 1,401 to 1,803, 19,01 to 2,000. 1,900 tickets of six pice each amounting to Rs 69/6/- were issued to Educational and the recreational institutions. The account has not so far been received.
		Tickets @ one each.
1.	2,000	1 to 2,000
2.	2,000	1 to 2,000
3.	2,000	201 to 2,000
4.	4,000	1 to 4,000
5.	4,000	1 to 4,000
6.	4,000	1 to 4,000

1	2 3
7. 22,500	1 to 2928, 3,001 to 9,900, 2,101 to 9,300, 9,601 to 10,450 10,601 to 10,800.
8. 2,240	1 to 600, 701 to 2,940
9. 3,000	1 to 3,000
10. 3,000	1 to 3,000

ALWAR EXHIBITION, 1959

STATEMENT SHOWING NUMBER OF TICKETS GOT PRINTED AND SOLD

NO· of tickets Printed.	Tickets sold.		Remarks.
	(Books)		
O.05 N.P. each	1 to 5	500	Two tickets received
1. Govt. Press	11 to 15	500	less from press.
Jaipur.	6, 7, 9,10	400	
25,000 (250 books)	44 to 53	1000	
	97 to 100	400	
	118 to 121	400	
	123 to 128	498	
	151 to 155	500	
	158 to 173	1695	
	175 to 193, 194	300	
	196 to 198	300	
	195,	23	
	199,	53	
	200.	55	
	(tickets)		
2. Sharma Press	1 to 50	50	Received 100 tickets
Alwar. 10, 000.	101 to 2811	2711	less from press.
(200 books)	2851 to 4000	1150	
	2258 to 6000	940	
	7001 to 8000	1000	
	(Books)		
O. 10 N.P. each	1 to 25	2500	Received 52 tickets
1. Govt. Press	26 to 124	9900	less from Paess.
Jaipur, 40,000.	125 to 187	6300	
(400 books)	188	99	
	189 to 194	600	
	195	79	
	196	45	
	197, 198	200	
	201 to 211	1095	
	213 to 234	2200	
	235, 236	200	
	239 to 254.	1600	

1	2	3
	255 to 264	296
	265 to 267	300
	300 to 314	1500
	316 to 320	500
	323 (tickets)	43
2. Sharma Press, Alwar. 10, 100 (200 books)	1 to 10.000	10,000

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३४ का उत्तर देखिये)

S. No	Date of journey	Purpose of journey	Miles	Remarks
1.	30-9-58	Discussions & Purchase of R. P. Articles	11	
2.	1-10-58	For collecting stoves, labreas. Duty in Jaipur and Sikar tour.	191	
3,	11-12-58	To Motor Garage for RJF 398 (Delivery of goods) for repairs etc. and Discussions in Secretariat.	11	
4.	12-12-58	Visit to Motor Garage for repair of RJL 398 and purchase of battery from United Motors.	12	
5.	28-12-58	Jaipur to Jodhpur in connection with the Seminar of Animal Husbandry at Jodhpur.	260	
6.	29-12-58	Jodhpur to Jaipur.	276	
7.	24-1-59	Jaipur to Ajmer & Chittor in connection with Seminar at Chittor.	227	
8.	26-1-59	Chittor to Jaipur back from Chittor Seminar.	246	
9.	30-1-59	Head Office to Motor Garage and to see land for Souf. on Sheep.	11	
10	23-3-59	Head Office, Vety. Hosp. Med. college & Vety. Hosp. to consult Rinderpest Officers Tech. meeting.	12	
11	24-3-59	To consult Rinderpest Officer Tech. meeting.		

1		2	3
		Visit to station, Govt. Hostel, Vety. Hosp., etc.	17
12.	25-3-59	R. O Tech. Meeting Visit to Govt, Hostel. Station. Vety. Hosp., P. W. D., Sheep Farm.	34
13.	26-3-59	Distt, Agr. Officer Vety. Hosp., T. C. M. Expert visit.	51
14.	14-4-59	R. P. O. Insp. party-Jhunjhunu and Sikar.	140
15	15-4-59	Pilani R. P. O. Inspection Party.	57
16.	16-4-59	Inspection party ketri	110
17.	17-4-59	return to Jaipur.	108

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ का उत्तर देखिए]

Statment Showing Qualifications of teachers Serving at Girls High School. Sirohi

1,	Head mistress	Smt. Bimla Aeron, M.A.L.T., BEd.
2.	Trained Graduates.	Smt. Pushpalata Agrawal, B.A.B.T.
3.	—do—	Smt. Indra Kumari Mathur, B.A.
4.	—do—	Sri Chunnilal, M.Sc.
5.	Trained Matric	Sri Lal Shanker Budiya, Matric J.T.C.
6.	Trained Matric	Smt. Sajjan Devi, Middle
7.	Trained Inter	Sri Joy Raj Shah, B. A.
8.	Trained Inter	Sri Rosilal Bhami, Matric

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४३८ का उत्तर देखिये]

कोटा जिले में "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन में जो कदम उठाए गए। उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

लघु सिंचाई योजनाओं के लिये ऐसे कुँओं का निर्माण, मरम्मत, ग्रमीण तालों के निर्माण। पम्पिंग सैट, रेंहट आदि कार्यों के लिये ऋण दिया जाता है। भूमि सुधार के लिये ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है उन्नतशील चीजों का वितरण किया जाता है। बढ़िया गोबर की खाद तैयार करने हेतु म्युनिसिपेलिटी एवं ग्राम पंचायतों को ऋण एवं छूट के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है।

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ का उत्तर देखिये)

Statement Showing the list of tanks in Kekri Tehsil and showing the expenditure against each Tank.

S. no.	Name of tank.	Expenditure during 56-57.	Expenditure during 57-58.	Expenditure 58-59.
1. M&R to	Shiv Sagar Tank at Deoli	-	1354	-
2. " to	Badlawala tank at Tilora	-	543	-
3. " to	Chhota Talab at Mallia	-	922	-
4. " to	Bara Talab at Kaila	-	604	-
5. "	Naya Talab at Neodukalu	-	1086	-
6. "	Kalyan Sagar at Bhunwa	-	546	-
7. "	Bhahadur Sagar at Junada	-	648	2412
8. "	Deh Sagar at Kain Khurd	-	1128	-
9. "	Sham Sagar at Kain Khurd	-	770	-
10. "	Gulab Sagar at Pranshera	-	521	-
11. "	Lohela Tank at Khawas	-	943	-
12. "	Sathalso Tank at Shaukeria	-	1237	-
13. "	Dhawani Tank Junia	-	2852	408
14. "	Bakat Sagar at Junia	-	460	-
15. "	Dund Sagar at Galola	-	915	-
16. "	Naya Talab at Kain Kalan	-	112	-
17. "	Bhandaina at Singhawala	-	1133	-

1		2		3	
18.	,,	Golia Tank at Kherthal	-	2515	-
19.	,,	Suraj Sagar	-	2462	940
20.	,,	Chavand Sagar at Pratpura	-	2181	-
21.	,,	Ummed Sagar at Sargam	-	1850	400
22.	S&R	Kala Talab at Baris	-	1088	160
23.	M&R	Amarlia Talab near Goala	-	654	-
24.	,,	Bada Talab at ,,	-	476	-
25.	,,	Sadul Sagar at Khayda	-	1262	-
26.	,,	Ladikia Tank near Nagola	-	260	-
27.	,,	Rattan Sagar at Negola	-	230	-
28.	,,	Bara Talab at Pranga	-	3215	1909
29.	,,	Naya Talab at Raghunathpura	-	2842	3118
30.	,,	Bankera Tank at Badgaon	-	4915	2283
31.	,,	Pawania Tank	-	2791	-
32.	,,	Biladia Tank at Motipura	-	1577	6674
33.	,,	Bara Talab at Nagola	-	1088	3500
34.	,,	Mohbat Sagar at Debli Kalan	-	2467	2511
35.	,,	Deh Sagar at Ghangadoa	-	2965	4075
36.	,,	Kala Talab Badla	-	2626	-
37.	,,	Pipli-ka-Talab at Piplia	-	2488	-
38.	,,	Bara Talab at Nagola	-	3148	-
39.	,,	Bahadur Sagar at Judana	-	1070	-
40.	,,	Naya Talab at Kerot	-	924	-

1		2	3	
41. ,,	Man Sagar at Jatyana	-	2425	-
42. ,,	Bedwala Tank at Bhagsuri	-	1095	-
43. ,,	Shesh Sagar at Khawas	-	1106	-
44. ,,	Deve Sagar at Kain Khurd	-	420	-
45. ,,	Naya Talab ,,	-	850	1414
46 ,,	Bahadur Sagar at Nimoria	-	2947	-
47 ,,	Godiwala Tank Kain Khurd	-	3511	-
48. ,,	Deh Sagar	-	4605	-
49. ,,	Naya Talab Kain Khurd	-	2389	-
50. ,,	Phool Sagar at Nimoria	1406	1126	-
51. ,,	Deh Sagar at Genchara	1814	-	-
52. ,,	Naya Talab at Kain Khurd	3420	-	-
53. M&I	Deo Sagar at Kekri	1127	-	-
54. ,,	Bara Talab at Parlia	3353	3154	-
55. ,,	To Godiwala Tank in Kekri	1601	-	-
56. ,,	Bala Sagar Tank	4043	2203	-
57. ,,	Gulab Sagar Tank	4735	3403	-
58. ,,	Nil-ki-Nandi in Kekri	-	-	1259
59. ,,	Bund Line of Sagat Sagar at Khawas	-	-	1834
60. ,,	Bund Line of Karan Sagar at Pipha	-	-	1696
61. M&R to	Raghunath Sagar at Karia	-	-	2814
62. ,,	Bala Talab at Champana	-	-	1923

	1	2		3
63. ,,	Sathala Tank at Ekal Singh	-	-	2350
64. ,,	Dev Sagar at Nagola	-	-	2325
65. ,,	Karan Sagar at Hamtya	-	-	925
66. ,,	Moti Sagar at Kerat	-	-	1002
67. ,,	Shiv Sagar at Junia	-	-	492
68. ,,	Choudheri Tank	-	-	940
69. S&I	of Tanks in Kekri Tehsil	-	-	6316
	G. TOTAL ...	21399	89776	53525

G. Total for the year 1956-57, 57-58 and 58-59
=164700

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २८ अगस्त ५६

कम्म संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
२७५५	अन्तिम	Exihibition	Exhibition
२७५६	१३	Seperate	Separate
२७५६	अन्तिम से ६	श्री दयाष्ण विजय	श्री दयाकृष्ण विजय
२७६६	अन्तिम से ६-१०	Husdundary	Husbandry
२७६७	१४	श्री मोहब्बसिंह	श्री मोहब्बतसिंह
२७६८	५	मौदूद	मौजूद
२७७६	अन्तिम से २	(श्री करणपुर)	(करणपुर)
२७८७	२	निमलिखित	निम्नलिखित
२७८८	अन्तिम से ११	श्री जगदीशप्रसादयाथुर	श्री जगदीश प्रसाद माथुर
२७६५	४	anchayat	Panchayat
२७६८	२	and	end
२७६८	१४	letion	deletion
२८०१	१३	काप्सन	कोऑप्सन
२८०४	२०	तससील	तहसील
२८०५	७	Honbie	Hon'ble
२८०७	१०	cf	of
२८०७	अन्तिम से ३	cr	or
२८११	अन्तिम से १२	Putti	putting
२८१३	२	withdraw amendment	withdraw my amendment

१	२	३	४
२८१४	अन्तिमसे १०	wnen	when
२८१४	,, ,, ६	Debata	debate
२८१५	१८	ncharge	in-charge
२८१६	६	as been	has beeu
२८१७	२१	Spaker	Speaker
२८१७	अन्तिम से ६	becase	because
२८२२	१	Sarpunch	Sarpanch
२८२२	१	Surpanch	Sarpanch
२८२२	अन्तिम से ३	Purpese	purpose
२८२५	अन्तिम	You are	Are you
२८२६	अन्तिम से ४	(व्यावधान)	(व्यवधान)
२८२८	,, ,, १०	Pont	Point
२८२८	,, ,, ७	their	there
२८३०	२०	प्रयीग	प्रयोग
२८३४	अन्तिम से १०	cllarification	clarification
२८३७	१०	parth y i	partly
,,	१५	ms	me
,,	अन्तिम से ३	scop	scope.
२८३८	१७	aad	and.

१	२	३	४
२८४०	१०	Thin	This
२८४०	११	takes	taken
२८४२	अन्तिम से ९	इन्कन्स्टिटेन्ट	इन्कन्सिस्टेन्ट
२८४३	अन्तिम से ११	beeause	because
,,	अन्तिम से ७	w	we
२८४४	,, ,, १३	hapter	chapter
,,	,, ,, १०	(श्री होतीचाल)	(श्री होतीलाल)
२८४७	१३	Withdrrawal	Withdrawal
२८४८	१५	withdrawat	withdrawal
२८४९	२	Smitis	Samiti
,,	२	Shri Satish Chanra	Shri Satish Chandra
२८५०	अन्तिम से ११	समिती	समिति
२८५४	अन्तिम से ४	समती	समिति
,,	अन्तिम से ४	रिाज्य	राज्य
,,	अन्तिम	सरकार को	को सरकार को
२८५५	७	nominted	nominated
२८५९	१५	कोरम न के होने	कोरम के न होने
२८६०	९	oft hat	of that
,,	१२	collectdr	collector
२८८१	१९	बील्ली	बिल्ली

१	२	३	४
२८८२	अन्तिम से ७	calld	called
२८८२	अन्तिम से ४	श्री पी० के चौघरी	श्री पी० के० चौधरी
२८८३	१५	बावजूद	बावजूद
२८८४	२०	ahall	shall
२८८४	२३	cuorun	quorun
,,	अन्तिमसे १३	quoram	quorum
,,	,, ,, ८	Collecter	Collector
,,	,, ,, ६	sane	same
,,	,, ,, ४	aecessary	necessary
,,	,, ,, ४	qunrum	quorum
२८८५	१७	sould	should
२८८६	६	collecter	Collector
२८८६	७	Collecter presiding ovdr	Collector presiding over
२८८९	८	meating	m eting
,,	१६—१७	consibered	considered
२८९०	अन्तिम से ५	(करतल–घ्वनी)	(करतल-ध्वनि)
२८९४	१७	jnrisdiction	jurisdiction
२८९५	अन्तिम से ६ व १०	Nos	No
,,	,, ,, ४–५	मोह्दय	महोदय

१	२	३	४
२८६८	अन्तिम से ६	श्री समातति	श्री सभापति
२८६९	१५	वइ	वह
,,	१७	घारा	धारा
,,	२१	श्री सभापति श्री	श्री सभापति
२८६६	२२	press	press
२६००	११	Punchayat	Panchayat
२६००	१३	Predside	Preside
२६०१	१५	ihis	this
२६०२	१०	Tehsii	Tehsil
२६०४	२३	संशोघन	संशोधन
२६०५	६	wiil	will
२६०६	१६	dispsosed	disposed.
२६११	१	Pandayat	Panchayat
२६१५	७	Raja Man Singg	Raja Man Singh
२६१७	३	तिया	दिया
,,	अन्तिम से १४	अमुसार	अनुसार
२६१६	१२	cxpiry	expiry
२६२२	१८	आर्थिम	आर्थिक
२६२३	अन्तिम से ६	peeple	people
२६२८	१६	b balf	be half
२६३५	१५	एलीलेजीबल	एलीजिबल

१	२	३	४
२६३८	अन्तिम से ३	Lagitimate,	Legitimate.
२६४०	,, १४–१५	अम चेवल्स	अनूटचेवल्स
२६४१	अन्तिम	Calarification	Clarification
२६४६	१६	evry	every
२६४८	२	claritication	clarification
,,	१६–२०	ओब्जशन	ऑब्जर्वेशन
२६४६	अन्तिम से ६	woud	would
२६५०	२१	will	will
२६५३	१७	Co-opteidon	Co-opted on
२६५७	१४	जिलकुल	बिलकुल
२६६३	२	ccopted	Co-opted.
,,	७	acordingly in	accordingly
२६७३	अन्तिम से ४	Prcmotion	Promotion
,,	अन्तिम	Alli Dvisions	All Divisions
२६७४	अन्तिम से ५	Rual water	Rural Water
२६७५	७	(Pal)	(Pali)
२६७७	अन्तिम	sucess	success
२६७८	अन्तिम से २	cf	of
२६८२	अन्तिम से ११	Paess	press
२६८७	६	ग्रमीण	ग्रामीण